लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 11 जून, 1971/21 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 15, Friday, June 11, 1971/Jyaistha 21, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
421.	परादीप पत्तन ट्रस्ट बोर्ड	Paradeep Port Trust Board	... 1-3
424.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सुझाए गये नौवहन के टनभार का लक्ष्य	Target of Shipping Tonnage Proposed by the Shipping Corporation of India Ltd.	... 3-4
425.	कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए मांग	Demand for Upgradation of Cochin City	... 4-6
426.	नगरों में यूथ होस्टल	Youth Hostels in Towns	6-7
428.	जापान द्वारा भारत में पूंजीनिवेश की नीति में परिवर्तन	Changes in Investment Policy towards India by Japan	... 7-9
429.	जाली मुद्रा का परिचालन	Circulation of Counterfeit Currency	... 9-13
430.	पर्यटन के लिये राष्ट्रीय योजना	National Plan for Tourism	... 13-15
432.	यूनिवर्सल टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता	Universal Tyres Limited, Calcutta	... 15-18
433.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड से आयकर की वसूली	Recovery of Income Tax from M/s Bird and Co. Ltd.	... 18-19

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
422.	इण्डियन एयरलाइन्स के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने सम्बन्धी समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधि	Representative of workers on the Committee to study the Administrative Structure of Indian Airlines	20
423.	एयर इण्डिया द्वारा संचालित मद्रास-सिंगापुर विमान सेवा से लाभ	Profitability of Madras Singapore Routes operated by Air India	... 20-21
427.	छोटे नगरों और कस्बों में नये हवाई अड्डों का निर्माण	Development of New Airports at Smaller Cities and Town	... 21
434.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का बन्द होना	Closure of Gurukul Kangri University	... 21-22
435.	शंकर शूगर मिल्स, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक और उप-प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Managing Director and Deputy Managing Director of Shankar Sugar Mills, Calcutta	... 22-23
436.	विदेशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम	Cultural Exchange Programme with Foreign Countries	... 23-24
437.	अमरीका से ऋण के लिए करार	Agreement for Loan from USA	... 24
438.	मैसूर में पर्यटकों के लिये अपर्याप्त सुविधाएं	Inadequate Facilities for Tourist in Mysore	... 25
439.	फ्लाइंग क्लबों में बढ़े हुए शुल्क के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation against increased Fees in Flying Clubs	... 25-26
440.	तकनीशियनों और इन्जीनियरों के लिये ऋण योजना	Credit Scheme for Technicians and Engineers	26
441.	राज्यों को विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange to States	... 26-27
442.	जमा राशियों पर ब्याज की दर	Rate of Interest on Deposits	... 27-28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
443. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में हिंदी का प्रयोग	Use of Hindi in the Reserve Bank of India	... 28-29
444. ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋण	Agricultural Loan by the Nationalised Banks in Rural Areas	29
445. अमरीकी डालर का रुपये में मूल्य	Rupee value of US Dollar	... 29-30
446. विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का राजसहायता प्राप्त प्रकाशन	Subsidised Publication of University level Books	... 30
447. पर्यटन केन्द्रों रूप के में मध्य प्रदेश में नए स्थानों के विकास का प्रस्ताव	Proposal to develop new places as Tourist Centres in Madhya Pradesh	... 30-31
448. एयर इण्डिया द्वारा मलेशिया एयर सर्विस की सहायता	Assistance to Malaysian Air Service by Air India	... 31
449 बिजली गिरने के कारण इण्डिया एयरलाइन्स बोइंग 737 विमान का क्षतिग्रस्त होना	Boeing 737 Aircraft of Indian Airlines damaged in a lightning storm	... 31
450. केरल की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting Kerala	... 31-32
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
1887. कोकिंग कोयला वाली कोयला खानों को दिया गया ऋण	Loan given to collieries producing coking coal	... 32
1888. पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों के विकास हेतु ऋण	Loans for Development of coal Mines in West Bengal and Bihar	... 32
1889. आयकर के बकाया की वसूली हेतु नीलामी	Auction for Realisation of Arrears of Income Tax	... 32-33
1890. उड़ीसा के जिला बालासौर में चांदबाली में पत्तन निर्माण की व्यवस्था	Provision to build a Port at Chandbali in District Balasore, Orissa	... 33-34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.		
1891. दिल्ली में शिक्षा सुविधाएं	Education Facilities in Delhi	34
1892. जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे स्नातकों द्वारा विशेष वेतन वृद्धियों की मांग	Special increment demanded by Graduates working in LIC	... 34-35
1893. अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी कम्पनियों द्वारा भाड़े की दरों में वृद्धि रखने हेतु कानून	Legislation to control freight levies by International Shipping Lines	... 35
1894. मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय भवनों के लिये अनुदान	Grants to Universities in Madhya Pradesh for Library Building	... 35-36
1895. भारत और रूस के बीच सहयोग से सम्बन्धित करार के अन्तर्गत भारतीय जनों का रूस का दौरा	Visit of Indians to USSR under Agreement Governing cooperation between India and USSR	... 36-37
1896. पालम हवाई अड्डे पर निषिद्ध माल का पकड़ा जाना	Seizure of contraband goods at Palam Airport	37
1897. प्रायोगिक परिवार परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank Aid for Pilot Familv Projects	... 37-38
1898. भारत में एल. एस. डी. के. बिक्री के अड्डे	Dens for Sale of LSD in India	38
1899. हरिजन तथा जन जातीय छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Harijans and Tribal Students	... 38-39
1900. पश्चिम बंगाल में स्थायी दायित्व शिविरों की शोचनीय दशा	Dilapidated condition of permanent liability camps in West Bengal	39
1901. दिल्ली उच्च न्यायालय के नये भवन के स्थापनास्थल पर पुरातात्विक खोज	Archaeological Discovery at New Building Site of Delhi High Court	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nso.		
1903. सरकारी उपक्रमों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की अदायगी	Payment of Interim Relief to the Supervisory Staff in Public Undertakings	... 40
1904. केन्द्रीय सरकार के मेहतरों, फराशों और चौकीदारों आदि को समयोपरिभत्ता	Overtime Allowance to Sweepers, Farashes and Chowkidars of the Central Government	... 40-41
1905. पारादीप ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जनरल कारगो बर्थ के निर्माण के लिये प्राप्त निविदाएं	Tenders received by Paradeep Trust Board for construction of General Cargo Berth	... 41
1906. राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा निवृत्त अधिकारी	Retired Officers in the Nationalised Banks	... 41-42
1907. कोचीन शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण	Construction of Ships at Cochin Shipyard	... 42
1908. दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें	Demands of Higher Secondary and Primary School Teachers in Delhi	... 42-43
1909. वेतन आयोगों के पंचाटों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई राशियां	Amount granted to the Central Government employees as a result of successive Pay Commission's awards	43
1910. जीवन बीमा निगम द्वारा नई शताब्दी पालिसी का आरम्भ किया जाना	Introduction of LIC'S New Centenary Policy	... 43-44
1911. सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on advertisements by Public Undertakings	44
1912. इन्डसट्रिअल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डसट्रिअल फाइनेंसियल कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा किया गया पूँजी निवेश	Investment made by Industrial Finance Corporation of India	... 44-45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.		
1913. 5 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक आस्तियों वाले व्यापारियों द्वारा कर की अदायगी न किये जाने की शिकायतें	Complaints regarding Non-payment of taxes by businessmen possessing assets of Rs. 5 crores and above	46
1914. दिल्ली में तीन पहिये वाले स्कूटरों के चालकों द्वारा अधिक किराया लेना	Over charging by Drivers of three wheeler scooters in Delhi	... 46-48
1915. औद्योगिक गृहों /कम्पनियों के नाम बकाया आयकर	Income Tax arrears outstanding against Industrial Houses/Companies	48
1916. केरल में पत्तनों का विकास	Development of ports in Kerala	... 49
1918. कलकत्ता में नया फुटबाल स्टेडियम	New Football Stadium in Calcutta	49
1919. दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के लिए क्वार्टर	Quarters for Delhi School Teachers	... 49-50
1920. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के कार्य के परिणाम	Working of Unit Trust of India	... 50-51
1921. नई दिल्ली परियोजनाओं के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण के लिये आवेदन पत्र	Loan applications received by IFC for New Projects	... 51-53
1922. दिल्ली में सड़क दुर्घटना	Road Accidents in Delhi	... 54-55
1923. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों द्वारा स्कूल की पाठ्यपुस्तकों की जांच	Scrutiny of School Text Books by National Council of Educational Research and Training	... 55-56
1924. पर्यटन तथा पुरातत्वीय विभाग के कार्य को समन्वित करने की योजना	Scheme to co-ordinate Activities of Tourism and Archaeological Departments	... 56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. N		
1925. 1972 के ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये रोडेशिया को निमंत्रण	Invitation to Rhodesia to participate in 1972 Olympic	... 56-57
1926. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के भूतपूर्व उप पुस्तकाध्यक्ष के साथ अन्याय	Injustice done to Former Deputy Librarian, National Library, Calcutta	... 57
1927. व्यक्तियों/संस्थाओं को सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण	Loans given by Public Sector Financial Institutions to persons/Institutions	... 57-58
1928. माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में बुक बैंकों की व्यवस्था	Book Banks in Secondary Schools and Higher Educational Institutions	... 58
1929. संस्थान वित्तीय ऐजेन्सियों द्वारा ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों को उपलब्ध कराये गये संसाधन	Resources made available to Joint Stock Companies by Institutional Financial Agencies	... 58-59
1930. औद्योगिक परियोजनाओं में जीवन बीमा निगम के निर्देश	LIC's Investment in Industrial and Non-Industrial Project	59
1931. विदेशों से प्राप्त ऋण तथा सहायता	Loans and Aids received from Foreign Countries	... 59
1932. नौवहन उद्योग स्थापित करने के लिये नाइजीरिया को सहायता	Assistance to Nigeria for Building Shipping Industry	... 60
1933. अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण समितियों को लाभ	Housing Societies benefited under Own Your Housing Scheme	... 60-61
1934. कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर	Wealth Tax on Agricultural Lands	... 61
1935. राष्ट्रीकृत बैंकों की नीति की क्रियान्विति	Implementation of Policy of the Nationalised Banks	... 61-62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1936. शंकर शूगर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Managing Director of Shankar Sugar Mills Ltd, Calcutta	... 62-63
1937. गोल्डन टुबाको कम्पनी के शेयरों का विक्रय	Sale of shares of Golden Tobacco Company	... 63
1939. सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में संसद सदस्यों को पत्र	Letter to Members of Parliament Regarding service conditions of Government Employees	... 64
1940. मिश्रित संस्कृति का विकास	Development of Composite Culture	... 64
1941. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11 को चौड़ा करना	Widening of National Highway No. 11	... 64-65
1942. राजस्थान में नये हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of New Aerodromes in Rajasthan	65
1943. कृषि क्षेत्र के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण का निर्धारण	Earmarking of Credit from Nationalised Banks for Agrarian Sector	... 65
1944. राजस्थान में चम्बल नदी पर पुल के निर्माण के लिये ऋण	Loan for the Construction of Bridge over Chambal River in Rajasthan	... 66
1945. अमरीका से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from USA	... 66-67
1946. उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण	Loan to Uttar Pradesh Government	... 67
1947. बकाया विदेशी ऋण और ब्याज का भुगतान	Outstanding Foreign Loans and Payment of Interest	... 68
1948. गवर्नमेंट प्रेस, फरीदाबाद के कर्मचारियों को नगर भत्ता	City Compensatory Allowance to the Employees of Government Press, Faridabad	... 68
1949. आय कर विधि का उल्लंघन करने के कारण चलचित्र अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Film Actors and Actresses for Infringement of Income Tax Laws	... 69-70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. N s.		
1950. आयकर सहायक आयुक्त के पदों पर पदोन्नतियां	Promotions to the Cadres of Assistant Commissioners of Income Tax	... 70
1951. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में अनुसंधान सहायक के पद को स्थायी बनाना	Confirmation of Research Assistance in the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology	... 70-71
1952. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रमुख अधिकारियों के दौरों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on tours by Heads of Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate	... 71
1953. विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में विद्यार्थियों का भाग लेना	Students participation in University Management	... 71
1954. भारतीय उत्प्रवासियों द्वारा नकदी धन में परिवर्तन ला सकने वाली परिसम्पत्ति को भारत से बाहर ले जाने के लिए मापदण्ड	Criteria for taking liquid assets out of India by Indian emigrants	... 71-72
1955. अशोक होटल के कार्यकारी गृहावेक्षक (हाउस कीपर) के पास से आयातित व्हिस्की का बरामद किया जाना	Seizure of Imported Whisky from the Executive House Keeper of Ashoka Hotel	... 72
1956. बैंकों द्वारा राजस्थान में किसानों को ऋण न दिया जाना	Non payment of loans to farmers by Banks in Rajasthan	73
1957. एयर इण्डिया को एक ज्वायन्ट स्टाक कम्पनी के रूप में परिवर्तित करना	Suggestion for conversion of Air India into a Joint Stock Company	... 73
1958. चीनी मिल्स संघ की उत्तर प्रदेश शाखा द्वारा बैंकों से वित्तीय सहायता की मांग	Financial assistance demanded by U.P. Branch of Sugar Mills Association from Banks	... 73-74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1959. विश्व बैंक द्वारा भारत में कृषि विश्वविद्यालय को सहायता दिया जाना	Assistanee to Agricultural Universities in India by World Bank	74
1960. आय कर की बकाया राशियां	Arrears of Income Tax	... 74-76
1961. पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres	... 76-78
1962. जम्बो जेट विमान को हुई क्षति का अनुमान लगाना	Assessment of Damage to Jumbo Jet	78
1963. कोचीन और मंगलौर के हवाई अड्डों के टर्मिनल भवनों का विस्तार	Expansion of Terminal building at Cochin and Mangalore Airports	... 78-79
1964. तमिलनाडु में ईस्ट कोस्ट रोड बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Build East Coast Road in Tamil Nadu	... 79-80
1965. तमिलनाडु को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tamil Nadu	80
1966. सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर प्रिवन्टिव अधिकारियों द्वारा सामान ले जाने की स्वीकृति दिया जाना	Clearing of baggage by Preventive Officers at Santacruze Airport	... 81-82
1967. आबू में हवाई अड्डा	Aerodrome at Abu	... 82-83
1968. स्टेट बैंक आफ इण्डिया के संगठनात्मक ढांचे के बारे में भारतीय प्रबन्धक संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन	Study made by Indian Institute of Managemen re. Organisational Structure of State Bank of India	... 83-84
1969. नौवहन उद्योग में कठिनाइयों का निवारण करने हेतु एक निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Corporatiom for Removing Bottlenecks in Shipping Industry	... 84-85
1970. संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in the Union Territories and on National Highways	... 85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
1971. प्रकाश स्तम्भों की कमी	Shortage of Light Houses	85
1972. राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध ऋण सुविधाओं पर लगाई गई पाबन्दियों के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयां	Difficulties experienced by the people on account of restrictions imposed on credit facilities in nationalised Banks	... 85-86
1973. हरिजनों के लिये पक्के मकान बनाने की योजना	Scheme for construction of Pucca Houses for Harijans	... 86
1974. इण्डियन एयर लाइन्स के प्रशासनिक व्यय को कम करने के उपाय	Ways and means to cut down Administrative Cost in Indian Airlines	... 86-87
1975. राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कम्पनियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये संसदीय समिति	Parliamentary Committee for Watching the activities of the Nationalised Banks and Insurance Companies	... 87
1976. इन्दौर जिले में फर्मों और व्यक्तियों द्वारा आय कर का भुगतान	Payment of Income tax by firms and individuals in Indore District	... 87-88
1977. वित्त मंत्रालय में सलाहकार समिति की स्थापना	Setting up of Advisory Committee in the Ministry of Finance	... 88
1978. भारतीय मुद्रा का चलन	Circulation of Indian Currency	88
1979. उत्तर प्रदेश सरकार को बैंकों से सहायता	Aid to the Uttar Pradesh Government from Banks	... 88-89
1980. भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता	City Compensatory Allowance to Central Government Employees at Bhubaneswar, Orissa	89
1981. रायगढ़ किले की झील में खुदाई कार्य	Excavation work at Raigarh Fort Lake	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos**		
1982. नई दिल्ली स्थित अशोक होटल की आय और व्यय	Expenditure and Income of Ashoka Hotel, New Delhi	90
1983. कलकत्ता के अन्तर्राष्टीय एयर टर्मिनल भवन के पर्यटक कक्ष में प्रबन्ध	Arrangement in the Toursit Lounge of Calcutta International Air Terminal Building	... 90-91
1984. मध्य प्रदेश के कालेजों को खेल के मैदानों और खेल कूद के सामान के लिये सहायता देना	Assistance to Colleges in Madhya Pradesh for Playgrounds and Sports Material	... 91-92
1985. मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान	Grants to Cultural Institutions in Madhya Pardesh	... 92-93
1986. मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of a Bridge on Narmada River in Madhya Pradesh	93
1987. मध्य प्रदेश में हवाई अड्डा अथवा हैलिपैड का निर्माण	Construction of Aerodromes/Helipads in Madhya Pradesh	... 93-94
1988. मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कालाघाट पुल का निर्माण कार्य	Construction work of Kalaghat Bridge on Narmada River in Madhya Pradesh	... 94
1989. भारत से मूर्तियों और चित्रों का चोरी छिपे देश से बाहर ले जाया जाना	Smuggling of Idols and Paintings from India	... 94-96
1990. दिल्ली राज्य नारी निकेतनद्वारा प्राप्त राशि	Amount Received by Delhi State Nari Niketan	96
1991. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋण	Loans advanced by the Industrial Development Bank of India to Industries	... 96-97
1992. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों में असमानता	Disparity in Emoluments of Central Government Employees	... 97
1993. छात्रावासों के निर्माण के लिये अनुदान	Grants for construction of Hostels	... 97-98

विषय	Subjeịc	पृष्ठ/Pages
U. S. Nos. अता० प्र० संख्या		
1994. राजस्थान नहर क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के परिवारों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to S. C. and S. T. Families in Rajasthan Canal Areas	... 98
1995. अफीम के कारखाने गाजीपुर में काम करने वाले प्रयोगशाला सेवकों के वेतन मान	Pay Scales of Laboratory Attendents working in the Opium Factory Ghazipur	... 98-99
1996. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क तथा नारकोटिक्स विभागों में ग्रेड इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति	Appointment of Grade Inspectors in the Central Excise and Customs and Narcotics Department	99
1997. आय कर वित्तरण फार्मों की कमी	Shortage of Income tax Return Forms	... 99-100
1998. पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद	Translation of Text Books	... 100
1999. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को लघु उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to S. C. and S. T. for Small Scale Industries	... 100
2000. केरल में स्टेट बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें	Branches of State and Commercial Banks in Kerala	101
2001. आय कर विभाग, दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Income Tax Department, Delhi	102
2002. दिल्ली फ्लाईंग क्लब द्वारा उड़ान प्रशिक्षण फीस में वृद्धि	Increase in Flying training fees by Delhi Flying Club	... 102-103
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U.S. Nos.		
बंगला देश से आए हुए शरणार्थियों में से कुछ शरणार्थियों को भी अपने राज्यों में रखने से कुछ राज्यों द्वारा इन्कार किये जाने का कथित समाचार	Reported refusal of some States to accommodate Bangla Desh Evacuees	... 103-108
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	... 104-105
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	... 104,105-106
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	... 108-109
सभा का कार्य	Business of the House	... 109-111
अनुदानों की मांगें (मणिपुर) 1971-72	Demands for Grants (Manipur) 1971-72.	... 111-117
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	111
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	112
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	... 112-113
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	... 113-115
मणीपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 पुरःस्थापित तथा पारित	Manipur Apropriation (No. 2) Bill, 1971 Introduced and passed	... 117-119
बंगाल वित्त (विक्रय कर) (दिल्ली नियुक्ति तथा कार्यवाही विधि मान्यकरण) विधेयक, 1971	Bengal Finance (Sales Tax) (Delhi Validation of Appointments and Proceedings) Bill, 1971	... 119-120
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	119
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	... 119-120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Nos.		
पुर:स्थापित विधेयक—	Bills Introduced—	... 120-129
(1) श्री एन० श्रीकान्तन नायर का संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 1971 (धारा 3 का संशोधन)	(1) Parliament (Prevenion of Disqualification) Amendment Bill, 1971 (Amendment of Section 3) Shri N. Sreekantan Nair	... 120-121
(2) डा० कर्णी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 74 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill, 1971 by Dr. Karni Singh (Amendment of Article 74)	121
(3) श्री बी० के. दासचौधरी का आयु विषयक छूट (सेवाएं) विधेयक, 1971	Age Relaxation (Services) Bill, 1971 by Shri B. K. Das chowdhury	... 121-122
(4) श्री श्यामनन्दन मिश्र का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 324 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill, 1971 by Shri Shyamanandan Mishra (Amendment of article 324)	... 122
श्री मुरासोली मारन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971-वापस लिया गया (अनुच्छेद 81, 82 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 281 क का अन्त:स्थापन)	Constitution (Amendment) Bill-Withdrawn (Amendment of Articles 81,82 and insertion of new Article 281A) by Shri Murasoli Maran	... 122-129
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	122
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	... 123-124
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	124
श्री आर० वी० स्वामीनाथन्	Shri R. V. Swaminathan	... I24-125
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	... 125-126
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	... 126-127
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	... 127-128

विषत	Subject	पृष्ठ/Pages
U.S. Nos. अता० प्र० संख्या		
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	... 128-129
डा० कर्णी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नये अनुच्छेद 23 क और 23 ख का अन्तःस्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Articles 23A and 23B) by Dr. Karni Singh.	 130-137
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	... 130-131
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	... 130-131
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	... 131-132
श्री नवल किशोर सिन्हा	Shri N. K. Sinha	... 132-133
श्री आर० डी० भण्डारे	Shrl R. D. Bhandare	... 133-134
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	... 134-135
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	... 135-136
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishare	136
श्री नारायण चन्द पाराशर	Shri Naram Chand Parashar	... 136-137
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhora	137
पश्चिम बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में विद्युतीकरण की धीमी प्रगति के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. Slow Progress of Electrification in West Bengal, Bihar and Orissa	... 137-143
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Das chowdhury	... 137-140
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	... 141-143

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 11 जून, 1971/21 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

Friday, June 11, 1971/Jyaistha 21, 1893 (Saka)

——

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पारादीप पत्तन ट्रस्ट बोर्ड

*421. **श्री डी० के० पंडा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्तमान पारादीप पत्तन ट्रस्ट बोर्ड कब गठित किया गया था;

(ख) क्या मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का गठन करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) पारादीप पत्तन के वर्तमान बोर्ड का गठन 1 नवम्बर, 1967 को किया गया था।

(ख) बोर्ड का गठन बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 4 के उपबन्ध के अनुसार किया गया है ।

श्री डी० के० पंडा : धारा 3 (4) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन के क्या कारण हैं ?

श्री राजबहादुर : पत्तन 1966-67 में चालू की गई थी । मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम में यह अच्छी व्यवस्था है कि पहले न्यास बोर्ड बनाये जायेंगे और बाद में नियमित न्यास बोर्डों की स्थापना की जा सकती है । यह धारा 4 के अनुसार अंतरिम व्यवस्था है ।

श्री डी० के० पंडा : इस बात को देखते हुए कि मालघाट अभी तैयार नहीं हुआ तथा निर्माण कार्य उड़ीसा निर्माण निगम, जोकि एक सरकारी उपक्रम है, को नहीं सौंपा जा सका, और हालांकि अधिकतम क्षमता 18000 टन निर्धारित है, वास्तव में 11000 टन लौह आयास का ही लदान किया जाता है, और जब कि देय ब्याज की राशि पत्तन से होने वाली आय से अधिक है, तो इससे यह प्रकट होता है कि प्रगति धीमी हो रही है । जब प्रारम्भ में धारा 4 (1) के अधीन बोर्ड का गठन हुआ था वहाँ पर दोषपूर्ण प्रबन्ध था......

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ; वे अपना प्रश्न पूछें ।

श्री डी० के० पण्डा : इन सब बातों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि अधिनियम की धाराओं का पालन क्यों नहीं हो रहा है, यह धारा 3 (1) के अन्तर्गत अनिवार्य है ।

श्री राजबहादुर : यह कहना कि पत्तन न्यास अधिनियम के अनिवार्य उपबन्धों का पालन नहीं हो रहा है, गलत है । व्यवस्था यह है कि पहले न्यासियों के बोर्ड की नियुक्ति की जाए । बोर्ड कार्य कर रहा है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मुख्य पत्तन आयोग, जिसने बोर्ड के गठन पर विचार किया है, ने भी यह व्यवस्था की है कि पारादीप जैसे छोटे पत्तनों के लिए 13 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिएं और न्यासियों के पहले बोर्ड में 12 सदस्य हैं तथा एक श्रमिक प्रतिनिधि है ।

श्री पी० के० देव : यह सत्य नहीं है कि पत्तन न्यास ने बहुत समय पूर्व सामान्य माल घाट के तथा वहाँ पर रेलवे मार्शलिंग यार्ड के निर्माण के लिए सिफारिशें सरकार को भेज दी थीं लेकिन स्मरणपत्र भेजे जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । कल बजट वादविवाद में श्री चव्हाण का उत्तर सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया क्योंकि उसमें पारादीप के सिवाय सभी पत्तनों के विकास का उल्लेख किया गया है ।

श्री राजबहादुर : मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार मालघाट 1973 तक पूरा होने की सम्भावना है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : पारादीप पत्तन ट्रस्ट के अध्यक्ष को बदल दिया गया है । अब जबकि चार वर्ष हो गए हैं अन्य सदस्यों को भी क्यों न बदल दिया जाए ।

श्री राजबहादुर : कुछ सदस्यों को बदला जा चुका है । मेरे पास इन परिवर्तनों का ब्यौरा है । उदाहरणार्थ श्री भगवान कोटक को श्री के० बी० सरकार के स्थान पर मनोनीत किया गया है । कुछ

अधिकारियों की सूची में भी परिवर्तन किए गए हैं। बोर्ड में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी हैं और स्वभावतः इस प्रथम बोर्ड के गठन में कुछ समय तो लगता ही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पत्तन के लिए, जो कि केन्द्रीय विषय है, उड़ीसा सरकार ने कितना अग्रिम दिया है और क्या केन्द्रीय सरकार उस राशि का उनको भुगतान करने के बारे में सोच रही है और यदि हाँ, तो कब और क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सुझाये गये नौवहन के टनभार का लक्ष्य

* 424. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1971 के अन्त में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा सुझाये गये नौवहन के टनभार का लक्ष्य क्या है और इसमें से कितना लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है;

(ख) यदि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी रह गई है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जहाजों को दीर्घावधि किराये पर लेने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उनका टनभार कितना होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) लक्ष्य 8,70,006 जी० आर० टी० का था और वास्तविक उपलब्धि 8,63,358 जी0 आर० टी0 की हुई है।

(ख) उपलब्धि में कमी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहे माल पोत एम0 वी0 "विश्वदर्शन" की सिपुर्दगी में देर होने के कारण हुई। अब इस पोत के शीघ्र सिपुर्द किये जाने की संभावना है।

(ग) दीर्घकालीन चार्टर पर जहाजों को प्राप्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय के कथन से ऐसा लगता है कि नौवहन क्षमता में बहुत कम कमी आई है। परन्तु चौथी योजना का लक्ष्य 40,00,000 जी0 आर0 टी0 है। अपने जलपोतों द्वारा हम माल का केवल 21 प्रतिशत ढो पाते हैं। इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि अपने आयात-निर्यात के 50 प्रतिशत माल को ढो पाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राजबहादुर : मैं कह सकता हूं कि अपने पोतों द्वारा माल लाने ले जाने की क्षमता बनाने में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न संगत नहीं है क्योंकि यह मामला सर्वथा भारत के नौवहन निगम से सम्बद्ध है। उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी चालू क्षमता 24 लाख जी0 आर० टी० है और 8,00,000 जी0 आर0 टी0 और हमें

आशा है कि चौथी योजना के अंत तक हम 40 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। भले ही हम अपने व्यापार का 21 प्रतिशत ही ढो पाते हैं, परन्तु हमारा व्यापार भी तीव्र गति से बढ़ रहा है और आज 21 प्रतिशत 10–15 वर्ष पूर्व की क्षमता से बहुत अधिक है। हम नौवहन को 50 प्रतिशत क्षमता के योग्य बनाना चाहते हैं परन्तु उसमें समय लगेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : हमने जर्मन जनवादी गणतन्त्र से 10 पोत प्राप्त करने का आदेश दिया है जिनमें से 6 माल ढोने के कन्टेनरों से युक्त हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलों में कन्टेनर सेवा चालू की जाएगी ताकि जर्मनी से उन पोतों के आने तक माल को भली प्रकार ढो सकें और जहाजों की ठीक देखभाल हो सके।

श्री राजबहादुर : जहां तक कन्टेनर सेवा का सम्बन्ध है, यह प्रशंसनीय बात है परन्तु तथ्य यह है कि उसके लिए हमें अपनी पत्तन व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा। हमें रेलों की व्यवस्था को सुधारना है तथा कई अन्य कार्य करने हैं। इसलिए अभी मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि कन्टेनर सेवा चालू करने का समय बता सकूं।

श्री वयालार रवि : कोचीन पत्तन, जोकि मुख्य पत्तन है, को कई पोत सेवाएं जाने से मना कर देती हैं क्योंकि वहां पर विस्फोटक पदार्थों का घाट बना दिया गया है। क्या सरकार उस बात को ध्यान में रखते हुए विस्फोटक पदार्थों के घाट को वहां से हटाकर किसी छोटे पत्तन पर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी।

श्री राजबहादुर : यह अनुपूरक प्रश्न संगत नहीं है। परन्तु मैं इन बातों का निश्चय ही ध्यान रखूंगा।

कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए मांग

* 425. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुई जनगणना को ध्यान में रखते हुए कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य मागें रखी गई हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाने का है और यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में यह मांग की गयी है कि कोचीन में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर (निवास) प्रतिपूर्ति भत्ता दिये जाने के प्रयोजन से कोचीन का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर तत्काल विचार किया जाना चाहिये।

(ग) नगरों तथा शहरों के तथा कोचीन के भी अगले वर्गीकरण / पुनर्वर्गीकरण के लिए 1971 की जनगणना की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री ए० के० गोपालन : नगर का दर्जा बढ़ाए जाने की क्या शर्तें हैं ? क्या कोचीन नगर उन शर्तों की पूर्ती करता है ?

श्री के० आर० गणेश : वेतन आयोग ने मकान किराया तथा क्षति पूर्ति भत्ते के लिए जनसंख्या को आधार माना है। 1961 की जनगणना द्वारा कोचीन की जनसंख्या 3,40,810 थी। इसीलिए वह 'ग' वर्ग का नगर है।

श्री ए० के० गोपालन : पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था, तो कहा गया था कि दर्जा बढ़ाए जाने का आधार जनसंख्या के आँकड़ों से सम्बद्ध है। न जाने क्यों अब उसका संबंध वेतन आयोग की रिपोर्ट से जोड़ा गया है। क्या यह जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता ?

श्री के० आर० गणेश : मुझे ठीक से समझा नहीं गया। मैंने कहा था वेतन आयोग ने जन संख्या को आधार माना है। कोचीन को 1961 की जनसंख्या के आधार पर 'ग' वर्ग का नगर घोषित किया गया। 1971 की जनगणना के अंतरिम आँकड़े उपलब्ध हैं परन्तु सरकार ने अंतिम आँकड़ों की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया है, जो कि कुछ महीनों में आने वाले हैं।

श्री ए० के० गोपालन : जनगणना के आँकड़े अब उपलब्ध हैं। सरकार अभी निश्चय क्यों नहीं कर पाती ?

श्री के० आर० गणेश : जब तक अंतिम आँकड़े प्राप्त नहीं कर लिए जाते, इसका मतलब यह होगा कि कई अन्य नगरों का भी दर्जा बढ़ाना पड़ेगा ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a matter of surprise that so long as the census figures of 1971 census does not come, the upgrading of cities, would not be done. Is it not a fac tthat upgrading of certain cities has already been done ?

The Finance Ministers (Shri Y.B. Chawan) : On the basis of 1961 census.

Shri Atal Bihari Vajpayee : How can the cities be upgraded in 1971 on the basis of 1961 census. Why did you not wait for the figures for 1971 and if you can raise the status of certain cities why cannot upgrade Cochin and Gwalior ?

श्री के० आर० गणेश : कर्मचारियों के संघों के साथ एक समझौते के अनुसार 40 नगरों का मध्यावधिक सर्वेक्षण किया गया था। उसके लिए आधार यह था कि 1961 की जनगणना के अनुसार जिन नगरों की जनसंख्या उनका दर्जा बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक जनसंख्या से 10 प्रतिशत कम होगी, उन का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। उस आधार पर उनका दर्जा बढ़ाया गया था। कोचीन तथा ग्वालियर उसके अन्तर्गत नहीं आते।

Shri S.D. Singh : Whether the upgradation of Patna, Ranchi and Jamshedpur of Bihar is also under consideration ?

श्री के० ग्रार० गणेश : जैसा कि मैंने बताया कि नगरों का दर्जा बढ़ाने के मामले पर जनगणना के अंतिम आँकड़े प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस बात को देखते हुए कि कोचीन और एरनाकुलम के नकली पृथक्करण से, तथा इस बात को देखते हुए कि कोचीन तथा एरनाकुलम में मंहगाई की दरें बहुत ऊंची हैं, क्या सरकार कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाने पर विशेष रूप से विचार करेगी ?

श्री के० ग्रार० गणेश : जैसा कि मैंने बताया, कुछ महीनों की बात है जबकि अंतिम आंकड़े उपलब्ध होंगे।

नगरों में यूथ होस्टल

*426. **श्री पी० ग्रार० दास मुंशी:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्ष में प्रेसीडेंसी अथवा बड़े नगरों में नि शुल्क 'यूथ होस्टल' खोलने का सरकार का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). आवास की व्यवस्था करके युवा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए चालू योजना की अवधि के दौरान जयपुर, मद्रास, हाम्पी, त्रिवेन्द्रम, भोपाल, पटनीटाप और दार्जिलिंग में नये युवा होस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के स्वरूप के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने योगदान के रूप में भूमि प्रदान की जायेगी, जबकि निर्माण और साज-सामान की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

श्री पी० ग्रार० दास मुंशी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात समझ में आती है कि सामान्य युवकों के लिए यह व्यवस्था सस्ती बैठेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था विश्व के बहुत से दूसरे भागों रूस तथा जापान की तरह निःशुल्क होगी ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह सस्ती दर क्या है ? पर्यटन गृहों के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनमें बहुत सस्ती व्यवस्था है, परन्तु हम जानते हैं और यह सच है कि कुछ पर्यटन गृहों में यह व्यवस्था शहर के महंगे होटलों से भी अधिक महंगी है। क्या सरकार विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रों के लिए निःशुल्क होस्टल सुविधायें देगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : सस्ती से तात्पर्य कम व्यय वाली व्यवस्था से है। युवक होस्टलों की महंगे होटलों से कोई तुलना नहीं है। ये युवक होस्टल देश के आन्तरिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने

तथा युवकों द्वारा देश का पर्यटन किये जाने के उद्देश्य से बनाये जा रहे हैं। इनमें व्यवस्था बहुत सस्ती होगी।

श्री पी० आर० दास मुंशी : कौन इनका वास्तविक लाभ उठा सकेगा ? इस समय यह धारणा बनी हुयी है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा आई० सी० एस० अधिकारियों, मंत्रियों और सचिवों के लड़कों के लिए हैं। क्या मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा क्लबों के विद्यार्थियों को भी युवक माना जायेगा ?

डा० सरोजिनी महिषी : युवक का तात्पर्य आयु से है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से नहीं।

श्री० पी० आर० दास मुंशी : इस समय यदि कोई युवक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा आई० सी० एस० अधिकारी का लड़का नहीं है अथवा उसके पास कोई सिफारिशी पत्र नहीं है तो वह उनका उपयोग नहीं कर पाता है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि चालू योजना में पश्चिम बंगाल के लिए पर्यटन विकास हेतु 22 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है और उस कार्यक्रम में युवक होस्टलों की स्थापना भी शामिल है। यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि दार्जिलिंग और डिघा, जिनमें से एक पहाड़ी पर्यटन केन्द्र है तथा दूसरा समुद्री, युवकों को आकर्षित करने वाले दो मुख्य केन्द्र हैं, इन दोनों में से दार्जिलिंग की अपेक्षा डिघा कम खर्च वाला स्थान है। दार्जिलिंग में निर्वाह मूल्य बहुत अधिक है। अतः डिघा को विकसित क्यों नहीं किया जा रहा है ? वहां युवक होस्टल क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : पश्चिम बंगाल में युवक होस्टल बनाने के लिए 25 लाख रुपया दिया गया है, 22 लाख नहीं। मेरे विचार से पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री भी दार्जिलिंग में होस्टल बनाये जाने से सहमत थे। डिघा, जो समुद्र के किनारे का पर्यटन स्थल है, उसका विकास राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

Shri N. K. Sharma : Whether there would be uniform pattern in the country as a whole regarding hostel charges or it would differ from state to state ?

Dr. Sarojini Mahishi : There would be a uniform pattern in the country as a whole.

जापान द्वारा भारत में पूंजीनिवेश की नीति में परिवर्तन

*** 438. श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री मिससुबिशि के नेतृत्व में भारत आए जापानी मिशन ने अपने दौरे के पश्चात जापान सरकार को भारत में पूंजीनिवेश की नीति में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो जापान द्वारा पूंजीनिवेश नीति में किए गए परिवर्तनों से भारत को किस हद तक सहायता मिलेगी ; और

(ग) जापान ने भारत की अन्य कौन-कौन-सी वस्तुओं में रुचि दिखाई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) गत एक वर्ष में जापानियों ने ओस्सीन, फ्लोरस्पार, इलेक्ट्रानिक उपकरणों, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपकरणों, बिजली के केबलों, कपड़ा बनाने की मशीनों, उर्वरकों, दूर दर्शन पारेषण उपकरणों, शुष्क सेलों, धारित्रों, उच्च कार्बन और विशेष स्तर की तारों की छड़ें आदि के निर्यात/निर्माण में रुचि प्रकट की है।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या यह सच नहीं है कि मित्सुबिशि के नेतृत्व में 12 बड़े उद्योगपतियों का एक जापानी शिष्ट मंडल लगभग एक-डेढ़ महीने पहले भारत में आया था और उसने देश का भ्रमण करते हुये उद्योगपतियों तथा सरकारी अधिकारियों से यह पता लगाने के लिए भेंट की कि क्या गत चुनावों के बाद से भारत में पूंजी निवेश की स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है। क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आयी है कि शिष्टमंडल के अध्यक्ष ने संवाददाताओं से एक भेंट में कहा था कि भारत में आम चुनावों के बाद पूँजीनिवेश की स्थिति में प्रशंसनीय परिवर्तन हो गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ मामलों में आपकी गलतियों को ठीक करना चाहूंगा। शिष्टमंडल के अध्यक्ष मित्सुबिशि नहीं है यह तो एक उद्यम है।

श्री एस० एम० कृष्ण : मुझे पता है इसके नेता श्री नाकागवा थे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री नाकागवा, जो कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक हैं, इस शिष्टमंडल के नेता थे। वे भारत में आये, देश का दौरा किया, यहां की स्थिति देखी और भारत छोड़ने से पहले कलकत्ता में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने भारत के विषय में अच्छी धारणायें व्यक्त कीं और माननीय सदस्य ने जो कहा है, ऐसा विचार व्यक्त किया। परन्तु हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने जापान सरकार से कुछ सिफ़ारिशें की हैं। इतना हमें अवश्य पता है कि उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था। उन्होंने हमें भी यह आश्वासन दिया कि वे हमें एक रिपोर्ट भेजेंगे। हमें उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री एस० एम० कृष्ण : भारत के प्रधानमंत्री के जापान के पिछले दौरे की अवधि में यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय दूतावास से सम्बद्ध भारत पूंजी निवेश केन्द्र के रूप में एक छोटा-सा विभाग टोकियो में आरम्भ किया जायगा ताकि जापान के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिल्ली तथा भारत के अन्य भागों में पूँजी निवेश सम्बन्धी जानकारी दी जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

ने टोकियो में उस विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, यदि हाँ, तो भारत में जापानी पूंजी निवेश कराने के लिए विभाग ने क्या प्रगति की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : एक विभाग खोलने के लिए पूँजी निवेश केन्द्र द्वारा किये गए किसी निर्णय सम्बन्धी निश्चित सूचना मेरे पास नहीं है। यह उन उपायों का पता लगाने से सम्बन्धित है जिन से जापानियों तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों में भारत में पूँजी निवेश के लिए अभिरुचि पैदा हों। विभाग की भी अपनी एक विचारधारा है परन्तु इस समय मुझे उस विभाग की विचारधारा का पता नहीं है।

श्री एन. श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका जापान का उपयोग हमारे औद्योगिक विकास को कम करने और यदि संभव हो सके तो उसे नष्ट करने के लिए कर रहा है ? कल के समाचार पत्र में यह समाचार छपा है। सहायता देने के स्थान पर वे तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मित्सुबिशि से सम्बन्धित है अमरीका से नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्होंने कहा है कि जापान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार आप इसमें कुछ भी सम्मलित कर सकते हैं।

जाली मुद्रा का परिचालन

*429. **श्री पी० वैंकटासुब्बया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में जाली मुद्रा का बहुत बड़े पैमाने पर परिचालन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जाली मुद्रा का परिचालन रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इसमें किसी अन्य देश का हाथ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चलन से वापस लिए गए अथवा पुलिस द्वारा जालसाज़ों से बरामद किए गए जाली करेंसी नोटों की संख्या से यह मालूम होता है कि यद्यपि जाली करेंसी के चलन की समस्या का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है, तथापि कुल प्रचलित करेंसी की तुलना में यह समस्या बहुत ही छोटी है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें स्थिति का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि देश में जाली करेंसी चलाने में किसी विदेशी सत्ता का हाथ है ।

विवरण

जाली करेंसी नोट और बैंक-नोट बनाने के अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें इनके सम्बन्ध में निवारक दण्ड दिए जाने की पहले से ही व्यवस्था है । जाली नोट आदि बनाने और जालसाज़ी के अपराधों के बारे में कार्रवाई राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है जो इस सम्बन्ध में नजर रखते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा जाली नोट बनाने की सूचना मिलने पर छापे मारते हैं। जाली नोट आदि बनाने का विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रख कर और जाली भारतीय मुद्रा के बाजार में आने की घटनाओं की समय समय पर समीक्षा करके, केन्द्रीय जांच कार्यालय (ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन) जाली भारतीय मुद्रा बनाये जाने की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है । इस कार्यालय ने, जाली मुद्रा बनाने के गम्भीर अपराधों की जांच करने और राज्यों में किए जाने वाले जांच-कार्य में तालमेल बिठाने के लिये अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा (इकनामिक आफेन्स विंग) में एक कक्ष (सेल) भी स्थापित किया है । सरकार दस रुपये और उससे अधिक मूल्यों के नोट छापने के लिए देवास नामक स्थान पर एक नये बैंक नोट मुद्रणालय की स्थापना कर रही है जहां मुद्रण की ऐसी औद्योगिकी प्रयोग में लाई जायगी, जिससे उन नोटों की नकल करना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन हो जायगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को पता है कि कोयम्बटूर तथा बंगलौर जैसे कुछ स्थान जाली मुद्रा परिचालन के अड्डे बन गए हैं और यहां भोलेभाले लोगों को ठगा जाता है ? केवल यही नहीं...

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछें ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या कोयम्बटूर तथा बंगलौर जाली मुद्रा परिचालन गिरोह के अड्डे बन गए हैं । सरकार इस गिरोह पर नियंत्रण रखने में असफल रही है जिसका परिणाम यह हुआ है कि छोटे लोगों को धोखा दिया जा रहा है और कुछ लोग लाभ कमा रहे हैं और रातोंरात धनी बन जाते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य का पता है, और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न सुझाव देने तथा सूचना देने के रूप में नहीं होने चाहिए । ये सीधे-सीधे प्रश्न के रूप में होने चाहिए । मुझे आशा है कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे ।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि सदन को पता है, जहां तक कोयम्बटूर का प्रश्न है, वहां परिचालन में आने से पहले ही मुद्रा की एक बहुत बड़ी राशि पकड़ी गयी थी । इसे रोकने के लिए सरकार ने भी बहुत से कदम उठाये हैं । जाली नोट छापना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है । केन्द्रीय जाँच ब्यूरो भी इस पर दृष्टि रखे हुए है और इस मामले में प्रयोग किए

जाने वाले उपायों तथा तकनीक का पता लगा रही है। उन्होंने आर्थिक अपराधों सम्बन्धी विंग में एक विभाग खोला है जो इस जालसाज़ी के बारे में पता लगायेगा तथा यह भी पता लगायेगा कि इसका सूत्रपात कहां से होता है और इसके परिचालन के लिए क्या-क्या उपाय किये जाते हैं। देवास में एक नयी प्रेस लगायी जा रही है जिसमें और अच्छी तकनीक का प्रयोग होगा और उस प्रयोग के पश्चात जाली नोट, विशेषतया 10 रुपये तथा उससे ऊपर के, छापना असंभव हो जायेगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया ; क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कुछ तटस्थ देशों के माध्यम से भारत में बहुत से चीन में छापे गये नोट भेजे गये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार मामले की पूरी जाँच करायेगी ?

श्री के० आर० गणेश : इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बराबर जाँच की जा रही हैं और उनका कहना है कि जाली नोटों की छपाई में किसी विदेशी शक्ति का हाथ नहीं है।

श्री के० लकप्पा : इन जाली नोटों को प्रभावशाली ढंग से चलाने वाले मैसूर की धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख हैं। क्या सरकार ने इसकी जांच की है। मैसूर राज्य के मठाधिपति जाली मुद्रा बना कर चला रहे हैं। क्या सरकार इन मठाधिपतियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और क्या वह इन धार्मिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करेगी ? क्या सरकार इस सबकी जांच कर रही है ?

श्री के० आर० गणेश : वे एक जानकारी मात्र दे रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। ये मठाधिपति जाली मुद्रा बनाने और जारी करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। क्या भारत सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह एक अपराध है। यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना उसका ही काम है।

Shri Hukam Chand Kachwai : For many years it has been appearing in the Press that fake currency is printed and circulated. I would like to know how many persons were arrested, prosecuted and punished under this offence ? Whether it is correct that the scarcity of coins is being met by smuggling fake currency from foreign countries ?

श्री के० आर० गणेश : प्रश्न के दूसरे भाग का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। पकड़ी गई जाली मुद्रा के आंकड़े मेरे पास हैं। यह एक लम्बी सूची है। कुल प्रचलित मुद्रा की तुलना में जाली मुद्रा बहुत ही कम है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I wanted the number of persons arrested. prosecuted and punished.

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। इसकी आप पृथक से सूचना दे सकते हैं। यह संगत प्रश्न नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is a relevent question. Hon. Minister admitted that fake currency was seized. In that case how it can he irrelevent that how many persons

were arrested ? If the Minister does not have this information with him, he can say he does not have the information.

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है। मंत्री महोदय यह कैसे जान सकते हैं कि आप यह प्रश्न पूछने वाले हैं कि कितने आदमी पकड़े गए ? आप अलग से इसकी सूचना दे सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : In case you want to put pressure on us, we can walk out. I have asked a simple question. If the government do not have the information let them say they do not have the information. Do you want us not to ask questions ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और यह वित्त मन्त्री से पूछा गया था। आपने पूछा कि क्या जाली मुद्रा बड़ी मात्रा में प्रचलन में है। आपने यह भी पूछा कि यदि ऐसा है तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है। मंत्री महोदय ने सबका उत्तर दे दिया।

श्री ए० के० गोपालन : मन्त्री महोदय हमें यह बताएं कि कितने आदमी गिरफ्तार किए गए। यदि उनके पास यह जानकारी नहीं है तो वे कहें कि 'मुझे समय चाहिए"।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, Sir, please think over it with a cool mind. We do not want to create tension. We will abide by your decision. When the Minister says that currency was seized, then it can be asked how many persons were arrested. He can say that he does not have the information but yon cannot say it irrelevent.

Mr. Speaker : Out of which part of the question does this question arise ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : It arises from part (b).

श्री के० आर० गणेश : मेरे पास पकड़ी गई जाली मुद्रा के आँकड़े हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में हमें राज्य सरकारों से सूचना एकत्र करनी पड़ेगी। और उनके मिलने पर हम संख्या बतायेंगे। जाली मुद्रा के पकड़े जाते समय निश्चय ही कुछ लोग पकड़े भी गए हैं।

श्री जगन्नाथराव जोशी : इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ? उत्तर में यह बताया जाये कि कितने आदमी पकड़े गए.....

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को कुछ जानकारी हो तो वे दें।

Shri Chhatrapati Ambesh : Hon. Minister said that to stop the circulation of counterfeight coins some high technique will be used and a new press is being opened in Dewas. I want to know whether both currencies will be in circulation simultaneously ? There will be no use to allow the old currency to circulate when new currency is available.

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सदस्य महोदय प्रश्न का आधार बदल रहे हैं। हम एक नया प्रेस खोल रहे हैं पर इसका अर्थ यह नहीं कि पुरानी मुद्रा का प्रचलन बन्द हो जाएगा। वास्तविकता यह है कि वर्तमान प्रेस हमारी आवश्यकता की पूर्ती नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम नया प्रेस चालू कर रहे हैं।

Shri B. P. Maurya : The practice of manufacturing fake coins and notes is increasing, because through this business a man becomes rich in one night, whether government have decided to stop this by increasing the punishment, because at present the profit is much more than punishment ?

श्री के० आर० गणेश : यह एक अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या इस रिपोर्ट में कोई सत्यता है कि हमारे प्रेसों में कुछ मुद्रा दोहरी और तीहरी छापने के प्रयत्न किए गए हैं । मैं विश्वास करता हूं कि यह कहीं नहीं है पर फिर भी उस समाचार में कुछ सत्यता हो सकती है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । हमें इसकी जाँच करनी पड़ेगी ।

पर्यटन के लिये राष्ट्रीय योजना

* 430. **श्री पी० के० देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैवल एजेंट्स एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह पर्यटन उद्योग की सलाह से देश में पर्यटन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त सुझाव की जांच की जा रही है ।

श्री पी० के० देव : होटलों के सम्बन्ध में कर से छूट देने की प्रथा को समाप्त करने से देश में पर्यटन को किस सीमा तक प्रोत्साहन मिलेगा ।

डा० सरोजिनी महिषी : अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय हम इस पर भी चर्चा करेंगे ।

श्री पी० के० देव : मैं मंत्रालय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय यह बताया जायेगा ।

श्री एच० एम पटेल : अभी क्यों नहीं ?

डा० सरोजिनी महिषी : हमारे विचार से होटल उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जाना

चाहिए। हमें सरकार के विचारों के अनुसार चलना होता है।

श्री पी० के० देव : एयर इंडिया के चेयरमैन का कहना है विदेश यात्रा पर लगे 20 प्रतिशत कर से सरकार को 7 करोड़ रुपये का लाभ होगा पर एयर इंडिया के द्वारा उसे 8·5 करोड़ रुपए की हानि होगी। एयर इंडिया एक सरकारी उपक्रम है और हमारे लिए चिंता का विषय है। इस कर से पर्यटन किस सीमा तक बढ़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

Shri Phool Chand Varma : I want to ask regarding part(a) whether they are going to include in the list of touring centres, Ujjain, the place where Lord Krishna took his education and where Vikrmaditya ruled for many years.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पर्यटन सम्बंधी राष्ट्रीय योजना का था...

श्री एस० एम० बनर्जी : अब आप ही बताइए हम क्या पूछें ? यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर यह प्रश्न काल ही यहां क्यों रखा गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : प्रश्न बहुत ही संगत है।

अध्यक्ष महोदय : एक-एक विशेष स्थान से सम्बन्ध रखता है।

डा० सरोजिनी महिषी : देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं। इन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना राज्य सरकारों का काम है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या विदेश यात्रा पर 20 प्रतिशत कर लगाने के सम्बन्ध में एयर इंडिया ने सरकार को कोई ज्ञापन भेजा था। (**व्यवधान**)... इस संबंध में क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय से बातचीत की तथा उसकी क्या प्रतिक्रिया रही... (**व्यवधान**) क्योंकि यह पर्यटन पर प्रभाव डालता है, इसलिए यह प्रश्न संगत है। प्रश्न यह है कि क्या इस कर का पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? क्या इस सम्बंध में उन्हें कोई ज्ञापन मिला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : विदेश यात्रा पर लगाए गए कर के सम्बंध में वित्त मंत्री और सरकार में बातचीत चल रही है और सरकारी विभागों के बीच क्या बातचीत चल रही है, इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। हमारे मंत्रालय का एक दृष्टिकोण है और राजस्व के सम्बंध में देश की आवश्यकता पर वित्त मंत्री पूरी तरह निकट से विचार करेंगे और मेरे विचार से एक विशेष कर के सम्बंध में यहां चर्चा नहीं हो सकती। (**व्यवधान**)

श्री पैनुली : क्या बद्रीनाथ और तीन धाम तथा अमरनाथ आदि के पवित्र मन्दिरों को भी आन्तरिक पर्यटन में शामिल किया जायेगा ?

डा० सरोजिनी महिषी : ये आन्तरिक पर्यटन में शामिल हैं और वर्तमान सुविधाओं में और सुधार करने पर विचार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री समर गुह का है। मंत्री महोदय बीमार हैं, अतः मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

यूनिवर्सल टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता

* 432. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति ने अपने मुख्य प्रतिवेदन में पैराग्राफ 2. 16 और 2. 17 में निर्धारित......मापदंडों के आधार पर मैसर्स यूनिवर्सल टायर्स लिमिटेड, 18/सी लेक व्यू रोड, कलकत्ता को बिड़ला-कम्पनी-समूह की सूची में सम्मिलित किया था;

(ख) क्या 1969-70 में उक्त कम्पनी को बिड़ला ब्रादर्स प्राईवेट लिमिटेड से 2,23,199 रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण मिला था;

(ग) यदि हां, तो क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने 30 जनवरी, 1971 के पत्र संख्या 18 (6)—1—आर एस/70, में यूनिवर्सल टायर्स लिमिटेड को बिड़ला हाउस की सूची से निकाल दिया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया ?

कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) से (घ). सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) मै० यूनीवर्सल टायर्स लिमिटेड, सचिव, व कोषाध्यक्ष के रूप में मै० बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबन्धित होती थी, तभी औद्योगिक लाईसेन्स नीति जांच समिति ने, अपनी रिपोर्ट में बनाई गई कम्पनियों की सूची में, इस कम्पनी को बिड़ला गृह से सम्बन्धित दिखाया। केन्द्रीय सरकार ने, संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की बाबत, 19 फरवरी, 1970 को प्रेषित प्रेस टिप्पणी में साथ साथ यह भी उल्लेख किया कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा सूचीबद्ध, 20 वृहद्तर औद्योगिक गृहों की एकक कम्पनियां/उपक्रम, जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के पैरा 2. 17 के साथ पठित पैरा 2·16 में उल्लिखित, किसी भी मानदंड को आकर्षित नहीं करते, अपने सम्बन्धित गृह से अपना नाम हटाने के लिए, कम्पनी कार्य विभाग को पहुंच कर सकते है। इस अधिसूचना के रूप में यह हुआ कि मै० यूनीवर्सल टायर्स लि० ने इस आधार पर अपने को बिड़ला गृह से हटाये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया कि इस कम्पनी में बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड का सचिव-कोषाध्यक्षता 1 जनवरी 1969 से समाप्त हो गया था तथा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति रिपोर्ट द्वारा इस उद्देश्य के लिए उल्लिखित कोई भी मान दंड इस पर लागू नहीं होता था।

(ख) इस कम्पनी ने, मै० बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड से उस समय ब्याजमुक्त ऋण

प्राप्त किया था, जबकि यह सचिव व कोषाध्यक्ष के रूप में बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबन्धित थी। 31 दिसम्बर, 1968 तक शेष ऋण की राशि 2, 23, 199 रु० थी। कम्पनी ने, जनवरी से मई, 1969 की अवधि के मध्य, बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड से, 25,000 रु0 की सीमा तक पुनः ऋण प्राप्त किया। मै० यूनीवर्सल टायर्स लिमिटेड के तुलन-पत्र में, 31 दिसम्बर, 1969 तक भूतपूर्व सचिव व कोषाध्यक्ष को भुगतान करने के लिए शेष ऋण 2, 48, 199 रु0, दिखाये गये है।

(ग) हां, श्रीमान।

(घ) कम्पनी की इसके द्वारा भेजी गई हिस्सेधारिता प्रतिरूप तथा प्रबन्ध नियंत्रण की बाबत नवीनतम सूचना की परीक्षा से पता चला कि मै० बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लि० के 1-1-1969 से सचिव तथा कोषाध्यक्षता से हट जाने के पश्चात, मै० यूनीवर्सल टायर्स लि०, वास्तव में, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के पैरा 2·17 के साथ पठित पैरा 2·16 में उल्लिखित, इसके बिड़ला गृह से सम्बन्धित बनाने वाले किसी भी मानदण्ड को आकर्षित नहीं करता।

श्री ज्योतिर्मयबसु : विवरण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि युनिवर्सल टायर्स नामक बनावटी कम्पनी ने मै० बिड़ला ब्रार्दस से एक बार 2,23,199 रुपये का, जो अधिक भी हो सकता है, ब्याज रहित ऋण तथा दूसरी बार 25,000 रु का ऋण प्राप्त किया था और यह कि उन्होंने उस कम्पनी के सचिव तथा कोषाध्यक्ष की सेवाएं समाप्त कर दी थीं लेकिन बिड़ला ब्रादर्स ने यह राशि जिसका उल्लेख देय राशि के रूप में अब तक भी पुस्तकों तथा लेखों में है, ऋण के रूप में दी थी। इस स्थिति में सरकार ने किस मापदंड के अनुसार युनिवर्सल टायर लिमिटेड को बिड़ला हाउस में क्यों नहीं शामिल किया ?

(श्री वेदव्रत बरुआ): हमें जो सूचना मिलती है उसके अनुसार बड़े-बड़े व्यापार गृहों के आपसी सर्म्पकों के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार करना होगा। मैंने कहा है कि हमने मापदंड सम्बन्धी औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के परामर्श को स्वीकार कर लिया है। बोर्ड में प्रतिनिधित्व अथवा 33 प्रतिशत साम्य पूंजी तथा अन्य शर्तों सम्बन्धी मापदंड के अधीन यह कम्पनी नहीं आती है। यह सच है कि कम्पनी की प्रबन्ध एजेन्सी अर्थात सचिव की सेवा समाप्त होने पर भी मई, 1969 तक ऋण दिया जाता रहा लेकिन 1 जनवरी, 1969 की अवधि से सेवा त्यागने सम्बन्धी त्यागपत्र मई, 1969 में भेजा गया। इस स्थिति में कम्पनी ला-बोर्ड ने सोचा कि सम्भवतः यह मापदंड लागू नहीं किया जा सकता है। यदि इस बात का पता चला कि बिड़ला हाउस के 9.6 प्रतिशत भागीदार अधिक रुचि लेते हैं अथवा बिड़ला हाउस में कोई बेनामी या बनावटी काम हो रहा है तो कम्पनी को बिड़ला हाउस में वापिस लाने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि वे जो गड़बड़ कर रहे हैं; उसका सामना करने के लिए मापदंड सम्बन्धी मौजूदा कानून अपर्याप्त है। क्या मैं सदन का ध्यान एक ऐसे ही मापदंड की ओर आकर्षित कर सकता हूं ? मद 2.16 के उप-पैरा 4 के अनुसार, "...विशेष गुण पाये जाने पर प्रतिष्ठान के हाउस में शामिल किया जावेगा।" क्या मैं मंत्री महोदय

से पूछ सकता हूं कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए इसे हाउस में क्यों शामिल नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच करके यह जानने की कोशिश करेगी कि इन त्रुटियों को दूर किया जायेगा और कम्पनी को दंडित किया जायेगा और उसे हाउस में शामिल किया जायेगा ।

श्री वेदव्रत बरुआ : कम्पनी बिड़ला ब्रादर्स की मेनेजिंग एजेन्सी के अधीन थी जिसे समाप्त किया गया । किसी कम्पनी के किसी व्यापार गृह में शामिल करने के सम्बन्ध में कुछ विशेष शर्तें हैं जैसे कि उस कम्पनी के निदेशक बोर्ड के बहुसँख्यक सदस्यों का उस व्यापार गृह से सम्बन्ध रखना, जबकि तकनीकी दृष्टि से उस कम्पनी के मामले में ऐसा नहीं था; अथवा उस कम्पनी का नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होना जिनका उस व्यापार गृह से घनिष्ट सम्बन्ध हो, जिसके बारे में उन्होंने इस बात का खंडन किया है । विशेषरूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक निदेशक श्री रामकृष्णराव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में अंश खरीदे हैं और इसलिये इनकी स्वतंत्रता के बारे में सन्देह का लाभ उनको मिलना चाहिए और यह पता लगाने के लिये कुछ समय भी दिया जाना चाहिये कि बहुसंख्यक अंशधारी स्वतंत्रता से काम करते हैं अथवा नहीं। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : विशेष शर्तों के अनुसार...

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस निर्णय के बावजूद भी निराकरण सम्बन्धी निर्णय अंतिम नहीं । मैं यह बात फिर से कहना चाहता हूँ कि किसी समय यदि मालूम हुआ कि बिड़ला हाउस ने इस कम्पनी में काफी रुचि ली है, अथवा उनका कोई नियंत्रण है अथवा कोई नई बातें सामने आती हैं, तो चाहे उनके अंश सम्बन्धी हित पर्याप्त न भी हों, तो भी हम यथा सम्भव कदम उठायेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार इस बात की जांच करवा रही है और इस कम्पनी को हाउस में शामिल कर रही है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और सरकार किसी भी मामले में निर्णय ले सकती है । सरकार महसूस करती है कि सामने आये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित ही निर्णय लिया गया है ।

श्री के० लकप्पा : मेरे दोस्त श्री बसु ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था । लेकिन यहां एक ऐसी स्थिति है जहां बंगलौर के श्री रामकृष्णराव ने बिड़ला से हस्तांतर प्राप्त किया था । बिड़ला का इस कम्पनी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझे बताया गया है कि मोदी कम्पनी इस कार्य को बिगाड़ना चाहती है ताकि वह टायर बना सके । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि इस जांच द्वारा भी और अन्य बातों के रहते हुए, इस कम्पनी के विरुद्ध शिकायत करके और इसको बिगाड़ने के दृष्टिकोण से रामकृष्णराव द्वारा चलायी जा रही कम्पनी को मोदी कम्पनी ने लिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री वेदव्रत बरुग्रा : इस बात पर कम्पनी ला बोर्ड ने निर्णय लिया था ।... (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : मैंने मोदी कम्पनी का ज़िक्र किया था ।

श्री वेदव्रत बरुग्रा : हमें श्री मोदी की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है । जनवरी 1970 में सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार कम्पनी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर निर्णय लिया गया था ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि कम्पनी ला बोर्ड में अपने से पहले क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय ने इस फाइल को पढ़ा अथवा औद्योगिक विकास मंत्रालय में आने से पहले कम्पनी ला बोर्ड ने इसे पढ़ा; और क्या उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि बिड़ला के प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ सम्बन्धी संदेह होने पर इस मामले में जांच होगी ।

श्री वेदव्रत बरुग्रा : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, इस मामले पर कम्पनी कार्य विभाग में निर्णय लिया गया क्योंकि इस विभाग पर इस विशेष पहलू सम्बन्धी कानून के लागू करने का प्रभार है । जब यह कम्पनी बड़े व्यापार गृह से मुक्त हो जाये तो उसी समय लाइसेन्स तथा अन्य मामलों सम्बन्धी प्रश्न औद्योगिक लाइसेन्सिग समिति के पास जायेगा ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि इस कम्पनी में बिड़ला का हाथ नज़र आये तो जांच की आवश्यकता नहीं होगी, सरकार अपनी इच्छा से कार्यवाही कर सकेगी तथा कम्पनी को बड़े व्यापार गृह में ला सकेगी ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड से आयकर की वसूली

*433. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड से आयकर की कितनी धनराशी वसूल की जानी है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1971 के "बिल्ट्ज" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी पर आयकर के रूप में 1. 14 करोड़ रुपये बकाया हैं ;

(ग) उक्त धन राशि कब से बकाया है; और

(घ) उक्त धन राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स बर्ड एण्ड कं० लि० से वसूल की जाने वाली आयकर की रकम 6. 66 लाख रु० है ।

(ख) जी हाँ। किन्तु बकाया आयकर की सही रकम 6.66 लाख रु० है, 1.14 करोड़ रु० नहीं।

(ग) 6.66 लाख रु० की कुल माँग में से 5.27 लाख रु० की मांग 31 जुलाई, 1967 को जारी की गई थी और शेष 1.39 लाख रु० की मांग 6 मार्च, 1970 को।

(घ) उपर्युक्त 5.27 लाख रु० की प्रथम मांग की वसूली कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय ने तब तक के लिए स्थगित कर दी है जब तक उस न्यायालय द्वारा निर्धारित की रिट-याचिका को निपटाया नहीं जाता। 1.39 लाख रु० की दूसरी माँग की वसूली, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के पास दायर की गई अपील का निपटान होने तक स्थगित रखी गई थी। अब इस अपील पर फैसला हो चुका है और अपीलीय आदेश 13 मई, 1971 को प्राप्त हो गया है। इस अपील-आदेश के परिणामत: 1.93 लाख रु० की माँग घट कर लगभग 92, 000 रु० रह गयी है। अपील आदेशों पर व्यापक रूप से अमल करने के बाद, इस रकम को वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री के० लकप्पा : यह आज़ाद देश है, एक ऐसा देश जिसमें कर अपवंचन-कर्ता रहते हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय नये कर लगा रहे हैं। मेरे पास बर्ड एण्ड कम्पनी की छल-कपट पूर्ण गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्री है। मार्च, 1963 में सीमाशुल्क अधिकारियों ने समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का उल्लंन करने के लिए इस कम्पनी पर छापा मारा। इस कम्पनी के निदेशकों की पत्नियों को भी मासिक वेतन मिलता है जैसे कि ये कम्पनी के प्रबन्धकों में से हों। वास्तव में ये दफ्तर में जाती तक नहीं। कर अपवंचन के लिए इस सीमा तक काम किया जाता है। देश के मूल्याँकन अधिकारियों ने क्या इस कम्पनी का मूल्यांकन नहीं किया ? इस कम्पनी द्वारा कर अदायगी को टालने से क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्बद्ध हैं ? सरकार की प्रतिक्रिया क्या है...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होने जा रहा है। आप उत्तर चाहते हैं या नहीं ?

श्री के० लकप्पा : इस कम्पनी की काली करतूतों की जाँच करने के लिये क्या मंत्रालय कोई जांच करवायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं प्रश्नकाल समाप्त होने की घोषणा कर दूं ? मैं आप को कुछ दंडित करना चाहता हूं।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन् मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने बर्ड एण्ड कम्पनी की सारी करतूतें सदन के सामने रख दी हैं। यह प्रश्न आयकर बकाया से सम्बन्धित है। जो सूचना इन्होंने उपलब्ध की है वह काफी लाभदायक है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकार ऐसे गृहों की गतिविधियों की ओर जाँच करवायेगी। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इण्डियन एयरलाइन्स के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने सम्बन्धी समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधि

*422. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के प्रशासनिक ढांचे का विशेषकर मजदूरों और मालिकों के बीच विवादों का, अध्ययन करने के लिए पांच सदस्यों की एक समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति में मजदूरों के किसी प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . प्रबन्ध से संबंधित अनेक शाखाओं के विशेषज्ञ समिति में शामिल हैं। क्योंकि समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले संघों एवं अन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विनियम करती है अतः समिति में विशेष रूप से कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

एयर इण्डिया द्वारा संचालित मद्रास-सिंगापुर विमान सेवा से लाभ

*423. **श्री रतन लाल ब्राह्मण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा संचालित मद्रास-सिंगापुर विमान सेवा को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर में संभाव्य मार्गों का उपयोग करने के लिए सरकार की कोई दीर्घावधि योजना है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) इस मार्ग पर वहन किये गए भार अनुपात सदा संतोषप्रद रहे हैं, तथा उनमें और भी सुधार करने की हर कोशिश की जा रही है ।

(ख) और (ग). यद्यपि कोई योजना औपचारिक रूप से तैयार नहीं की गयी है, मामले का समय समय पर पुनरावलोकन किया जाता है ।

छोटे नगरों और कस्बों में नये हवाई अड्डों का निर्माण

*427. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवा का विस्तार करने के उद्देश्य से उनके मंत्रालय ने छोटे नगरों और कस्बों में नये हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). तिरुपति में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और उसके मार्च, 1972 तक पूरा हो जाने की आशा है। बारापानी का हवाई अड्डा योजना की अवधि के अंत तक पूरा नहीं किया जा सकेगा । कालीकट के समीप एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये भूमि का अभिग्रहण किया जा चुका है, तथा इसे समतल करने के कार्य में दो से तीन वर्ष तक लग जाने की सम्भावना है । वास्तविक निर्माण कार्य उसके उपरांत ही प्रारम्भ हो सकेगा ।

Closure of Gurukul Kangri Uuiversity

*434. **Shri R.C. Vikal** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the date from which Gurukul Kangri University was closed and the reasons therefore ; and

(b) the measures taken by the Central Government to streamline the management of Gurukul Kangri University and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to the information furnished by the Registrar, Gurukul Kangri Vishwavidyalya, the Vishwavidyalaya was not closed for a single day since April, 1970.

(b) The University Grants Commission had, in pursuance of its policy, appointed a Committee to review the working of the Vishwavidyalaya. The Committee, which visited

the Vishwavidyalaya in the last week cf April, is expected to submit its report shortly. Further action will be decided upon on receipt of the recommendations of the Committee and of the Commission.

शंकर शुगर मिल्स, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक और उप-प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

*435. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शंकर शुगर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता गत कुछ वर्षों से हानि की घोषणा करती रही है और लाभांश का भुगतान नहीं कर रही है।

(ख) क्या कम्पनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद कम्पनी विधि बोर्ड ने श्री के० के० कनोडिया और श्री वी० के० कैजरिवाल को बहुत अधिक वेतन और उपलब्धियों पर क्रमशः प्रबन्ध निदेशक और उप-प्रबन्ध निदेशक के पदों पर नियुक्त करने की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी विधि बोर्ड ने इन शर्तों पर उनकी नियुक्ति की स्वीकृति किस आधार पर दी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 30 सितम्बर, 1967, 30 सितम्बर, 1968 तथा 30 सितम्बर, 1969 के तीन वर्ष समाप्ति के मध्य, इस कम्पनी द्वारा भेजी गई, इसकी लाभ और हानि की स्थिति प्रदर्शित करता हुआ, एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है। कम्पनी ने 30 सितम्बर, 1967 तथा 30 सितम्बर, 1968 की वर्ष समाप्ति के मध्य, 10 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित किये थे। 30 सितम्बर, 1969 की वर्ष समाप्ति में कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था।

(ख) तथा (ग). कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार करते समय, इसकी आर्थिक स्थिति, इसका परिमाण तथा इसके कार्य-परिणाम सहित, अनेक सम्बन्धित, कारकों पर विचार किया था।

कम्पनी विधि बोर्ड के परामर्श पर, कम्पनी ने इसके द्वारा पहले के प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक तथा उप-प्रबन्ध निदेशक के पारिश्रमिक को अत्यधिक न्यून कर दिया था। घटा हुआ प्रस्तावित पारिश्रमिक कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, क्योंकि प्रबन्ध निदेशकों को दिया जाने वाला यह कुल पारिश्रमिक, प्रबन्ध अभिकरण को दिये गए कमीशन से न्यूनतर था, जब कि कम्पनी प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा प्रबन्धित होती थी।

विवरण

1 अक्तूबर, 1966 से 30 सितम्बर, 1969 की अवधि के मध्य, शंकर शुगर मिल्स लिमिटेड के कार्य-परिणाम दिखाता हुआ विवरण-पत्र

	वर्ष समाप्ति		
	30-9-67	30-9-68	30-9-69
	रु०	रु०	रु०
1—प्रदत्त पूंजी	18,20,000	18,20,000	18,20,000
2—व्यापारावर्त	1,80,50,504	282,45,538	232,96,458
3—धारा 198 के अन्तर्गत शुद्ध लाभ	14,61,133	18,38,140	3,99,155
4—निदेशकों का पारिश्रमिक			
(क) बैठक फीस	2,700	3,275	2,100
(ख) कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ग) प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों/प्रबन्धकों का पारिश्रमिक			
(1) वेतन (2) कमीशन (3) परिलब्धियां तथा इसका रौप्य मूल्य	,,	,,	,,
5—इक्विटी हिस्सों पर घोषित लाभांश (दर तथा मात्रा)	10 प्रतिशत 1,82,000 रु0	10 प्रतिशत 1,82,000 रु0	कुछ नहीं —

Cultural Exchange Programme with Foreign Countries

* 436. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri P. Narasimha Reddy :

Will the Minister of **Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any cultural exchange programme with the foreign countries ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the nature of benefit India is likely to derive therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) & (b). Yes, Sir. India has regular cultural exchange programmes with Romania, Poland, Czechoslovakia, U.S.S.R., Yugoslavia, Mongolia, Hungary, Bulgaria, France and German Democratic Republic. These programmes envisage exchange of personnel publications and materials in the fields of education, science, technology, art, culture, sports, radio, films, television etc.

(c) Indian visitors who go to various countries under the cultural exchange programmes are enriched in the fields of their specialisation. The knowledge and experience acquired by them is utilised in India in the various developmental schemes/projects. Visits of foreign cultrural delegations provide our people a window on their culture. These programmes also help strengthen friendly relations with the countries concerned.

अमरीका से ऋण के लिए करार

*437. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 116.25 करोड़ रुपये के गैर-परियोजना ऋण के लिए हाल ही में अमरीका के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) 1962 से अब तक अमरीका द्वारा भारत को कुल कितना गैर-परियोजना ऋण दिया गया है;

(ग) इस वर्तमान ऋण का उपयोग किन परियोजनाओं के लिए किया जाना है; और

(घ) अमरीका द्वारा पहले दिए गए गैर-परियोजना ऋणों की राशि में से यदि किसी राशि का उपयोग नहीं किया गया है, तो वह कितनी है और उसका उपयोग किस ढंग से किया गया अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 13 मार्च, 1971 को अमेरिका की सरकार के साथ 116.25 करोड़ रुपये (15.50 करोड़ डालर) के एक प्रायोजना-भिन्न ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गए थे। 22-4-1971 को एक संशोधन करार पर हस्ताक्षर किये गए जिसके अन्तर्गत ऋण की रकम बढ़ा कर 127.50 करोड़ रुपये (17.00 करोड़ डालर) कर दी गयी।

(ख) 1962 से अमेरिका द्वारा भारत को दिए गए प्रायोजना-भिन्न ऋणों की कुल रकम 1343.0 करोड़ रुपये बैठती है।

(ग) वर्तमान ऋण किसी विशेष प्रायोजना के लिए नहीं है और इसका उपयोग उर्वरकों, औद्योगिक कच्चे माल, अनुरक्षण सम्बन्धी फालतू पुर्जों आदि जैसी वस्तुओं का आयात करने के लिए किया जायगा।

(घ) पहली मई, 1971 को पहले के प्रायोजना-भिन्न ऋणों से उपयोग में न लायी गयी शेष रकम 84 करोड़ रुपए (11.19 करोड़ डालर) बैठती थी। यह रकम पूरी तरह आयात सम्बन्धी सिफारिशों के अंतर्गत आती है और आशा है कि इसका यथा-समय उपयोग किया जायगा।

मैसूर में पर्यटकों के लिए अपर्याप्त सुविधाएं

*438. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पर्यटकों के लिए मैसूर में उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाओं की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सरकार मैसूर सहित समस्त देश में आवास तथा परिवहन सुविधाओं की सामान्य अपर्याप्तता के प्रति सचेत है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत मैसूर राज्य में निम्नलिखित योजनायें हाथ में ली गई हैं:–

(1) हाल ही में बंगलौर में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एक 91 कमरों का 'लग्ज़री' होटल खोला गया है।

(2) हाम्पी में एक युवा होस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

(3) हस्सन के यात्री लाज में 20 कमरों की वृद्धि की जा रही है।

फ्लाइंग क्लबों में बढ़े हुए शुल्क के विरुद्ध अभ्यावेदन

*439. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लाइंग क्लबों ने 27 फरवरी, 1971 से अपने शुल्क को 25 रुपया और 40 रुपया प्रति घन्टे से बढ़ा कर 105 रुपया प्रति घन्टा कर दिया है; यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या करण हैं;

(ख) क्या सरकार को शुल्क की वृद्धि के संबंध में नागर विमानन के महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध कोओपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब, उत्तर प्रदेश की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) उपदान प्राप्त उड़ान के लिए प्रति घण्टे की शुल्क-दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु वाणिज्यिक विमानचालन लाइसेन्स-धारियों में फैली हुई वर्तमान बेकारी को दृष्टि में रखते हुए, 1 अप्रैल, 1971 से व्यक्तिगत प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपदान प्राप्त उड़ान की सुविधा को निजी विमानचालन के लाइसेन्स स्तर तक (अर्थात् 60 घण्टों तक) सीमित कर दिया गया है।

(ख) और (ग). इस विषय में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और मामले पर पुनः विचार के बाद ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने अपना निजी विमानचालन लाइसेन्स प्राप्त कर लिया था और 31 मार्च, 1970 को 150 घण्टों की उड़ान पूरी कर ली थी, उन्हें सामान्य शर्तों को पूरा करने की अवस्था में 250 घण्टों की अधिकतम उड़ान के लिए उपदान प्राप्त उड़ान की सुविधा से लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। उक्त तारीख को जिन प्रशिक्षणार्थियों ने 150 घण्टे की उड़ान पूरी नहीं की थी, वे आगे की उड़ान 75 रुपये प्रति घण्टे की उपदान-रहित शुल्क दर पर उड़ान कर सकते हैं।

तकनीशियनों और इंजीनियरों के लिए ऋण योजना

*440. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक गारण्टी ऋण योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है, जिसके अन्तर्गत तकनीशियनों और इंजीनियरों को उद्योग आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऐसा ऋण दिया जाएगा जिसके लिए सरकार जमानत देगी।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी पूंजी लगाने का विचार है ; और

(ग) योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). भारतीय ऋण गारण्टी निगम (लिमिटेड) ने बैंकों के द्वारा कुछ प्राथमिकता प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों की गारन्टी देने के लिए एक नई ऋण गारण्टी योजना चालू की है। लघु उद्योगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक वित्त विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक ऋण गारण्टी योजना भी है। इन गारण्टी योजनाओं से प्राथमिकता प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को जिनमें तकनीशियन और इंजीनियर आदि भी शामिल हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आसानी हो जायगी।

राज्यों को विदेशी मुद्रा का नियतन

*441. **श्री मुरासौली मारन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है जिसे वे स्वयं ही विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च कर सकेंगी ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस आशय का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). समय-समय पर कुछ राज्य सरकारों ने यह प्रश्न उठाया है। विदेशी

मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली सहायता के उपयोग के बारे में अपनायी जाने वाली पद्धतियों की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को विदेशी मुद्रा का एकमुश्त आवंटन करना व्यवहार्य नहीं है। राज्य सरकारों से विदेशी मुद्रा के लिए जो अनुरोध प्राप्त होते हैं उन पर वर्तमान नीतियों के अनुसार ही विचार किया जाता है और जहां तक सम्भव होता है राज्य सरकारों की सहायता भी की जाती है।

जमा राशियों पर ब्याज की दर

*442. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक दर में वृद्धि किए जाने के साथ-साथ जमा राशियों पर ब्याज की दर भी बढ़ाई गयी है, और

(ख) यदि हां, तो वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत के मुख्य अनुसूचित बैंकों में जमा रकमों पर ब्याज की दरें।

जमा की श्रेणी	पहली अप्रैल, 1970 से प्रभावी	11 जनवरी 1971 से प्रभावी
		(प्रति-वर्ष प्रतिशत)
चालू खाता तथा 14 दिनों तक जमा रकमें	कोई ब्याज नहीं	कोई ब्याज नहीं
बचत खाता	$3\frac{1}{2}$	4
15 दिनों से 45 दिनों तक जमा रकमों पर	दर $1\frac{1}{4}$ से अधिक नहीं	दर 2 प्रतिशत से अधिक नहीं
46 दिनों से 90 दिनों तक जमा रकमों पर	$2\frac{1}{2}$	3
91 दिन या उससे अधिक लेकिन छः माह से कम जमा पर	4	$4\frac{1}{4}$
6 महीने या उससे अधिक लेकिन 9 महीने से कम जमा पर	$4\frac{1}{2}$	$4\frac{3}{4}$

जमा की श्रेणी	पहली अप्रैल, 1970 से प्रभावी	11 जनवरी, 1971 से प्रभावी
	(प्रति वर्ष प्रतिशत)	
9 महीने या उससे अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम जमा पर	5	$5\frac{1}{4}$
एक वर्ष या उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	$5\frac{1}{2}$	6
दो वर्ष या उससे अधिक लेकिन तीन वर्ष तक जिसमें तीन वर्ष की अवधि शामिल है	6	$6\frac{1}{2}$
तीन वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष तक की जमा रकमों पर जिसमें 5 वर्ष की अवधि भी शामिल है	$6\frac{1}{2}$	7
5 वर्ष से अधिक की जमा रकमों पर	$6\frac{3}{4}$ (6 वर्ष तक जिसमें 6 वर्ष शामिल हैं) 7 (6 वर्ष से अधिक पर)	$7\frac{1}{4}$

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में हिन्दी का प्रयोग

*443. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बैंक में राजभाषा में आये पत्रों का उत्तर देने के मामले पर पुर्नविचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो हिन्दी का काम निपटाने के लिए क्या अपेक्षित व्यवस्था बैंक में अब विद्यमान है और यदि हाँ तो किस प्रकार की और किस सीमा तक; और

(ग) क्या अन्य बैंकों में भी ऐसी ही सुविधाएँ उपलब्ध हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के लोक लेखा विभाग में इस बात की व्यवस्था की जा चुकी है कि जब कभी आवश्यक हो तो आदान/वितरण अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने हिन्दी में रखे जाएं और उन चैकों को स्वीकार किया जाए और पास किया जाए जिन पर चैक काटने वाले के अथवा चैक की रकम पाने वाले के पृष्ठांकन हिन्दी में हों। इसके अतिरिक्त चैक के साथ

लेन देन करने के लिए जनता को जिन प्रमाणिक पत्रों (फार्मों) की जरूरत पड़ती है वे भी जब हिन्दी में मांगे जाते हैं, तो उन्हें उपलब्ध किया जा रहा है।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों ने सामान्यतः ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे प्रपत्र (फार्म), पुस्तिकाएं (पैम्फलेट) और अन्य साहित्य का प्रयोग अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में और/अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋण

*** 444. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि ऋण की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करने में समर्थ हैं;

(ख) किन क्षेत्रों में ये शाखाएं ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं, और

(ग) किन क्षेत्रों में दिए गये ऋणों को नियमित रूप से नहीं लौटाया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। कृषि ऋण की आवश्यकता बहुत बड़ी है और राष्ट्रीयकृत बैंकों की देहाती क्षेत्रों की शाखाओं से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे स्वयं इन आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करने में समर्थ हैं,

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) ऋणों की नियमित अथवा अनियमित वापसी कई कारणों पर निर्भर है और यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष क्षेत्र से ही अनियमित वापसी होती है

अमरीकी डालर का रुपये में मूल्य

*** 445. श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि खुले बाजार में और चोरबाजार में अमरीकी डालर के रुपयों में वर्तमान मूल्य से कठिनाइयां पैदा हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने डालरों में चोरबाजारी समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत विदेशी मुद्रा के कथित अनधिकृत लेन-देनों और सरकारी विनिमय दर तथा खुले बाजार में प्रचलित विनिमय दरों के बीच बताए गए अन्तर की ओर है। सभी अधिकृत लेन-देन सरकारी विनिमय दर के आधार पर ही किए जाते हैं। गैर सरकारी विनिमय दरों का सम्बन्ध ऐसे लेनदेनों से होता है, यदि कोई हों, जो विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विनियमों का उल्लंघन करके किए जाते हैं। देश

के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समूचे लेन-देनों के संदर्भ में इस प्रकार के अवैध लेन-देन निश्चय ही इक्का-दुक्का तथा बहुत ही थोड़ी संख्या में होते हैं।

सरकार के प्रवर्तन अधिकारी इस सम्बन्ध में निरन्तर जागरूक रहते हैं और जो भी मामले उनकी नजर में आते हैं वे उनके बारे में कार्यवाही करते हैं। कानून के वर्तमान उपबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ संवैधानिक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का राजसहायता प्राप्त प्रकाशन

* 446. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री अमर नाथ चावला :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए राज-सहायता देने का कोई योजना लागू की है ;

(ख) किन-किन विषयों पर अब तक उक्त पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं;

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना पर प्रतिवर्ष कितना खर्चा किया जाएगा और क्या इस प्रयोजन के लिए नियत की गई राशि पर्याप्त है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 385/71]

(घ) इस योजना को अमल में लाने के लिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में तीन करोड़ रुपये की और 1971-72 के बजट प्राक्कलनों में 10.00 लाख रुपये की व्यवस्था है। प्रत्येक वर्ष के लिए व्यवस्था, खर्च की गई राशि के अनुसार साल-दर-साल के आधार पर की जाएगी।

Proposal to Develop New Places as Tourist Centres in Madhya Pradesh.

* 447. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop some places as tourist Centres in Madhya Pradesh during the current year ; and

(b) if so, the names thereof, district-wise ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) . Yes, Sir. Tourist facilities will be provided at Khajuraho, Kanha-Kisli National Park Sanchi and Bhopal.

Assistance to Malaysian Air Service by Air India

*448. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Air India has made an offer to help the Malaysian Air Service ; and

(b) if so, the nature of assisstance to be provided ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) . In response to request made by the Government of Malaysia, an officer each from Air-India and Indian Airlines were deputed to Malaysia to assist the Malaysian Government to prepare a blue print for the establishment of a national airline. The officers have submitted their report which is under the consideration of the Malaysian Government. Air-India has also expressed its willingness to render such technical and managerial assistance to the Malaysian airlines as may be required.

बिजली गिरने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स बोइंग 737 विमान का क्षतिग्रस्त होना

* 449. **श्री डा० कर्णी सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का एक बोइंग 737 विमान बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उड़ान के बीच उसके दबाव यंत्र ने भी काम करना बन्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि विमान की बोंडिंग, जो बिजली गिरने के खतरे से विमानों की रक्षा करती है समुचित रूप से नहीं की गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस मामले में नागर विमानन विभाग द्वारा की गयी छान-बीन से विमान पर बिजली गिरने का कोई प्रमाण नहीं मिलता ।

(ख) विमान की 'बोंडिंग' में कोई खराबी नहीं थी ।

केरल की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक

*450. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कितने विदेशी पर्यटकों ने केरल की यात्रा की ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). क्योंकि आने वाले पर्यटकों के आंकड़े और विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान अखिल-भारतीय आधार पर लगाया जाता है, न कि राज्यवार आधार पर, अत: पिछले दो वर्षों में कितने पर्यटकों ने केरल की यात्रा की, और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

कोकिंग कोयला वाली कोयला खानों को दिया गया ऋण

887. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोकिंग कोयला उत्पादन करने वाली उन कोयला खानों की संख्या क्या है, जिन्हें ऋण के रूप में 1969 से लेकर अब तक पांच लाख रुपये से अधिक की राशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : कोकिंग कोयला उत्पादन करने वाली कोयला खानों को दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों के विकास हेतु ऋण

1888. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों के विकास हेतु अपेक्षित ऋणों के कोई मामले विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन ऐसे मामलों की संख्या क्या है और वे कितनी धनराशि के लिए हैं ; और

(ग) यह मामले कब से विचाराधीन हैं और इन ऋणों के दिए जाने की अवस्था में कितने और लोगों को प्रत्यक्षतया अथवा अप्रत्यक्षतया रोजगार मिलेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, जैसे ही उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर के बकाया की वसूली हेतु नीलामी

1889. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पार्टियों से हजारों रुपयों के आयकर की बकाया राशि की वसूली हेतु कर वसूली अधिकारी, नई दिल्ली ने 3 मार्च, 1971 को एक नीलामी भी की थी ;

(ख) यदि हां, तो मांग का वास्तविक स्वरूप क्या था, पार्टियों के नाम क्या हैं और इस सार्वजनिक नीलामी से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ; और

(ग) अधिकारियों द्वारा यह तरीका अपनाने के क्या कारण हैं और क्या अपनी बकाया राशियों की किश्तों में अदायगी करने के लिए पार्टियों ने अतिरिक्त समय की मांग की थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। जायदाद सं० 112-113, गौतम नगर, नई दिल्ली की नीलामी की गई थी।

(ख) सूचना नीचे दिये अनुसार है :

पार्टी का नाम	मांग का वास्तविक स्वरूप	इस सार्वजनिक नीलामी में प्राप्त वास्तविक रकम
1	2	3
श्री एम० आर० धवन मालिक, मैसर्स एम० आर० धवन एण्ड कं०, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	31 मार्च, 1970 को 33,63,119 रु० की आयकर बकाया	कुछ नहीं, क्योंकि 1,25,000 रु० की सर्वाधिक बोली, अपर्याप्त होने के कारण, कर वसूली अधिकारी द्वारा रद्द कर दी गई।

(ग) निर्धारिती कई वर्षों से आय-कर की भारी बकाया की अदायगी नहीं कर रहा था। उसने आयकर की बकाया की अदायगी को किस्तों में देने की भी आय-कर प्राधिकारियों से कोई प्रार्थना नहीं की थी ; इसके विपरीत आयकर अधिकारियों ने कई बार उसके साथ बकाया की वसूली से संबंधित प्रश्न पर विचार-विमर्श किया, लेकिन निर्धारिती ने सहयोग नहीं दिया। जायदाद की बिक्री शुरू में 17 नवम्बर, 1970 को की जानी थी, परन्तु इसे निर्धारिती की विशिष्ट प्रार्थना पर स्थगित रखा गया, क्योंकि निर्धारिती स्वयं बातचीत द्वारा जायदाद की बिक्री के लिए खरीदार ढूंढ़ना चाहता था। लेकिन इस संबंध में न तो निर्धारिती द्वारा कोई खास कोशिश की गई और न ही कोई ठोस प्रस्ताव सामने रखा गया। इस प्रकार राजस्व के हित में नीलामी द्वारा बिक्री का तरीका अपनाना पड़ा।

उड़ीसा के जिला बालासौर में चांदवाली में पत्तन निर्माण की व्यवस्था

1890. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी भाग में परिवहन सुविधाओं और नौसेना को मजबूत बनाने

के उद्देश्य से उड़ीसा के बालासौर जिले में चांदवाली में एक पत्तन के निर्माण की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व संबंधित सरकार का है । परन्तु प्रत्येक समुद्री राज्य में एक चुने हुये पत्तन के विकास के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को ऋण देती है । इस प्रयोजन से उड़ीसा में गोपालपुर को चुना गया है। जहां तक चांदवाली का संबंध है उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस पत्तन के विकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है ।

दिल्ली में शिक्षा सुविधाएं

1891. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में स्कूल और कालिज की शिक्षा सुविधाओं की बढ़ती हुई आवश्यकता से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भविष्य के लिये क्या योजनाएं हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सँस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना दिल्ली के शैक्षिक प्राधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे स्नातकों द्वारा विशेष वेतन वृद्धियों की मांग

1892. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम में कार्य करने वाले स्नातक निगम से अपने लिए विशेष वेतन वृद्धियों की मांग करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मांग को मान लेने पर प्रति वर्ष कितना आवर्ती व्यय होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). जीवन बीमा निगम, सहायकों के संवर्ग में भरती किए गए स्नातकों को, सेवा में स्थायीकरण के समय, दो विशेष वेतन वृद्धियाँ देता रहा है । लेकिन, इस प्रकार की वेतन वृद्धि उन कर्मचारियों को नहीं दी गई जिन्होंने सेवा में आने के बाद

डिग्री परीक्षा पास की, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इस प्रकार का प्रोत्साहन देने से विशेषतया परीक्षा के महीनों में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में जीवन बीमा निगम ने अंशकालिक अध्ययन जारी रखने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाने के संबंध में नीति विषयक निर्णय किया है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए निगम ने अब यह निर्णय किया है कि 1-4-71 से उन सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धियां दी जायेंगी जिन्होंने सहायकों के ग्रेड में रहते हुए 1-9-1956 के बाद स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और जिन्हें स्नातक बन जाने पर विशेष वेतन वृद्धियां नहीं मिली थीं। लेकिन, यह लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्होंने डिग्री की शैक्षणिक योग्यता अनुभागाध्यक्षों, उच्चतर ग्रेड के सहायकों, अधीक्षकों के जैसे उच्चतर संवर्गों में पदोन्नत किये जाने के बाद प्राप्त की हो।

(ग) (लगभग) 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष।

अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी कम्पनियों द्वारा भाड़े की दरों में वृद्धि रखने हेतु कानून

1893. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी कम्पनियों द्वारा, जिनके जहाज भारतीय बन्दरगाहों तक आते हैं, भाड़े की दरों में वृद्धि करने पर नियन्त्रण करने के विचार से सरकार का कोई कानून बनाने का विचार है ; और

(ख) क्या जहाजरानी कम्पनियों के सम्मेलन द्वारा भाड़े में 15 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करने के विचार के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय ऐसे कानून बनाने का कोई विचार नहीं है।

(ख) भारत यू० के० सम्मेलन द्वारा 15 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि पर एक सरकारी शिष्ट मंडल हाल में इस महीने की 11 और 12 तारीख को विचार विमर्श कर रहा है और इन विचार विमर्शों के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

Grants to Universities in Madhya Pradesh for Library Building

1894. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the Universities in Madhya Pradesh which have requested the University Grants Commission to give grants for their library buildings ;

(b) the action taken by the Commission on the said applications ; and

(c) since when such cases are pending with the Commission ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c). A statement showing the grants

sanctioned and paid to the Universities in Madhya Pradesh by the University Grants Commission for the construction of library buildings is attached.

No proposal in this regard is pending with the Commission.

Statement

S. No.	Name of the University	Approved cost	U.G.C. share	Grants paid upto 4-6-71
1	2	3	4	5
		Rs	Rs	Rs
1.	Indore University	15,59,250	10,00,000	1,50,000
2.	Jabalpur University	8,34.336	5,56.224	5,00,000
3.	Jiwaji University	*11,09,900	*6,21,000	*50,000
4.	Ravishankar University	6,50,000	4,35,000	4,30,000
5.	Sagar University	5,72,600	3,72,600	3,72,600
6.	Vikram University	8,41,488	4,20,744	4,15,000

भारत और रूस के बीच सहयोग से सम्बन्धित करार के अन्तर्गत भारतीय जनों का रूस का दौरा

1895. **श्री सरजू पांडे :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान प्रोद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में भारत सरकार और रूस के बीच 12 फरवरी, 1960 को हुए सहयोग संबंधी करारों के अन्तर्गत इसके लागू होने की तिथि से भारत से कितने स्नातक-पूर्व विद्यार्थी, स्नातकोत्तर विद्यार्थी शोध कर्त्ता (डाक्टरी) और डाक्टरोत्तर शोध-कर्त्ता रूस गये ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार और राज्यवार ऐसे कितने व्यक्ति रूस गए ; और

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितने-कितने व्यक्ति वहां कितनी कितनी अवधि तक रहे, विभिन्न विश्वविद्यालयों से गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कृषि विषयों के मामले में फसलवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

* Includes purchase of furniture.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) :

(क)	स्नातक पूर्व छात्र	कोई नहीं
	स्नातकोत्तर छात्र	4
	शोध कर्त्ता, (डाक्टरी)	233
	शोध कर्त्ता उच्च विशिष्टता के हेतु	57
	रूसी अनुवाद प्रविधियों में प्रशिक्षण	3
		297

(ख) विवरण संलग्न है। [(**विवरण 1**) **ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 386/71]

(ग) विवरण संलग्न है। [(**विवरण 2**) **ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 386/71]

पालम हवाई अड्डे पर निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

1896. **श्री दलीप सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने जनवरी, 1971 में पालम हवाई अड्डे पर कुछ ऐसा निषिद्ध माल पकड़ा था जिसे नाइजीरिया राजनयिक मिशन के एक अधिकारी ने आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस आयातकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा जनवरी 1971 के महीने में कुछ माल पकड़ा गया था। इस मामले में नाइजीरिया के उच्च आयोग ने भारत सरकार को पूरा सहयोग दिया और सम्बन्धित अधिकारी ने उसके कुछ ही समय बाद भारत छोड़ दिया है।

प्रायोगिक परिवार योजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

1897. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा भारत के कुछ राज्यों में प्रायोगिक परिवार परियोजनाओं के लिए सहायता देने की कोई पेशकश की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश तथा मैसूर के चुने हुए जिलों में विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्रस्तावित सहायता के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम की एक जोरदार प्रायोजना शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस प्रायोजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत में एल० एस० डी० के बिक्री के अड्डे

1898. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवयुवकों को एल० एस० डी० बेचने वाले अड्डे विभिन्न नगरों में स्थापित हो गए हैं और हमारे देश में नारकोटिक्स का व्यापार बढ़ता जा रहा है ;

(ख) क्या नारकोटिक्स औषधियों के इस व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं ; और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नवयुवकों को एल० एस० डी० बेचने के लिए इस देश में विभिन्न शहरों में अड्डे स्थापित हो गये हैं।

नारकोटिक्स के व्यापार के बारे में (एल० एस० डी० एक साइकोट्रोपिक पदार्थ है), विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त पिछले चार वर्षों की रिपोर्टों से यह विदित होता है कि नारकोटिक्स के व्यापार में वृद्धि हो रही है।

(ख) जी, हाँ। नारकोटिक्स का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है।

(ग) नारकोटिक्स के अवैध व्यापार को रोकने से सम्बन्धित राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार, दोनों की सारी प्रवर्तन एजेन्सियां, जैसे राज्य आबकारी विभाग, पुलिस, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा शुल्क सुरक्षा दल तथा रेलवे सुरक्षा दल सतर्क हैं। अफीम उगाने वाले क्षेत्रों में निवारक उपायों को दृढ़ कर दिया गया है। स्थल सीमाओं तथा समुद्र-तट के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों पर तस्कर आयात-निर्यात विरोधी सामान्य उपायों को भी सुदृढ़ बना दिया गया है

हरिजन तथा जन जातीय छात्रों को छात्रवृत्तियां

1899. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हरिजन और वनों के जन जातीय छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की राशि और संख्या व्यक्तिगत छात्रों के संदर्भ में कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक कमी हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सभी छात्रों को (चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो) मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजना के अधीन उस योजना में दी गई दरों के अनुसार छात्र-वृत्तियां दी जानी होती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में स्थायी दायित्व शिविरों की शोचनीय दशा

1900. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति ने, स्थायी दायित्व शिविरों की शोचनीय दशा के कारण उनमें रहने वाले शरणार्थियों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) शिविरों को रहने योग्य स्थान न बनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन शिविरों में तत्काल मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। समिति की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई है।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय सरकार वार्षिक मरम्मत के लिए धन देती है और जब कभी राज्य सरकार, जिस पर इन गृहों को चलाने और अनुरक्षण का मुख्य उत्तरदायित्व है, चाहती है केन्द्रीय सरकार आवधिक और तत्कालिक मरम्मत के लिए भी अतिरिक्त धन देती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के नए भवन के स्थापना स्थल पर पुरातात्विक खोज

1901. **श्री राज सिंह देव** : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस स्थान पर दिल्ली उच्च न्यायालय के नये भवन का निर्माण किया जाना है उस स्थान पर महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उस स्थान पर और खुदाई करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि स्थल की और अधिक खुदाई की जाय और यह कार्य 15 जुलाई, 1971 तक समाप्त किया जाय। तथापि, इस समय स्थल सेना प्राधिकारियों के कब्जे में है और इस स्थल को खाली करवाने के लिए रक्षा मंत्रालय से पत्र-व्यवहार किया गया है। जैसे ही सेना प्राधिकारी यह स्थल खाली करेंगे वैसे ही खुदाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की अदायगी

1903. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को कोई ऐसा निर्देश जारी किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई अंतरिम राहत उपक्रमों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों (प्रति मास 1250 रुपये तक वेतन पाने वालों) को दी जाय ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्देश की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में एकरूपता नही बरती जा रही है और बहुत से मामलों में सम्बद्ध कर्मचारियों को यह अंतरिम राहत 1 अप्रैल, 1970 से न दी जाकर बाद की तिथि या तिथियों से दी जा रही है जिसके कारण कर्मचारियों में गम्भीर असन्तोष उत्पन्न हो रहा है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . अंतरिम सहायता मंजूर किए जाने के संबंध में तीसरे वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और उनके संबंध में सरकार द्वारा किए गए निर्णय केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसलिए इस विषय में, सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों के नाम कोई अनुदेश जारी करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) चूंकि, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का सिलसिला, वेतन बोर्डों और श्रमिक न्यायाधिकारणों के पंचाटों, द्विपक्षीय करारों, त्रिपक्षीय करारों आदि से जुड़ा होता है और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, सम्बद्ध उद्यमों के प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं इसलिए विभिन्न कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले भत्तों में कुछ भिन्नता होना अनिवार्य है और यह भिन्नता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता मंजूर किए जाने के बाद कुछ उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए किसी न किसी रूप में दिए जाने वाले अतिरिक्त भत्तों के सम्बन्ध में भी है।

(घ) जी, नहीं।

केंद्रीय सरकार के मेहतरों, फराशों और चौकीदारों आदि को समयोपरि भत्ता

1904. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे मेहतरों, फराशों और चौकीदारों को समयोपरि भत्ता देने के बारे में उनके साथ समान वेतनमान पाने वाले अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भिन्न व्यवहार किन परिस्थितियों में किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भेदभाव समयोपरि भत्ते के बारे में वित्त मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 13

दिसम्बर, 1965 तथा 13 फरवरी, 1970 के अनुकूल है; और

(ग) संकटकालीन स्थिति की घोषणा को वापिस ले लिए जाने के उपराँत भी समयोपरि भत्ते की "आपातकालीन" दरों को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). कार्यालयों में काम करने वाले झाड़ूकशों, फराशों और चौकीदारों तथा श्रेणी IV के सभी नियमित कर्मचारियों को, इस समय, समयोपरि भत्ते की अदायगी के मामले में समकक्ष माना जाता है।

(ग) प्रशासनिक व्यय में किफायत के तौर पर, समयोपरि भत्ते की संशोधित दरें अभी भी लागू रखी गई हैं। उनकी समीक्षा वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी।

पारादीप ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जनरल कारगा बर्थ के निर्माण के लिए प्राप्त निविदाएं

1905. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल कारगा बर्थ के निर्माण के लिए पारदीप ट्रस्ट बोर्ड को कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या निविदा देने वालों में उड़ीसा कन्सट्रक्शन कारपोरेशन भी एक है ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माण कार्य उड़ीसा कन्सट्रक्शन कारपोरेशन को सौंपने का निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) सामान्य माल घाट के निर्माण के लिए पारादीप पत्तन न्यास को कुल मिलाकर 4 निविदाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा निवृत्त अधिकारी

1906. **श्री बी० के० मोदक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किया गया है ;

(ख) उनको पुनः नियुक्त करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस कार्यवाही के विरोध में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस समय 61 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किया गया है।

(ख), से (घ). इन अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के विरुद्ध सरकार को कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है यद्यपि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे अभ्यावेदन जरूर मिले हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद से बड़े पैमाने पर शाखाओं के विस्तार कार्यक्रम के हाथ में लेने और ऋण पद्धति में विविधता हो जाने के कारण भी प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों की कमी, एक गम्भीर समस्या बन गई है। इन बैंकों के बढ़ते हुए क्रियाकलापों के साथ-साथ यह अनिवार्य हो जाता है कि बैंकों को विशिष्ट ज्ञान और सुविज्ञता रखने वाले अधिकारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। बैंकों में विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं और भर्ती की प्रक्रिया की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है परन्तु इस बीच, काम के हित में, बैंक के कुछ सेवा निवृत्त अधिकारियों को पुनः नियुक्त करना जरूरी हो गया है। बैंकों के निदेशकमण्डल, कर्मचारियों से सम्बद्ध सभी मामलों को निपटाने में सक्षम हैं। ये बोर्ड सतर्क हैं और केवल चुने हुए मामलों में ही सेवावधि बढ़ाई जाती है या पुनः नियुक्ति की जाती है।

कोचीन शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण

1907. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री पी० गंगदेव :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण प्रारम्भ करने के संबंध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितने जहाजों का निर्माण होगा, और

(ग) इस पर कितना व्यय आएगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी हां। भारत सरकार ने 66000 डी. डब्लू. टी. जहाजों के लिए एक निर्माण गोदी और 85000 डी. डब्लू. टी. तक के जहाजों के लिए एक मरम्मत गोदी सहित कोचीन शिपयार्ड परियोजना मंजूर कर ली है। इस शिपयार्ड का निर्माण कार्य जारी है। इस शिपयार्ड पर बनने वाले प्रथम पोत की कील के 1974 के शुरू में रखे जाने की संभावना है।

(ख) उत्पादन लक्ष्य प्रतिवर्ष दो पोत है जो प्रत्येक 66000 डी. डब्लू. टी. के होंगे।

(ग) कोचीन शिपयार्ड परियोजना की अनुमानित लागत 45.42 करोड़ रु० है। अतः पोत-निर्माण (शिपयार्ड निर्माण से बिलकुल भिन्न) की ओर उसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना का कार्यक्रम इस वर्ष के अंतिम भाग में बनाया जाएगा।

दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें

1908. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री अमरनाथ चावला :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) क्या उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख). दिल्ली में अध्यापकों के वेतनमान 27.5.70 से परिशोधित किये गये थे। इस संबंध में जो अभ्यावेदन और प्राप्त हुए हैं, वे सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) चूंकि दिल्ली में अध्यापकों के वेतन तथा भत्ते का खर्चा भारत की संचित निधि से पूरा किया जाता है अतः इस प्रयोजन के लिए दिल्ली प्रशासन को कोई वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

वेतन आयोगों के पंचाटों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई राशियाँ

1909. **श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से लेकर अब तक वेतन आयोगों ने पंचाटों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितनी धनराशियां दी हैं; और

(ख) इन पंचाटों से जिन विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को लाभ हुआ, उनकी संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन रचना तथा सेवा की अन्य शर्तों के प्रश्न की समीक्षा करने के लिए 1965 के बाद केवल तृतीय वेतन आयोग नियुक्त किया है। तृतीय वेतन आयोग ने अन्तरिम सहायता के बारे में एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है। तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 1250 रु० तक प्रति मास वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन श्रेणियों के अनुसार प्रति मास 15 रु० से 45 रु० तक की दरों से अंतरिम राहत सहायता 1 मार्च, 1970 से मंजूर की गई है। यह लाभ केन्द्रीय सरकार के नियमित और निर्माण कार्य—प्रभारित सभी ऐसे कर्मचारियों को मंजूर किया गया है जिनको मंहगाई भत्ता पाने का हक है और इन सब की संख्या लगभग 27 लाख है।

जीवन बीमा निगम द्वारा नई 'शताब्दी' पालिसी का आरम्भ किया जाना

1910. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने 'शताब्दी' पालिसी नामक एक नई पालिसी आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पालिसी की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जीवन बीमा निगम ने 1-5-71 से घटती-बढ़ती ग्राय वाले लोगों के लिए "शताब्दी पालिसी" (Centenary Policy) नाम से एक नयी पालिसी चालू की है। यह पालिसी मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए होते हुए भी इसे शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी जारी किया जायेगा।

(ख) इस पालिसी की मुख्य विशेषता यह है कि यदि प्रीमियमों की ग्रदायगी में प्रथम दो वर्षों के बाद के तीन वर्षों के प्रत्येक खंड में एक से ग्रधिक बार चूक नहीं होती है तो पालिसी व्यपगत नहीं होने देकर उस हालत में चालू रखी जाती है, जब पालिसीधारी पालिसी के ग्रन्तर्गत ग्रगले प्रीमियमों की ग्रदायगी करता रहता है। बीमाकृत रकम में कितनी कमी की जायगी यह चूकों की संख्या पर निर्भर करता है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय

1911. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 ग्रौर 1970 में ग्रलग-ग्रलग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है; ग्रौर

(ख) नवम्बर, 1970 से ग्रप्रैल, 1971 तक विज्ञापनों पर कितना धन खर्च किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) ग्रौर (ख). प्राप्त सूचना के ग्रनुसार, केन्द्रीय सरकार के ग्रौद्योगिक ग्रौर वाणिज्यिक उपक्रमों ने 1968-69 में विज्ञापनों पर लगभग 557 लाख रुपया खर्च किया। चूंकि यह मामला उद्यमों के रोजमर्रा प्रशासन सम्बंधी कार्य-क्षेत्र का ही मामला है, इसलिए, सरकार इस सम्बंध में किये जाने वाले खर्च का कोई हिसाब नहीं रखती।

इन्डसट्रिग्रल डेवलपमेंट बैंक ग्राफ इण्डिया तथा इण्डसट्रिग्रल फाइनेंसियल कारपोरेशन ग्राफ इंडिया द्वारा किया गया पूंजी निवेश

1912. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डसट्रिग्रल डेवलपमेंट बैंक ग्राफ इंडिया तथा इन्डसट्रिग्रल फाइनेंस कारपोरेशन ग्राफ इंडिया ने राजस्थान में ग्रब तक कितना पूंजी निवेश किया है ग्रौर देश भर के पूंजी निवेश के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) इंडसट्रिग्रल फाइनेंस कारपोरेशन ग्राफ इंडिया ने कितने एककों को ऋण दिया है ग्रौर उनमें से कितने एकक उत्पादन के चरण पर हैं; ग्रौर

(ग) क्या इन्डसट्रिग्रल डेवलमेंट बैंक ग्राफ इण्डिया द्वारा राजस्थान स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन को 1968–69 में ग्रपने ऋण पर लघु उद्योगों को पुनः धन देने की मंजूर की गई धनराशि गत वर्ष की तुलना में केवल लगभग 60 प्रतिशत है ग्रौर यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) राजस्थान में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने जिन 13 एककों की सहायता की है उनमें से 12 एककों में उत्पादन हो रहा है। शेष एक एकक को हाल ही में फरवरी, 1971 में वित्तीय सहायता मंजूर की गयी थी।

(ग) राजस्व वर्ष 1968-69 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राजस्थान वित्तीय निगम को लघु उद्योगों को ऋण (जिसमें छोटे सड़क परिवहन संचालक शामिल हैं) देने के सम्बन्ध में मंजूर की गयी पुनर्वित्त सहायता की राशि 16.60 लाख रुपया थी। लेकिन 1967-68 में उपर्युक्त निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कोई पुनर्वित्त सहायता नहीं ली थी।

विवरण

सम्पूर्ण देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा राजस्थान स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उनके प्रारम्भ अर्थात क्रमशः जुलाई, 1948 और जुलाई, 1964 से मार्च, 1971 के अन्त तक मंजूर की गयी तथा दी गयी वित्तीय सहायता का विवरण :

	सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान	राजस्थान के औद्योगिक प्रतिष्ठान	(1) की तुलना में (2) का प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)
		(लाख रुपयों में)	
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम			
(रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी तथा विलम्बित अदायगी के सम्बन्ध में गारण्टी)			
स्वीकृत (प्रभावी)	36274·63	1603.49	4.4
भुगतान	31278.54	1439.67	4.6
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक			
(क) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता			
(ऋण, शेयरों तथा ऋण-पत्रों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान, औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त करना तथा हुण्डियों को फिर से भुनाना)			
स्वीकृत (प्रभावी)	39360.50	893.10	2.27
नकद भुगतान	30972.40	712.00	2.30

	सभी ग्रौद्योगिक प्रतिष्ठान	राजस्थान के ग्रौद्योगिक प्रतिष्ठान	(1) की तुलना में (2) का प्रतिशत
	1	2	3
(ख) स्वीकृत ऋणों के लिए		(लाख रुपयों में)	
गारण्टी (प्रभावी)	2986.90	278.10	9.31
निष्पादित	1960.10	278.10	14.19

टिप्पणी:—किसी वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता किसी राज्य में संस्था के समक्ष प्रस्तुत किये गये पात्र ग्रावेदन-पत्रों पर निर्भर करती है। ग्रपनी ग्रोर से, सक्षम प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में ग्रौद्योगिक क्षमता का ग्रनुमान लगाने के लिए, भारतीय ग्रौद्योगिक विकास बैंक ने पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम, भारतीय ग्रौद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय ग्रौद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के सहयोग से राजस्थान में एक सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य उन उद्योगों के विकास के लिए, जो लाभदायक रूप से उस राज्य में स्थापित किये जा सकते हैं, ग्राधारभूत ढांचों की सुविधाग्रों, कच्चे माल तथा बाज़ार सम्बन्धी सुविधाग्रों का ग्रनुमान लगाना था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा बाद का ग्रावश्यक काम रिपोर्ट तैयार होने पर शुरू कर दिया जायगा।

पांच करोड़ रुपये तथा इससे ग्रधिक ग्रास्तियों वाले व्यापारियों द्वारा कर को ग्रदायगी न किए जाने की शिकायतें

1913. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यापारियों की संख्या कितनी है जिनकी ग्रास्तियां 5 करोड़ रुपये से ग्रधिक की हैं ग्रौर जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में धन-कर, ग्राय-कर ग्रौर उपहार-कर का भुगतान न किए जाने की शिकायतें मिली हैं ; ग्रौर

(ख) इस प्रकार की प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) ग्रौर (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ग्रौर वह इकट्ठी की जा रही है। इकट्ठी होते ही इसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

दिल्ली में तीन पहिए वाले स्कूटरों के चालकों द्वारा ग्रधिक किराया लेना

1914. **श्री जी०वाई०कृष्णन** : क्या नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बाहर से ग्राने वाले व्यक्तियों से ग्रधिक किराया लेकर तीन पहिये वाले स्कूटरों के चालक उन्हें ठगते हैं;

(ख) क्या पर्यटकों के प्रति इन चालकों के अभद्र व्यवहार के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि तीन पहिये वाले स्कूटरों के विरुद्ध अधिक किराया लेने और दुर्व्यवहार करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि शिकायत करने वाले यह नहीं बताते कि आया वह दिल्ली के निवासी हैं अथवा दिल्ली में आगन्तुक के रूप में आए हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि आगन्तुकों द्वारा की गई शिकायतें कितनी प्रतिशत हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने यह बताया है कि उन्होंने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) परिवहन निदेशालय दिल्ली में टैक्सी, आटो-रिक्शा ड्राइवरों द्वारा दुर्व्यवहार करने, सवारी उठाने से इनकार करना या उनसे अधिक पैसे वसूल करने की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक विशेष सैल खोला हुआ है। यह कार्यालय दिन-रात कार्य करता है तथा शिकायतें टेलीफून (न० 224379) पर भी दर्ज करवाई जा सकती हैं जो बाद में लिखी जाती हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग का एनफोर्समैंट स्टाफ मोटरगाड़ी, अधिनियम, 1939 के संबंधित उपबन्धों तथा इनके अंतर्गत बनें नियमों के अधीन अपराधी ड्राइवरों/मालिकों को नोटिस देता है। एनफोर्समैंट स्टाफ आटोरिक्शा टैक्सी ड्राइवरों द्वारा अधिक वसूली करने, दुर्व्यवहार तथा सवारी ले जाने को इनकार करने की शिकायतों से घटनास्थल पर निपटने के लिए भी लगाया गया है।

(2) पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा तथा पालम हवाई अड्डे पर स्थाई शिकायत केन्द्र खोल दिए गए हैं जो दिन रात खुले रहते हैं। इसके अलावा रीगल, दरियागंज, चांदनी चौक तथा गुरुद्वारा रोड पर भी शिकायत केन्द्र खोल दिए गए हैं। यहाँ पर सायंकाल को ही कार्य होता है। जब कभी किसी ड्राइवर के खिलाफ शिकायत की जाती है, शिकायत शिकायत केन्द्र में लेखबद्ध कर ली जाती है।

(3) प्रतिदिन विशेष पुलिस स्टाफ को चलती फिरती गाड़ियों में प्रातःकाल 9 बजे से रात का सिनेमा का अन्तिम शो समाप्त होने तक नियुक्त किया जाता है जो विशेषकर, सिनेमा घरों, रेलवे स्टेशनों, पालम हवाई अड्डे पर अपराधी ड्राइवरों की पड़ताल करता है।

(4) दो रेलवे स्टेशनों पर, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर इनकार करने, अधिक वसूली करने, दुर्व्यवहार के अवसर न आने देने के लिए टैक्सियों तथा स्कूटरों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तथा उन्हें अपनी बारी पर ही यात्रियों को ले जाना होता है चाहे उनका गन्तव्य स्थान कहीं भी हो। वहां ड्यूटी पर यातायात पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

(5) अपराधी ड्राइवरों को पकड़ने के लिए यातायात पुलिस द्वारा कभी कभी सादे वस्त्रों में छापे मारे जाते हैं तथा इनकार करने वाले, दुर्व्यवहार तथा अधिक वसूली करने वाले ड्राइवरों को गिरफ्तार किया जाता है।

(6) शिकायत करने वालों की सुविधा के लिए नजदीक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को शिकायत पुस्तकें दी गई हैं।

(7) पुलिस स्टेशनों पर मासिक सार्वजनिक बैठकों में, सदस्यों को पुलिस स्टेशनों पर शिकायत पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में सूचना दी जाती है।

(8) दिल्ली यातायात पुलिस के सभी अधिकारी तथा हवलदार, ड्यूटी को जाते समय चालान बुक लेकर चलते हैं। यदि उन्हें कोई शिकायत की जाती है तो अपराधी ड्राइवरों के खिलाफ उसी समय कार्यवाही की जाती है।

(9) न्यायालय में अभियोग चलाने के अतिरिक्त गम्भीर प्रकार की कई शिकायतें लाईसेंस प्राधिकरण दिल्ली को भेज दी जाती हैं जिस पर वह मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 15(1) (ग) के अधीन अपराधी ड्राइवरों को उनके ड्राइविंग लाइसेन्स को निर्दिष्ट समय के लिए रखने या प्राप्त करने के लिये अयोग्य ठहराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

औद्योगिक गृहों/कम्पनियों के नाम बकाया आय कर

1915. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन औद्योगिक गृहों अथवा कम्पनियों के नाम एक लाख रुपये से अधिक आयकर बकाया है उनके नाम क्या हैं;

(ख) कितने सालों से यह राशि वसूल नहीं की गई है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाई की गई है अथवा की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जिन औद्योगिक गृहों और कम्पनियों पर 1 लाख रु० से अधिक आय-कर बकाया है, उनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र करने में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कर-निर्धारण रिकार्डों की छानबीन करनी पड़ेगी बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा।

फिर भी, अगर माननीय सदस्य किसी विशिष्ट निर्धारिति/निर्धारितियों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वह दी जा सकेगी।

(ग) इस बकाया को वसूल करने के लिये कानून के अन्तर्गत उपलब्ध सभी उपाय हर मामले, तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, किये जा रहे हैं / किये जाने का विचार है।

केरल में पत्तनों का विकास

1916. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में पत्तनों का विकास करने संबंधी 'इण्डोपोल' कम्पनी द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में केन्द्रीय सरकार से चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चर्चा के आधार पर क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). केरल सरकार ने राज्य में माल और मत्स्य बन्दरगाहों के शक्यता अध्ययन के लिए मैसर्स इंडो पोल कंपनी लिमिटेड बंबई को नियुक्त किया था। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में सम्मिलित पत्तनों में से वेपोर को चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन माल एवं मत्स्य बंदरगाह के रूप में विकास के लिये चुना गया था और राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की और भारत सरकार को भेजी। इसकी जांच कर ली गई है और विस्तृत टिप्पणी राज्य सरकार को उनके विचारार्थ भेज दी गई है जिसमें उस मार्ग दर्शन का सुझाव दिया गया है जिसका यातायात शक्तियों, पोतपरिवहन प्रवृत्तियों और तकनीकी विचारों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाना है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

कलकत्ता में नया फुटबाल स्टेडियम

1918. **श्री पी० आर० दास मुंशी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में 'कम्पोजिंग स्टेडियम' के अतिरिक्त राज्य सरकार के सहयोग से एक फुटबाल स्टेडियम का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या योजना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Quarters for Delhi School Teachers

1919. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Delhi Administration have constructed some quarters for the teachers of Higher Secondary Schools;

(b) if so, the category-wise number thereof ; and

(c) what percentage of the said quarters will be allotted to the teachers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c). The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

"यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया" के कार्य के परिणाम

1920. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के कार्यकरण के उपलब्ध नवीनतम परिणाम क्या हैं ;

(ख) पूंजी निवेश के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक लगाई गई कुल पूंजी का ब्यौरा क्या है तथा उनसे क्या प्राप्ति हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसकी गतिविधियों को विविध रूप देने का है और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यचालन-परिणामों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। यह ब्यौरा 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में है, जो सबसे हाल का वर्ष ऐसा है, जिसके लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और लेखे उपलब्ध हैं।

यूनिटों का विक्रय	22.83 करोड़ रु०
यूनिटों का पुनः क्रय	2.04 „ „
वर्ष की शुद्ध आय	5.84 „ „
वितरित लाभांश :	
प्रारम्भिक पूंजी पर	0.20 „ „
यूनिट पूंजी पर	5.58 „ „
लाभांश की दर :	
प्रारम्भिक पूंजी पर	4 प्रतिशत
यूनिट पूंजी पर ...	7.2 „

(ख) ट्रस्ट के निवेश, भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 के विनियम 36 के अन्तर्गत किये जाते हैं। विनियम 36 (1) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि 1964

की यूनिट योजना की निधियों में से किसी भी कम्पनी की प्रतिभूतियों में ट्रस्ट द्वारा किये गये निवेशों की रकम, उक्त निधियों की कुल रकम के 5 प्रतिशत से, अथवा ऐसी कम्पनी की जारी की गयी और बकाया प्रतिभूतियों की 15 प्रतिशत से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी बशर्ते कि नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा जारी की गयी प्रारम्भिक पूँजी में निवेशों की कुल रकम, किसी भी समय उक्त निधियों की कुल रकम के 5 प्रतिशत से अधिक न हो। किन्तु ये प्रतिबन्ध उन कम्पनियों के ऋण-पत्रों में किये गये निवेशों पर लागू नहीं होते जो विनियम 36 (1 क) में निर्धारित कुछ शर्तें पूरी करती हों।

ट्रस्ट, उपर्युक्त सांविधिक रूपरेखा की सीमाओं के अन्दर रहते हुए पूँजी लगाता है, ताकि पूँजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ग) ट्रस्ट द्वारा, 31 मार्च, 1971 तक किये गये निवेशों और उनसे अर्जित लाभ का व्यौरा इस प्रकार है :—

प्रतिभूति की किस्म	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत लाभ
1. साधारण शेयर	33.94	7.52
2. अधिमान्य शेयर	12.79	8.32
3. ऋण-पत्र	38.49	7.56
4. सरकारी प्रतिभूतियां और निगम बाण्ड	0.50	4.96
	85.72	7.64

इनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों में किये गये निवेश, हामीदारी सम्बन्धी वचनों के बदले अग्रिम जमा और रोकड़ बाकी की रकमें शामिल नहीं हैं।

(घ) ट्रस्ट का यह प्रयास रहता है कि ऐसी नयी योजनाएं और प्रयोजनाएं शुरू की जाएं जो निवेशकर्ताओं की विभिन्न प्रकार की अभिरुचियों के अनुकूल हों और जिनसे समाज की बचतों को जुटाया जा सके। इन प्रयासों के अनुसरण में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम के सहयोग से, एक बचत एवं बीमा योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। आशा है कि इस योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

नई परियोजनाओं के लिए औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण के लिए आवेदन-पत्र

1921. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में औद्योगिक वित्त निगम को कितने आवेदन-पत्र ऋण के लिए प्राप्त

हुए और उनमें से कितने नई परियोजनाओं के लिए थे ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र मंजूर किए गए और किन उद्योगों के लिए मंजूर किए गए हैं ;

(ग) गत दस वर्षों के आंकड़ों की तुलना में ये कितने हैं ; और

(घ) गत ऋणों की अदायगी की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का लेखा-वर्ष जुलाई से जून तक होता है। लेखा वर्ष 1970-71 में 1 जुलाई, 1970 से 31 मई, 1971 की अवधि के दौरान निगम को 10981.22 लाख रुपये के ऋणों के लिए 126 आवेदन-पत्र मिले थे। उपर्युक्त 126 आवेदन पत्रों में से 59 आवेदन-पत्र 33 नई प्रायोजनाओं के लिए माँगी गयी 7990.54 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से सम्बद्ध थे।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1 जुलाई, 1970 से 31 मई, 1971 तक की अवधि के दौरान मिले, 126 आवेदन-पत्रों की संख्या 1968-69 और 1969-70 में मिले आवेदन पत्रों की तुलना में अधिक थी। उपर्युक्त वर्षों में क्रमशः 92 और 90 आवेदन पत्र मिले थे और इस अवधि अर्थात 1 जुलाई, 1970 और 31 मई, 1971 के दौरान मंजूर की गई रकमों की राशि भी पहले के दो वर्षों में मंजूर की गई रकमों से अधिक थी। 1 जुलाई, 1970 से 31 मई, 1971 तक की अवधि के दौरान 87 आवेदन-पत्रों पर 3207.30 लाख रुपया मंजूर किया गया जबकि इसकी तुलना में 1968-69 में 89 आवेदन-पत्रों पर 3065.85 लाख रुपया और 1969-70 में 63 आवेदन पत्रों पर 1937.74 लाख रुपया मंजूर किया गया था।

(घ) पहले की अवधि में दिए गए ऋणों की वापसी की स्थिति 31 मार्च, 1971 को निम्नलिखित थी :—

	कम्पनियों की संख्या	(लाख रुपयों में) रकम
1. भुगतान (रुपया ऋणों और विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में)	388	23325.69
2. वापसी	83*	8662.53
3. बकाया रकम	305	15247.92
4. मूल धन की वापसी में चूक	66	448.13
बकाया रकमों के अनुपात में वापसी में चूक की रकम का प्रतिशत		2.94%

*इन कम्पनियों ने ऋण की पूरी रकमें चुका दी हैं।

औद्योगिक वित्त निगम सम्बद्ध कर्जदारों से चूक की देय रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता रहा है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नयी दिल्ली

1 जुलाई, 1970 से 31 मई, 1971 तक उद्योग-वार मंजूर की गयी ऋणों हामी-दारियों और गारंटियों के रूप में) वित्तीय सहायता

क्रम संख्या	उद्योग	आवेदन-पत्रों की संख्या	मंजूर की गई सहायता
			(लाख रुपयों में)
1.	चीनी	8	829.00
2.	वस्त्रोद्योग	13	273.06
3.	लोहा और इस्पात	8	478.75
4.	अलोह धातुएं	1	170.00
5.	मोटर गाड़ियां	3	153.84
6.	बिजली की मशीनें	9	298.79
7.	आधारभूत औद्योगिक रसायन	3	19.78
8.	धात्विक उत्पाद	8	144.51
9.	कृत्रिम धागे	14	532.35
10.	मशीनें	5	95.15
11.	रासायनिक खाद	1	5.60
12.	सीमेंट	1	50.00
13.	कागज	*	3.00
14.	बिजली, गैस और भाप	*	8.99
15.	कोयला	2	32.00
16.	खाद्य उत्पाद—सब्जियों और फलों को डिब्बों में बंद करना और संसाधन	3	15.90
17.	वनस्पति और पशुतेल और चर्बी	3	32.00
18.	बाइसिकल	2	4.58
19.	होटल	1	15.00
20.	लकड़ी और कार्क	1	10.00
21.	विविध रासायनिक पदार्थ	1	35.00
	जोड़	87	3207.30

*पहले मंजूर किए विदेशी मुद्रा उप-ऋणों के एक अंश के परिवर्तन के रूप में मंजूर की गयी रकम ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटना

1922. **श्री तेजासिंह स्वतंत्र : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) सड़क सुरक्षा शिक्षा जिसमें सड़क सुरक्षा पर भाषण और यातायात नियमों का पालन शामिल है, शैक्षणिक संस्थानों में दी जाती है।

(2) सड़क सुरक्षा पर पुस्तिकाएं और हास्य लेख जनता व शहरों में बच्चों को बांटी जाती हैं।

(3) यातायात सुरक्षा पर सिनेमा स्लाइड, और टेलीविजन प्रदर्शन भी सड़क सुरक्षा पर आयोजित किये जाते हैं।

(4) जहां कहीं संभव हो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और पटरियों का सुधार किया जा रहा है।

(5) विभिन्न सड़क चौराहों पर विद्युत सिगनल और जलती-बुझती बत्तियां लगा दी गई हैं।

(6) शहर के भीड़-भाड़ वाले भागों में एक तरफा यातायात शुरू कर दिया गया है। इन भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से भारी गाड़ियों को गुजरने की अनुमति नहीं होती है।

(7) इरविन रोड़ पर बच्चों के लिये एक पार्क में यातायात प्रशिक्षण पूरे जोरों पर चल रहा है।

(8) परिवहन गाड़ियों के बारे में उपयुक्तता का प्रमाणपत्र जारी करने के पहले सख्त जांच की जाती है।

(9) चल पुलिस दस्तों द्वारा गाड़ियों की गति जाल प्राय: आयोजित की जाती है और उन चालकों के खिलाफ विधि के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं और असावधानी से चलाते हैं या अधिक रफ्तार पर चलाते हैं।

(10) चलते-फिरते पुलिस दस्तों और उड़न दस्तों द्वारा गाड़ियों की आकस्मिक जांच की जाती है।

(11) शहर के कुछ क्षेत्रों में दिन के दौरान कुछ विशिष्ट समय के लिए भारी गाड़ियों का चलाना प्रतिबंधित किया गया है।

(12) बहुत सी सड़कों पर गति सीमा नियत कर दी गई है और पटलों पर दिखाई गई है।

(13) स्थल पर ही गिरफतारी करने तथा मुकदमे के लिए दो चल न्यायालय पूरा महीन भर कार्य करते रहते हैं।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत अधिक तेज गति से गाड़ी चलाने पर किये जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा पर एक अध्ययन बल नियुक्त किया है जो (क) शहरी क्षेत्रों में और भारत में राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को अभिनिश्चित करें। (ख) सड़क दुर्घटनाओं के बारे में आंकड़े/सांख्यकी के विशलेषण और संग्रह के लिए एक उपयुक्त संगठित ढांचे और सड़क सुरक्षा में सड़क प्रयोगताओं की शिक्षा के लियेआवश्यक उपाय और यातायात कानून और विनियमों के सुचारु परावर्तन और सड़कों पर अधिकतम संभव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये उन पर आवश्यक सुधारों की सिफारिश करें।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषदों द्वारा स्कूल की पाठ्य पुस्तकों की जांच

1923. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के स्कूलों के लिये निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की जांच करने तथा राष्ट्रीय एकता में बाधक अवतरणों को हटाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्रुतगामी कार्यक्रम में अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) से (ग). द्रुतगामी कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन अभिकरणों के जरिए स्कूल पाठ्यपुस्तकों की

जांच करने का विचार था:—

(1) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा कालेज।

(3) राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों और क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया है।

अधिकांश राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों ने भी कार्य पूरा कर दिया है और जहां तक शेष अभिकरणों की बात है विलम्ब का मुख्य कारण जांच के हेतु उचित तंत्र की स्थापना के विषय में कुछ प्रशासकीय समस्याएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद निरन्तर राज्य सरकारों से सम्पर्क रखे हुए है और कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न कर रही है।

पर्यटन तथा पुरातत्वीय विभाग के कार्य को समन्वित करने की योजना

1924. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यटन तथा पुरातत्वीय विभागों में समन्वय की कमी है जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटन के सब आकर्षित स्थानों का प्रचार नहीं किया जाता; और

(ख) क्या उक्त दोनों विभागों के समवन्य करने की कोई व्यापक योजना है जिससे पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों के लिए और अधिक साहित्य प्राप्त हो सके और पुरातत्वीय महत्व के केन्द्रों की उचित व्यवस्था की जा सके।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). एक व्यापक योजना बनाई गई है जिस में केन्द्रीय तथा स्थानीय, दोनों स्तरों पर, समन्वय समितियों के निर्माण और अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी की रचना की परिकल्पना की गई है।

1972 के ओलम्पिक में भाग लेने के लिए रोडेशिया को निमंत्रण

1925. **श्री एस० के० साहा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रोडेशिया के म्यूनिख, जर्मनी में होने वाले 1972 के ओलम्पिक गेम्स में भाग लेने के लिए सरकारी तौर पर निमंत्रण मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी हां। भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशवाद समिति द्वारा पारित किए जाने के लए एक प्रस्ताव सहप्रवर्तित किया है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा तथाकथित "राष्ट्रीय रोडेशिया ओलम्पिक समिति" के लगातार मान्यता दिए जाने और म्यूनिख में आगामी ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए उसे निमंत्रण देने पर खेद प्रकट किया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथाकथित "राष्ट्रीय रोडेशिया ओलम्पिक समिति" को अपनी सदस्यता से निलम्बित कर दे तथा म्यूनिख ओलम्पिक खेलों के लिए रोडेशिया को दिए गए आमंत्रण को तुरन्त रद्द कर दे। प्रस्ताव पारित हो गया है। तदनुसार भारतीय ओलम्पिक एसोशिएशन को भी इससे सूचित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के भूतपूर्व उप-पुस्तकाध्यक्ष के साथ अन्याय

1926. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के भूतपूर्व उप-पुस्तकाध्यक्ष के साथ किये गये अन्याय के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए 1 जुलाई, 1970 को भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय प्रोफेसरों, उप-कुलपतियों, प्रसिद्ध शिक्षाविज्ञों, प्रसिद्ध एतिहासिकों तथा अन्य मनीषियों ने हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का प्रतिपाद्य-विषय क्या है और हस्ताक्षर करने वालों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त व्यक्ति के साथ किए गये अन्याय का प्रतिकार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

व्यक्तियों/संस्थाओं को सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण

1927. **श्री जगदीश भट्टाचार्य**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1969-70 और 1970–71 के दौरान सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में किन-किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को पचास लाख अथवा इससे अधिक रुपयों का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की दो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गयी है।

ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 387/71]

माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में 'बुक बैंकों' की व्यवस्था

1928. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग, 1964-66 ने सिफारिश की थी कि (एक) माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा-संस्थानों में 'बुक बैंकों' के कार्यक्रम का विकास करना चाहिए; और (दो) अधिक प्रतिभावास विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अब तक किये गए उपायों के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चूंकि स्कूल शिक्षा राज्य विषय है और शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की है कि माध्यमिक स्कूलों में पुस्तक-बैंकों की सहायतार्थ राज्य शिक्षा विभागों के अधिकार में कुछ निधि होनी चाहिए अतः आयोग की यह सिफारिश राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

जहां तक उच्च शिक्षा की संस्थाओं का संबंध है, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की सुविधा एवं कल्याण के लिए हाल ही में निम्नलिखित कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है :—

(1) पुस्तक बैंकों की स्थापना अथवा विकास के लिए कालिजों को अनुदान	52 लाख रु०
(2) रिहायशी क्षेत्रों में पाठ्य पुस्तक केन्द्रों की स्थापना।	150 लाख रु०

संस्थान वित्तीय ऐजेंसियों द्वारा ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों को उपलब्ध कराये गये संसाधन

1929. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में संस्थान वित्तीय ऐजेंसियों द्वारा अलग-अलग ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों

को (जिसमें विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं) वर्षवार कुल कितनी राशि के संसाधन उपलब्ध कराये गये;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक संस्थाओं से उपलब्ध कराये गये कुल संसाधनों में 75 बड़ी और 20 अधिक बड़ी फर्मों के कितने शेयर थे; और

(ग) उक्त अवधि में कुल प्राप्त संसाधनों में टाटा, बिड़ला, साहू जैन, बांगुर, गोइनका, मफतलाल और मार्टिन बर्न फर्मों का कितना हिस्सा था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

औद्योगिक तथा अनौद्योगिक परियोजनाओं में जीवन बीमा निगम के निवेश

1930. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक जीवन बीमा निगम के राज्यवार औद्योगिक तथा अनौद्योगिक परियोजनाओं में वर्षवार कितना निवेश है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अपेक्षित सूचना का विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 388/71**]

विदेशों से प्राप्त ऋण तथा सहायता

1931. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 1971 तक भारत को विदेशों से (देशवार) ऋण तथा सहायता के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ख) चालू वर्ष में प्रत्येक देश को इन ऋणों पर ब्याज, ब्याज से सम्बन्धित अन्य विभिन्न खर्च और मूलधन की वापसी के रूप में कितनी राशि दी गई है तथा आगामी तीन वर्षों में कितनी राशि दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). दो विवरण (संख्या I और II) सभा पटल पर रख दिए गए हैं, जिनमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल0 टी0 389/71**]

नौवहन उद्योग स्थापित करने के लिये नाइजीरिया को सहायता

1932. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया सरकार ने अपने देश के नौवहन उद्योग के निर्माण के लिए भारत से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में भारत सरकार का नाइजीरिया सरकार की किस प्रकार से तथा किन शर्तों पर सहायता करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) नाइजीरिया सरकार के परिवहन मंत्री ने अपने हाल ही के दौरे में भारत से बरते हुए सूखे-माल पोत तथा तेलवाहक पोतों के लिए तथा नाइजीरिया के लिए प्रशिक्षण मास्टरों और समुद्री इंजीनियरों के लिए इस देश को अपनी आवश्यकताएं बतायी थीं।

(ख) उन्हें यह सूचित किया गया था कि भारतीय व्यापार बेड़ा भी बनने के प्रक्रम है और इसलिए ऐसे जहाज़ों को देने की हम स्थिति में नहीं हैं। परन्तु नाइजीरिया से समुद्री इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने की तथा नये प्रशिक्षण पोत में, जो शीघ्र ही डफरिन के स्थान पर आयेगा, कुछ स्थानों को सुरक्षित रखने की व्याप्ति की खोज की जायेगी।

'अपना मकान बनाओ' योजना के अंतर्गत गृह-निर्माण समितियों को लाभ

1933. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गृह-निर्माण समितियों की कितनी संख्या है तथा उनके क्या नाम हैं जिन्होंने 'अपना मकान बनाओ' योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है; और

(ख) लाभानुभोगियों को गृह-निर्माण सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने में जीवन बीमा निगम ने किस सीमा तक सहायता की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा "अपने मकान के मालिक बनो" योजना के अधीन केवल अलग-अलग पालिसीधारियों को और सहकारी मकान निर्माण समितियों के सदस्यों को ऋण दिए जाते हैं, परन्तु मकान निर्माण समितियों को ऋण नहीं दिये जाते हैं।

"अपने मकान के मालिक बनो" योजना 1-1-1964 को लागू की गई थी और इस योजना

के अधीन दिये गए ऋणों की सहायता से 30-9-1970 तक बने मकानों की संख्या 5665 है। मकान बनाने के क्षेत्र में जीवन बीमा निगम का सहयोग केवल इस योजना के अधीन दिये जाने वाले ऋणों तक ही समिति नहीं है। निगम, राज्य सरकारों को तथा प्रमुख सहकारी मकान निर्माण अर्थव्यवस्था समितियों को काफी बड़ी मात्रा में ऋण दे रहा है तथा साथ ही सम्पत्ति बंधक योजना, कर्मचारी मकान निर्माण योजनाओं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज योजना और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों की सहकारी समितियों को ऋण की योजना जैसी अपनी विभिन्न बंधक योजनाओं के अधीन भी ऋण देता है।

Wealth Tax on Agricultural Lands

1934. **Shri R. C. Vikal** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the date from which Wealth Tax has been imposed on agricultural lands;

(b) the basis thereof; and

(c) the names of State Governments who have supported/opposed the levying of wealth tax on agricultural lands?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) 1st April, 1970.

(b) Wealth Tax on agricultural lands was imposed by an amendment to the Wealth-tax Act, 1957 made by the Finance Act, 1969. The basis for this levy was explained by the then Finance Minister in his speech in the Lok Sabha, while presenting the Budget for 1969-70. The relevant portion of this speech is as under :

"Agricultural wealth has so far been exempted from wealth-tax. This has encouraged purchase of such land by the richer professional and business classes. While this has often acted as a spur to greater productivity in agriculture, there is no case in equity for taxing other productive wealth but exempting wealth in the form of agricultural land."

(c) None of the State Governments, other than that of Punjab, has challenged the levy of wealth-tax on agricultural lands.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति की क्रियान्विति

1935. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निर्देशक और उच्च कार्यकारी पदों पर उन्हीं व्यक्तियों के बने रहने से जो राष्ट्रीयकरण से पहले भी थे इन बैंकों की सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति की क्रियान्विति में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध कर्मचारियों को बदलने में क्या कठिनाई है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) से (ग). वित्त मंत्री ने 7 मई, 1971 को जिला कांग्रेस समीतियों के अध्यक्षों की सभा में भाषण देते समय उन अनेक महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र किया था जो राष्ट्रीयकरण में निहित बुनियादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए हैं । उपेक्षित क्षत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों की नीतियों में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि जब तक बैंकों में प्रचलित खामियों के बारे में तीव्र और काफी अधिक अहसास न हो तब तक निर्धारित समय में वास्तविक प्रगति करना कठिन होगा। इस संदर्भ में ही उन्होंने बैंकों को जिस परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में काम करना है उसके अनुसार, सभी स्तर के बैंक-कर्मचारियों में अधिक मेल बैठाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों में फेर-बदल करना न तो सम्भव है और न ही, सम्पूर्ण समीक्षा के बाद, बैंक में प्रचलित सभी कमियों का समाधान है ।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के निदेशकों के प्रथम बोर्डों की स्थापना की जा चुकी है। इस-लिए इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि निदेशकों के नये बोर्ड उस परिवर्तित परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं हैं जिसमें उन्हें काम करना है ।

शंकर शुगर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

1936 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शंकर शुगर मिल्स लिमिटेड कलकत्ता के अंशधारियों की 14 जनवरी, 1971 को हुई असाधारण बैठक में संकल्प द्वारा श्री के० के० कनोडिया के स्थान पर श्री वी० के० कनोडिया को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या उक्त नियुक्ति को समवाय विधि बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है, और यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(ग) प्रबंध निदेशक के लिए पारिश्रमिक के रूप में कितने वेतन परिलब्धियों तथा अन्य उपलब्धियों को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) क्या अंशधारियों की ओर से अनुपस्थिति अथवा अपर्याप्त लाभ के आधार पर की गई आपत्तियों पर समवाय विधि बोर्ड ने ध्यान दिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हिस्सेधारियों द्वारा पारित, इस प्रकार के किसी संकल्प की प्रति, कम्पनी विधि बोर्ड को मिसिल नहीं की गई थी ।

(ख) से (घ). कम्पनी विधि बोर्ड इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कम्पनी का प्रस्ताव खारिज़ कर दिया जाय। कम्पनी को, कम्पनी विधि बोर्ड के इस अनन्तिम निर्णय की सूचना 15 अप्रैल, 1971

को दे दी गई थी, ताकि वह कम्पनी विधि बोर्ड के प्रस्तावित निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। कम्पनी ने, अपने दिनांक 26 अप्रैल, 1971 के पत्र में लिखा है कि वह कम्पनी विधि बोर्ड के प्रस्तावित निर्णय के विरुद्ध लिखित रूप से व साथ-साथ व्यक्तिशः एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहती है। अभी तक कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

गोल्डन टुबाको कम्पनी के शेयरों का विक्रय

1937. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्डन टुबाको कम्पनी के निदेशकों ने अपने शेयर जनता को मुनाफे पर अर्थात 100 शेयर 1255 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार शेयर बेचने के कारणों की जांच की है ?

(ग) क्या कम्पनी की आर्थिक स्थिति खराब है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मै० गोल्डन टुबाको कम्पनी लिमिटेड ने जनता निर्गमन के लिए पूंजी निर्गमन के नियंत्रक से पहुंच नहीं की है और अभी तक किसी पूंजी बाजार में अपने को सूचीबद्ध नहीं कराया है। अतः इच्छित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) गत तीन वर्षों के प्रकाशित वार्षिक लेखाओं से प्राप्त की गई कम्पनी की आर्थिक स्थिति निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	30-6-68	30-6-69	30-6-70
1- शुद्ध मूल्य	389	467	484
2- कुल परिसम्पत्तियां	12,04	14,79	15,99
3- व्यापारावर्त	32,17	37,97	32,68
4- करों से पहले लाभ	2,50	3,08	1,14
5- वर्तमान अनुपात (अर्थात वर्तमान परिसंपत्तियों का वर्तमान देनदारी से अनुपात)	2,2	2,2	2,2

Letter to Members of Parliament regarding Service Conditions of Government Employees.

1939. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether he had issued a letter to the Members of Parliament regarding the service conditions of Government employees, at the time of commencement of the First Session of the Fifth Lok Sabha ; and

(b) if so, the propriety of issuing the said letter ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) At the commencement of each Lok Sabha after elections or immediately after a Member is returned to the House, the Minister of Parliamentary Affairs brings to the notice of Members of Parliament through a confidential circular letter certain conventions in regard to their obtaining information or addressing suggestions Ministries of Government of India in connection with their Parliamentary duties. In this letter, a reference is made to one of the service conditions of Government employees which is based on Rule 20 of Central Civil Services (Conduct) Rules 1964, and which prohibits a Government Servant from bringing or attempting to bring political or other influence to bear upon a superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.

(b) It is considered appropriate that Members of Parliament should be kept informed about these conventions.

Development of Composite Culture

1940. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for the development of a composite culture in the country ; and

(b) if so, the time by which the said scheme is proposed to be implemented ?

The Minister of Education and Social Welfare and Minister of Department of Culture (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11 को चौड़ा करना

1941. **राजमाता गायत्री देवी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के विचार से सरकार ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11 (जयपुर-बीकानेर राजपथ) को 22 फुट तक चौड़ा करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस निर्णय को किस ढंग से क्रियान्वित करेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). वर्तमान और निकट भविष्य के प्रत्याशित यातातात की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 के जयपुर-बीकानेर भाग की लगभग 200 मील की कुल दूरी में से 117 मील को चौड़ाकर दो गलियाँ (23 फुट) वाली सड़क बनाने के लिए चौथी योजना में व्यवस्था की गयी है। शेष 83 मील में से बीकानेर के निकट लगभग 20 मील में पहले से ही दो गलियां हैं। बाकी बचा हुआ 63 मील का टुकड़ा गोसाईसार और रतनगढ़ के बीच है और वह पहले ही इकहरी गली वाले यानमार्ग सहित हाल ही में पूरा हो गया है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस 117 मील लम्बाई में सड़क को चौड़ा करने पर 150 लाख रु० लागत लगने की संभावना है।

राजस्थान में नये हवाई अड्डों का निर्माण

1942. **राजमाता गायत्री देवी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में कुछ नये हवाई अड्डों का निर्माण करने तथा पुराने हवाई अड्डों का विकास करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित योजना की मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चौथी योजनावधि के दौरान राजस्थान में किसी नये विमानक्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। जयपुर और उदयपुर विमानक्षेत्रों पर सुधार कार्य करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन सुधार कार्यों का सम्बन्ध दोनों स्थानों पर पर यात्री-कक्षों के विस्तार, तथा जयपुर में धावनपथ के अतिसीमा खन्डों (ओवर रन्स) पर तारकोल बिछाने से है। जोधपुर को भी जल्दी ही विमान मार्ग द्वारा जोड़ा जा रहा है।

कृषि क्षेत्र के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण का निर्धारण

1943. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिये जाने वाले ऋण को कम से कम 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए नियत करने का है; और

(ख) यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, चूँकि अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं, इसलिए किसी भी एक क्षेत्र के लिए ऋण का निश्चित प्रतिशत निर्धारित करना न तो वांछनीय है और न ही सम्भव। फिर भी, उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है जो बैंक ऋण के सम्बन्ध में उपेक्षित रहे थे।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Loan for the Construction of Bridge over Chambal River in Rajasthan

1944. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to advance a loan for the construction of an inter-state bridge over the Chambal River between Sheopur Kalan and Sowai Madhopur vide their letter. No. PL-10(167)/70, dated 22nd January, 1971 ;

(b) if so, the amount of the loan sanctioned and the period of repayment and other terms ; and

(c) the time by which the amount of the loan would be released to the Rajasthan Government for the construction of the bridge as also the time by which the construction work of the bridge would be started ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj-Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The proposed bridge is estimated to cost Rs. 70 lakhs and it has been agreed to provide a loan to cover this entire cost. As this bridge falls on the boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh, the loan of Rs. 70 lakhs will be shared equally by Rajasthan and Madhya Pradesh. Loans required by the State Governments concerned for meeting actual expenditure from year to year will be released on receipt of a demand from them after the sanction of the Plans and Estimates.

At present, the terms and conditions for the repayment of loans sanctioned for such Centrally sponsored Schemes of State roads/bridges of inter-State or economic importance are as under :—

(1) The loans are repayable in a period of 15 years repayments being made in 15 annual equal instalments together with interest on the outstanding balance commencing from the following year.

(2) The amounts annually repayable (by way of principal and interest) would be recovered in four equal instalments on the 1st of July, October, January and March each year.

(3) The loan will carry interest @5% per annum provided that if the principal and/or interest are paid punctually on the due dates, the rate of interest will be reduced to $4\frac{3}{4}$%per annum.

As this is a loan scheme in which two States are involved, the commencement of work would depend on their agreement on the execution of the scheme, and on their preparation of estimates and arrangements for tenders etc. for the execution of the scheme.

Financial Assistance from U.S.A.

1945. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) The total amount of financial aid received by India from the U.S.A. and under PL-480 programme separately during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 ; and

(b) The estimated amount of aid likely to be received by India under PL-480 programme separately during the financial year 1971-72.

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan) : (a) Economic assistance and PL 480 assistance received (in terms of agreements signed) by India from the U.S.A. for the three years is as follows ;

	1968-69	1969-70	1970-71
Economic Assistance	Rs. 203.1 crores ($270.7 million)	Rs. 155.1 crores ($206.7 million)	Rs. 171.2 crores ($228.2 million)
PL 480 Assistance	Rs. 168.2 crores ($224.3 million)	Rs. 143.6 crores ($191.5 million)	Rs. 118.7 crores ($158.3 million)

(b) It is not possible to estimate these figures pending decisions of the U.S. Congress and the U.S. Administration on the level of PL-480 and economic aid for 1971-72.

Loans to Uttar Pradesh Government.

1946. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Central Government loans outstanding against the Government of Uttar Pradesh at present ;

(b) the amount of loan proposed to be granted to the Government of Uttar-Pradesh during the financial year 1971-72 ; and

(c) the rate of interest to be charged on the loans given to the State Government and the total amount of arrears of interest due from the State Government at present ?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan) : (a) Rs. 686.45 crores as on 31st March, 1971.

(b) The Central Assistance allocated for Uttar Pradesh State Plan for 1971-72 is Rs. 105.20 crores, comprising loans and grants. The actual quantum of loans to be provided to the State Government would depend upon their outlays for various sectors subject to the overall ceilings. In addition, the State Government will also receive loans in lieu of Small Savings collections and for financing Centrally Sponsored Schemes, etc. The State Government have in their Budget for 1971-72, assumed Central loans totalling Rs. 83.56 crores.

(c) Central loans advanced to State Governments generally carry interest at 5% per annum with a rebate of 1/4% for punctual repayments and interest payments.

There are no arrears of interest due on Central loans from the Uttar Pradesh Government at present.

Outstanding Foreign Loans and Payment of Interest

1947. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of foreign loans which would be remain outstanding against India at the end of the financial year 1971-72 ; and

(b) the total amount of interest to be paid by the Government of India in Indian currency as well as in foreign currency during 1971-72 ?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan) : (a) The total outstanding debt in respect of foreign loans (repayable in foreign exchange and Indian rupees) received by India as of March 31, 1971 amounted to Rs. 7,809 crores. Since the outstanding debt as at the end of 1971-72 would depend upon further drawals and repayments of foreign loans, it is not possible to indicate, at this stage, what the actual amount of outstanding debt will be at the end of 1971-72.

(b) The total amount of interest to be paid by India on foreign loans (repayable in foreign currency and Indian rupees) during 1971-72 is estimated at Rs. 200 crores.

City Compensatory Allowance to the Employees of Government Press, Faridabad

1948. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the employees working in the nationalised banks, the Life Insurance Corporation and the State Bank of India at Faridabad are given City Compensatory Allowance ;

(b) whether the employees in the Government Press, Faridabad are not given the said allowance ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) Compensatory (city) allowance is not paid to the employees of the Life Insurance Corporation working in Faridabad. This allowance is, however, paid by the State Bank of India and the nationalised banks to their respective workmen staff working there.

(b) Employees in the Government Press are not being paid any compensatory (city) allowance.

(c) Compensatory (city) allowance is admissible to Central Government employees stationed in 'A', 'B-1' and 'B-2' class cities only. As Faridabad stands classified as a 'C' class town on the basis of its population according to the 1961 census, the Central Government employees stationed there are not eligible for this allowance.

आयकर विधि का उल्लंघन करने के कारण चलचित्र अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर मुकदमा चलाया जाना

1949. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में आय-कर विधि का उल्लंघन करने के कारण जिन चलचित्र, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर मुकदमे चलाए गए थे, उनके नाम क्या हैं;

(ख) वास्तव में उन्होंने कितनी राशि देनी थी और कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ग) उनके मामलों में आय-कर की कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) आयकर कानूनों का उल्लंघन करने के कारण जिन फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों पर वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में मुकदमे चलाए गए उनके नाम नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	फिल्म अभिनेता/अभिनेत्री का नाम
1968-69	कुमारी आशा पारिख श्री दिलीप कुमार
1969-70	श्री दिलीप कुमार
1970-71	कुमारी फरयाल करीम

(ख) अपेक्षित सूचना सभा की मेज पर रखे जा रहे विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) इनमें से किसी भी मामले में आयकर की कोई रकम बट्टे खाते नहीं डाली गई।

विवरण–पत्र

फिल्म अभिनेता अभिनेत्री का नाम	31-3-1971 को देय रकम	वित्तीय वर्ष	वसूल रकम रु०
1. कुमारी आशा पारिख	57,466	1968-69	40,118
		1969-70	3,81,798
		1970-71	1,94,707
2. श्री दिलीप कुमार	25,20,737	1968-69	2,10,450
		1969-70	2,75,200
		1970-71	2,36,456

फिल्म अभिनेता अभिनेत्री का नाम	31-3-1971 को देय रकम	वित्तीय वर्ष	वसूल रकम रु०
3. कुमारी फरयाल करीम	शून्य	1968-69	1,439
		1969-70	925
		1970-71	शून्य

आयकर सहायक आयुक्त के पदों पर पदोन्नतियां

1950. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर सहायक आयुक्त का वेतनमान कितना है;

(ख) एक आयकर अधिकारी के लिए आयकर सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु कितनी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता है;

(ग) आयकर विभाग में कितने आयकर सहायक आयुक्त हैं और अप्रैल 1971 में आयकर सहायक आयुक्त के संवर्ग में कितने रिक्त पद थे; और

(घ) आयकर सेवा की प्रथम श्रेणी के लिए सीधी भर्ती वाली श्रेणी में कनिष्ठतम सहायक आयुक्त की, उस तिथि को जब वह आयकर सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत हुआ था/हुई थी, सेवा की अवधि कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1300-60-1600 रु०

(ख) परिचालन-नियम के अनुसार, जिन आयकर अधिकारियों (श्रेणी-1) पर, साधारणत: इस ग्रेड में सेवा-अवधि 8 वर्ष से कम नहीं होती है, उनके मामलों पर सहायक आयकर आयुक्तों के ग्रेड में तरक्की के लिए विचार किया जाता है ।

(ग) 1 अप्रैल, 1971 को, आयकर विभाग में सहायक आयकर आयुक्तों की संख्या 401 थी और उस ग्रेड में 60 रिक्त स्थान थे ।

(घ) 12 वर्ष 2 महीने ।

Confirmation of Research Assistants in the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology

1951. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that not a single Research Assistant working in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology has been

declared permanent in his post so far, while several permanent posts of Research Assistants have been lying vacant in both these offices for several years ; and

(b) if so, the steps which Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b). Proposals for confirmation of eligible Research Assistants against the available permanent posts in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology have already been finalised and sent to the Union Public Service Commission for approval which is awaited.

Expenditure Incurred on Tours by Head of Commission for Scientific and Technical Terminology.

1952. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state the number of official tours undertaken by the Head of Commission for Scientific and Terminology and the Central Hindi Directorate during the last six months and the expenditure incurred by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P.Yadav) : During the last six months ending 31st May, 1971, the Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology under took two official tours involving an expenditure of Rs. 1,403.05. During the same period the Director, Central Hindi Directorate undertook four official tours involving an expenditure of Rs. 1,890.85.

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में विद्यार्थियों का भाग लेना

1953. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय के प्रबंध कार्य में विद्यार्थियों के भाग लेने संबंधी प्रस्ताव की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : विश्वविद्यालय के मामलों में छात्रों द्वारा भाग लेने का प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय और कालिजों के प्रशासन के विषय पर नियुक्त एक समिति के विचाराधीन है। रिपोर्ट के पहले खण्ड को जिसमें अन्य बातों के साथ इस विषय की भी चर्चा होगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 15 जून, 1971 तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है। समिति की और आयोग की सिफारिशें आयोग द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद आगे की कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय उत्प्रवासियों द्वारा नकदी धन में परिवर्तन की जा सकने वाली परिसम्पत्ति को भारत से बाहर ले जाने के लिए मापदण्ड

1954. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय नागरिक को, जो विदेश जाना चाहता है, धन ले जा सकने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ले जा सकता है ; और

(ग) इन परिसंपत्तियों को देश में से बाहर ले जाने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विदेशों में जाकर बसने वाले भारतीय नागरिकों को, अपनी परिसम्पत्ति भारत से बाहर ले जाने के लिए, सामान्यत: विनिमय संबंधी कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। परन्तु असली कठिनाई वाले ऐसे मामलों में चयनात्मक आधार पर एक सीमा तक, विनिमय संबंधी सुविधा दी जाती है, जहां विदेश जाने वाले व्यक्ति के सामने ऐसे कारण हों जिन से वह देश छोड़कर बाहर जा कर बसने के लिए मजबूर हो और जहां विनिमय की सुविधाओं से बिलकुल वंचित किये जाने से उसके लिए अत्याधिक संकट उत्पन्न होने की आशंका हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे देशों में जाकर बसने वाले लोगों को जहां प्रवासियों के लिए एक निर्धारित न्यूनतम रकम अपने साथ ले जाना अनिवार्य होता है उतनी न्यूनतम विदेशी मुद्रा दे दी जाती है किन्तु शर्त यह है कि उन्हें एक वर्ष के अन्दर अन्दर वह राशि वापस भारत लौटानी होगी।

अशोक होटल के कार्यकारी गृहावेक्षक (हाउस कीपर) के पास से आयातित व्हिस्की का बरामद किया जाना

1955. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मई, 1971 में अशोक होटल के कार्यकारी गृहावेक्षक (हाउस कीपर) के पास से शुल्क मुक्त आयातित व्हिस्की बरामद की गई थी ;

(ख) क्या संबन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अशोक होटल की कार्यकारी गृहावेक्षिका (हाउस कीपर) को रहने के लिए होटल में एक कमरा दिया गया है। 7 अप्रैल, 1971 को जबकि वह ड्यूटी पर बंगलौर गई हुई थी, होटल के कुछ अतिरिक्त अतिथियों को ठहराने के लिए उसका कमरा खोला गया। आरोप है कि उसके कमरे से काफी बड़ी संख्या में शराब की बोतलें बरामद हुई, जिनमें ऐसी पांच बोतलें भी शामिल थीं जिन पर "शुल्क-मुक्त" की मोहर लगी थी। इन सभी शराब की बोतलों को अब दिल्ली के उत्पादन-शुल्क तथा पुलिस प्राधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस में मामला दर्ज हो गया है और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

Non-Payment of Loans to Farmers by Banks in Rajasthan

1956. **Shri Brij Raj Singh Kotah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints in regard to non-payment of loans to farmers within the stipulated time by the banks like the Central Bank, United Commercial Bank and Punjab National Bank in Jaipur, Rajasthan ; and

(b) if so, the action taken on those complaints ?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan) : (a) and (b). There is no stipulated period as such within which the loan applications are required to be disposed of by the banks. The banks are, however, making efforts to complete the examination of the loan applications and to disburse the loans in deserving cases expeditiously. Government do receive occasional complaints regarding delays in the sanctioning of loans. These are forwarded to the concerned banks for appropriate action.

Suggestion for Conversion of Air-India into a Joint Stock Company.

1957. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have received a suggestion to convert Air-India into a 'Joint Stock Company' for enabling it to overcome its day-to-day problems more effectively and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have considered the proposal carefully and have come to the conclusion that there is no need to alter the present form of a Corporation created under an Act of Parliament.

Financial Assistance demanded by U.P. Branch of Sugar Mills Association from Banks.

1958. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri P. Gangadeb :
Shri Nihar Laskar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether recently the U.P. Branch of Sugar Mills Association has demanded through a memorandum to the Minister that the price of sugar may be increased and adequate financial assistanee be given to them from the banks to repay the price of sugar cane ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have review the position recently and decided to remove control on price distribution and movement of sugar with effect from 25th May, 1971 excepting that releases of sugar for sale by factories will be regulated by Government. Banks are advancing credit to sugar factories generally against stocks of sugar, spares and other consumable items and receivables.

विश्व बैंक द्वारा भारत में कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता दिया जाना

1959. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत में कृषि विश्वविद्यालयों को कुछ सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). असम, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ली जाने वाली सहायता की रकम के विषय में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

आय कर की बकाया राशियां

1960. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 और 1970-71 में देश में (राज्यवार) आय-कर की बकाया राशि कितनी थी ;

(ख) आयकर की कितनी बकाया धनराशि वसूल की नहीं जा सकेगी और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बकाया धनराशि को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों के अनुसार रखी जाती है, राज्यवार नहीं। क्षेत्रवार सूचना, जैसाकि वह 31-3-1970 को थी, विवरण में दी गई है। 31-3-1971 की स्थिति की सूचना, उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) जब तक वसूली के लिए कानून के अधीन उपलब्ध सब उपायों को काम में नहीं ले

लिया जाय, तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी राशि के वसूल होने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) इस बकाया को वसूल करने के लिए, हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, कानून में उपलब्ध सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

विवरण

(हजार रु० में)

	आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र का नाम	31-3-1970 की आय-कर की बकाया
1.	आन्ध्र	68201
2.	असम	59937
3.	बिहार	102321
4.	उड़ीसा	85203
5.	बम्बई नगर-I	228789
6.	बम्बई नगर-II	458989
7.	बम्बई नगर-III	299180
8.	बम्बई नगर (सेन्ट्रल)	327730
9.	पूना	95073
10.	दिल्ली-I	101111
11.	दिल्ली-II	136735
12.	दिल्ली (सेन्ट्रल)	157182
13.	राजस्थान	39398
14.	गुजरात-I	44775
15.	गुजरात-II	40350
16.	केरल	52181
17.	मध्य प्रदेश	114639
18.	मद्रास-I	110041
19.	मद्रास-II	81985
20.	मद्रास (सेन्ट्रल)	33076

(हजार रु० में)

आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र के नाम	31-3-1970 को आय-कर की बकाया
21. मैसूर	52132
22. पंजाब	87274
23. लखनऊ	59998
24. कानपुर	152230
25. पश्चिम बंगाल-I	858113
26. पश्चिम बंगाल-II	382643
27. पश्चिम बंगाल-III	607981
28. कलकत्ता (सेन्ट्रल)	241628
जोड़	5079083

पर्यटन केन्द्रों का विकास

1961. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970-71 में देश में कुछ पर्यटन केन्द्रों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं और प्रत्येक केन्द्र पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) वर्ष 1971-72 में जिन पर्यटन केन्द्रों का विकास किया जाना है, उनके नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

(ग) : 1971-72 में गुलमार्ग, कोवालम, बोधगया-राजगिर-नालंदा, अजन्ता-इलोरा, दिल्ली, खजुराहो, पटना, जयपुर, साबरमती, श्रीनगर, मद्रास, हाम्पी, पटना टॉप, भोपाल, कोसी, गोविंद-सागर, नागार्जुन-सागर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काज़ीरंगा, गिर, काहना-किसली, कलकत्ता, औरंगाबाद और उदयपुर में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है।

विवरण

	क्रम सं०	स्थान	किया गया व्यय
			रुपये
I.	1.	गुलमर्ग	9,67,000
	2.	बोधगया	13,00,000
	3.	कोसी	1,00,000
	4.	कुतब	6,000
	5.	वाराणसी	2,91,951
	6.	गोविन्द सागर (भाकरा)	3,89,600
	7.	हैदराबाद	5,000
	8.	चेरुपुरुथी	68,600
	9.	कन्या कुमारी	1,85,461
	10.	तिरुचेन्दूर	1,48,250
	11.	कोडैकनाल	20,000
	12.	एहोल	16,000
	13.	खजुराहो	100,000
	14.	एलिफेन्टा	52,5000
	15.	साबरमती	6,67,000
	16.	श्रीनगर	15,05,000
	17.	महाबलिमपुरम	1,00,000
		भारत पर्यटन विकास निगम	
II.	1.	कोवालम	1,00,0000
	2.	बंगलौर	92,50,00 (होटल के लिए)

क्रम सं०	स्थान	किया गया व्यय	
		रुपये	
3.	कलकत्ता	84,000	(दमदम पर होटल के लिए)
4.	दिल्ली-I)	51,90,000	(होटलों का नवीकरण)
	II)	2,84,000	(सौन-एट-लुमिएर को पुनः चालू करना)
5.	उदयपुर	80,000	(आवास सुविधाओं में अभिवृद्धि)
6.	जम्मू	2,30,000	(मोटल)
7.	वाराणसी	30,000	(मोटल-व-पर्यटन स्वागत केन्द्र)
8.	विभिन्न स्थानों पर परिवहन यूनिटों की स्थापना व विस्तार	38,40,000	
9.	खजुराहो	35,000	(यात्री लॉज का विस्तार)
10.	महाबलीपुरम्	40,000	(यात्री लॉज का विस्तार)
11.	हस्सन	30,0000	(यात्री लॉज का विस्तार)
12.	शुल्क-मुक्त दुकानों की स्थापना व विस्तार	1,50,000	

जम्बो जेट विमान को हुई क्षति का अनुमान लगाना

1962. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 25 अप्रैल, 1971 को एक बड़े पक्षी से टकरा जाने से जम्बो जेट विमान को कितनी क्षति पहुंची थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : विमान के निरीक्षण से पता चला कि इसके नं० 2 इंजन के 9 फैन ब्लेडों और 9 फैन एग्ज़िट गाइड वेनों को क्षति पहुंची।

कोचीन और मंगलौर के हवाई अड्डों के "टर्मिनल" भवनों का विस्तार

1963. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और मंगलौर के हवाई अड्डों के टर्मिनल भवनों का विस्तार करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विस्तार-कार्य में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और ये कब तक पूरे हो जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) व्यय-अनुमान तैयार हो रहे हैं। आशा है कि यह कार्य चौथी योजनावधि में पूरा हो जायेगा।

तमिलनाडू में ईस्ट कोस्ट रोड बनाने का प्रस्ताव

1964. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू में एक ईस्ट कोस्ट रोड बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) तमिलनाडू सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). पूर्वी तट मार्ग (मद्रास-कोवलम् कुड्डालोर नागापट्टिनम-केपकोमरिन) महाबलिपुरम तथा मारकनम के बीच 25 मील की एक लुप्त कड़ी को छोड़कर, एक मौजूदा सड़क है। इसके अतिरिक्त, सड़क की सतह तथा पुलों के संबंध में सड़क में और सुधार की आवश्यकता है। इस सड़क के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार जोर दे रही है।

इस सड़क पर केन्द्रीय निधि से निम्नलिखित कार्य प्रगति पर है :

कार्य का नाम	**वित्त पोषण के साधन**
(1) महाबलीपुरम तथा मारकनम के बीच 25 मील की लुप्त कड़ी का निर्माण	अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व के मार्गों का केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम
(2) कोवलम में पुल का निर्माण	राज्य सरकार के केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) लेखा

इसके अतिरिक्त, जनवरी, 1971 में, जैसा निम्नलिखित है, इस सड़क पर कार्य के लिए 100 प्रतिशत ऋण सहायता के 2.61 करोड़ रुपये की कुल लागत के और कार्य स्वीकार किये गये।

योजना के नाम	लम्बाई मील या पुलों की सं०	लागत (लाख रुपयों में)
1— पूर्वीतट सड़क के महाबली पुरम् मारकनम के लुप्त खंड को पक्का करना तथा तारकोल बिछाना	20	14.00
2—महाबलीपुरम सड़क पर बड़े पुल	3 पुल	65.00

3—पूर्वी तट सड़क पर पुल (रु० लाखों में)

(क) मुत्तुपेट-मिमिसल	97.50	22 पुल	182.00
(ख) मिमिसल-टोंडा	37.63	8 पुल	
(ग) टोंडा-तिरुपल्ला गुड्डी	34.28	10 पुल	
(घ) तिरुप्पलागुड्डी देवीपत्तनम	12.50	1 पुल	

तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

1965 **श्री मुरासोली मारन क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य के कर्मचारियों की परिलब्धियों के मामलों में आवश्यक निर्णय करने की जिम्मेदारी सम्पूर्णतः राज्य सरकार की होती है और उसे यह निर्णय अपने साधनों की स्थिति का स्वयं जायजा लेकर करना होता है। इस सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार की सुस्पष्ट नीति कई बार इस सदन में बताई जा चुकी है।

सान्ताक्रुज हवाई ग्रड्डे पर "प्रिवेन्टिव" ग्रधिकारियों द्वारा सामान ले जाने की स्वीकृति दिया जाना

1966. डा० कर्णीसिंह :

महाराजा मार्तण्ड सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सान्ताक्रुज हवाई ग्रड्डे पर सामान ले जाने की स्वीकृति देने में प्रिवेन्टिव ग्रधिकारी ग्रौसतन कितना समय लगाते हैं।

(ख) प्रति पारी में कितने ग्रधिकारी कार्य करते हैं, स्थैतिक कार्य पर ग्रौर ग्रवकाश पर गये ग्रधिकारियों को मिलाकर सामान लाने ले जाने के लिये वस्तुतः कितने ग्रधिकारी उपलब्ध होते हैं ग्रौर प्रति दिन वे ग्रौसतन कितने यात्रियों की सेवा करते हैं।

(ग) क्या प्रिवेन्टिव ग्रधिकारियों को कोई साप्ताहिक ग्रवकाश ग्रथवा छुट्टी नहीं मिलती है ग्रौर क्या इसके ग्रतिरिक्त उन्हें निर्धारित समय से ग्रधिक देर तक कार्य करने के लिए भी बुलाया जाता है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो सरकार ने 'क्लीयरिंग कर्मचारियों' को बढ़ाने ग्रौर सामान के लाने ले जाने में होने वाले विलम्ब को कम करने ग्रौर सेवा की शर्तों ग्रौर काम के घंटों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) ग्रसबाब की निकासी शीघ्रता से करने के लिए यात्रियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है : (i) पर्यटक (ii) पर्यटक-भिन्न यात्री जिनके पास शुल्क लगने योग्य कोई वस्तु नहीं हो तथा (iii) पर्यटक-भिन्न यात्री जिनके पास शुल्क लगने योग्य वस्तुएं साथ नहीं जाने वाला ग्रसबाब ग्रादि हो । सामान्यतया, पर्यटकों को सीमा शुल्क से निकासी करवाने में 3 से 10 मिनट तक लगते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पर्यटकों के पास घोषित करने के लिए कोई मुद्रा है ग्रथवा उनके पास ऐसी कोई वस्तु है जिसे उन्हें जारी किए गए पर्यटक ग्रसबाब पुनः निर्यात फार्मों में दर्ज करना होता है।

पर्यटक-भिन्न यात्रियों को जिनके ग्रसबाब में शुल्क लगने योग्य कोई वस्तु नहीं होती है, तथा जिन्हें विस्तृत जांच पड़ताल के लिए ग्रचानक नहीं चुन लिया जाता है उनको ग्रौसतन 5 से 7 मिनट तक लगते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास घोषित करने के लिए कोई रेडियो-सैट ग्रथवा मुद्रा है (जिसके लिए फार्म जारी करने ग्रपेक्षित होते हैं) ग्रथवा नहीं। पर्यटक-भिन्न यात्रियों को जिनके पास शुल्क लगने योग्य वस्तुएं हों तथा/ग्रथवा जिन्हें साथ नहीं लाए गए ग्रसबाब की निकासी कराने के लिए वायुयान से उतरने का प्रमाण पत्र (लेंडिंग सर्टिफिकेट) की ग्रावश्यकता हो, उनकी निकासी में सामान्यतया 15-20 मिनट तक लग जाते हैं। जिन यात्रियों का ग्रसबाब विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए ग्रचानक चुन लिया जाता है, उन्हें सीमा-शुल्क द्वारा

निकासी कराने में कुछ अधिक समय लगता है। निवास स्थानान्तरण रियायतों का दावा करने वाले व्यक्तियों को 20 से 30 मिनट तक लगते हैं। जो यात्री अपने असबाब में शुल्क लगने योग्य ऐसी वस्तुएं लाते हैं जिनके लिए आयात-लाइसेंस आवश्यक होता है, उनके खिलाफ अर्ध-न्यायिक कार्यवाही करनी होती है। जो वस्तुएं वैध-लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं आती हैं, उन्हें साधारणतया जब्त कर लिया जाता है। जिनके साथ यह विकल्प होता है कि जुर्माना तथा शुल्क अदा करने पर उन्हें छुड़ाया जा सकता है, ऐसे मामलों में 45 मिनट से 1 घंटे तक अथवा इससे भी अधिक समय लगता है जो अन्तर्ग्रस्त वस्तुओं की किस्म पर निर्भर करता है। ये मामले तथा वे मामले जो विस्तृत जांच पड़ताल के लिए अचानक चुने जाते हैं कुल मिलाकर आने वाले यातायात के 60 से 65 प्रतिशत तक होते हैं। 5 से 10 प्रतिशत तक मामलों की बिना विस्तृत जांच किए निकासी की जाती है। यातायात में शेष, लगभग 30 प्रतिशत पर्यटक होते हैं।

(ख) प्रत्येक पारी में 25 अधिकारी काम करते हैं। इनमें से 7 अधिकारी आयात-असबाब की निकासी और तीन अधिकारी निर्यात-असबाब की निकासी के लिए उपलब्ध रहते हैं। प्रत्येक बैंच में छुट्टी पर रहने वाले 2 अथवा 3 अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं। दिन की पारी में 4 अधिकारियों को रात्रि की पारियों में रख कर इन पारियों के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाती है।

औसतन, प्रत्येक तरफ - अर्थात बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले 600 यात्रियों की निकासी की जाती है। रात्रि के 11 बजे तथा प्रातः के नौ बजे के बीच यातायात अधिकतम होता है और यह 24 घंटों की अवधि के कुल यातायात का लगभग 80 प्रतिशत होता है। 9 बजे प्रातः तथा 11 बजे रात्रि के बीच दिन में यातायात अपेक्षाकृत कम होता है किन्तु उस समय कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाती है और रोके हुए पैकेजों की निकासी से सम्बन्धित दूसरे काम होते हैं जिनमें शुल्क की अदायगी तथा अन्य औपचारिकताएं करनी होती हैं।

(ग) आजकल अधिकारियों को सप्ताह में कोई अवकाश अथवा छुट्टी नहीं दी जाती है। उन अधिकारियों को सप्ताह में अवकाश देने का प्रश्न विचाराधीन है जिन्होंने इसके लिए विकल्प दिया है। इस बीच अधिकारियों को अतिरिक्त समय में काम करने के लिए बुलाया जाता है।

(घ) कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कर्मचारी निरीक्षण-एकक के साथ परामर्श करके सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तथापि, वायु-सीमाशुल्क अधिकारियों के अतिरिक्त 33 पदों की अन्तरिम उपाय के रूप में मंजूरी हाल ही में जारी की गई है।

आब में हवाई अड्डा

1967. डा० कर्णी सिंह :

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबू हवाई अड्डा विमान उड़ाने के लिए तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार का आगरा और दिल्ली आदि जैसे पर्यटक केन्द्रों को विमान द्वारा आबू से कब तक जोड़ने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आबू की हवाई पट्टी राजस्थान की है। नागर विमानन विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस हवाई पट्टी की लम्बाई 3543 फुट है और यह केवल अच्छे मौसम के दौरान हल्के विमानों के परिचालन के लिए ही उपयुक्त है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इण्डियन एयर लाइन्स के विचाराधीन नहीं है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के संगठनात्मक ढांचे के बारे में भारतीय प्रबन्धक संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन

1968. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के संगठनात्मक ढांचे और नियंत्रण के संबंध में भारतीय प्रबन्धक संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किया गया अध्ययन और सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां;

(ख) मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(i) शाखाओं का काम, बैंक में आने वाले ग्राहक समूहों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए;

(ii) स्थानीय मुख्य कार्यालयों में इस समय जो बैंकिंग कार्य किया जाता है उसे प्रशासनिक पक्ष से अलग कर दिया जाना चाहिए;

(iii) स्थानीय मुख्य कार्यालयों के संगठनात्मक ढांचे में (क) शाखा कार्यों के लिए एकीकृत नियन्त्रण (ख) बैंकों के कार्यों के सभी क्षेत्रों में आयोजना तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्य करने के लिए तंत्र (ग) बाजार के प्रत्येक छोटे से छोटे भाग के लिए तथा कर्मचारी सम्बन्धी और जन सम्पर्क विषयों के सम्बन्ध में समुचित विशेषज्ञ सेवा प्राप्त होनी चाहिए।

(iv) केन्द्रीय कार्यालय के कार्यों को निम्नलिखित आधार पर बांट दिया जाना चाहिए : (क) आयोजना और अनुसंधान (ख) मण्डल (सर्किल) के कार्यों का कार्यचालन सम्बन्धी नियन्त्रण (ग) कर्मचारियों, स्थान आदि के सम्बन्ध में कर्मचारियों और विशेषज्ञों के कार्य, (घ) बड़े-बड़े अग्रिमों के मूल्यांकन और उनकी मंजूरी के सम्बन्ध में तंत्र।

बैंकों के कार्यों के जटिल क्षेत्रों में जमा, अग्रिमों, आय और व्यय के सम्बन्ध में एक कार्य-बजट की प्रणाली लागू की जानी चाहिए। बजट प्रत्येक शाखा के लिए एक वार्षिक आयोजना के रूप में होगा।

(ग) सिफारिशों को परीक्षण के तौर पर दो मण्डलों में व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है। एक निश्चित अवधि के पश्चात् इनकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद सम्पूर्ण बैंक पर सिफारिशें लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

नौवहन उद्योग में कठिनाइयों का निवारण करने हेतु एक निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव

1969. **श्री वी० नारायणन्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन उद्योग द्वारा सामान्य रूप से और नौवणिकों द्वारा विशेष रूप से अनुभव की जाने वाली गंभीर कठिनाइयों का निवारण करने के उद्देश्य से एक निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इन कठिनाइयों का किस प्रकार निवारण करने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पोतपरिवहन उद्योग और पोत वणिकों की समस्याएं अलग-अलग हैं। इस उद्योग की समस्याएं ये हैं :—

(क) पोतों की उपलब्धता (ख) उनके खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा और/अथवा ऋण सुविधायें और (ग) लागतों का राजस्व से संतुलन करना। सरकार उक्त (क) के संबंध में इस उद्योग को द्विपक्षीय व्यापार की व्यवस्था कर अथवा अन्य प्रकार से और (ख) के संबंध में वार्ता द्वारा पोत वणिकों के लिए ऋण अथवा सहायता की सुविधायें करके अथवा 20 प्रतिशत की सीमा तक खुली विदेशी मुद्रा देकर और वाणिज्यिक बैंकों से उनके विदेशी ऋणों को स्वीकार्य शर्तों पर अनुमोदित करके पहले ही सहायता दे रही है। तीसरी समस्या, विशेषकर जहां तक इस का सम्बन्ध लाइनर सेवाओं से है, का पोतवणिकों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पोतवणिकों की समस्याएं ये हैं (1) भाड़ा दरों का स्थायी बनाए रखने का सुनिश्चयन और (2) पर्याप्त तथा नियमित सेवायें।

सरकार भाड़ा दरों में समुचित अवधि के लिए कुछ न कुछ स्थिरता बनाए रखने के सुनिश्चयन की आवश्यकता पर बल देती रही है जिससे व्यापारहितों को क्षति न पहुंचे, और लागतों को स्थायी बनाए रखने के लिए पोत मालिकों द्वारा समुचित उपाय करने की आवश्यकता पर भी। सरकार ने लाइनर सम्मेलनों को भी पर्याप्त और नियमित जहाजी सेवाएं बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में जोरदार शब्दों में कहा। भाड़ा जांच ब्यूरो लाइनर सम्मेलनों और पोतवणिकों के बीच संपर्क स्थापित करवाता है और विशिष्ट और आम, दोनों ही प्रकार की समस्याओं, जो उनके बीच समय-समय पर उत्पन्न होती हैं, को सुलझने में सहायता देता है।

संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क दुर्घटनायें

1970. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क दुर्घटनाओं की वृद्धि हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

प्रकाश स्तम्भों की कमी

1971. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन के लिए प्रकाश स्तम्भों की अभी भी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कमी को किस प्रकार दूर करेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख). भारत के तट की लम्बाई में दीपघरों की कोई कमी नहीं है परन्तु तट के आसपास जिसमें पत्तनों में प्रवेश भी शामिल है, के अच्छे नौचालन के लिए और सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए योजना बनाई गई है और कार्याधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध ऋण सुविधाओं पर लगाई गई पाबन्दियों के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयाँ

1972. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में वर्ष 1966 से पहले दी जाने वाली ऋण सुविधाओं में कितना और

किस प्रकार का संशोधन किया गया है और पाबन्दियां लगाई गई हैं;

(ख) संशोधन करने और पाबन्दियां लगाए जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) इन संशोधनों और पाबन्दियों के कारण व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग). अनुमान है कि माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण के बाद ऋण-नीति में किए गए संशोधनों के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं। राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों विशेषकर अब तक उपेक्षित क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग, छोटे धन्धे, परिवहन, खुदरा व्यापार आदि, को ऋण देना था। इस उद्देश्य के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उन क्षेत्रों को कर्ज देने की अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिन्हें इससे पूर्व बैंक ऋण का जायज हिस्सा नहीं मिलता रहा है, और इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक परम्परागत तरीके से ऋणकर्ताओं की साख को देखने के बजाय जिस प्रायोजना के लिए ऋण दिया जा रहा है उसकी क्षमता और उसकी सामाजिक उपादेयता पर अधिक ध्यान देते हैं इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि बैंक ऋणों का दिया जाना इस प्रकार से नियमित किया जाये कि सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए जमाखोरी पर लगातार रोक लगायी जा सके और उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। बड़ी रकमों के सभी ऋणों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों और रिजर्व बैंक के द्वारा कड़ी छान-बीन की जाती है। चूंकि अब ऋण, उत्पादन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है इसलिये जिन्हें उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है उनके रास्ते में कोई कठिनाई नहीं आती।

Scheme for Construction of Pucca Houses for Harijans

1973. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the State Government of Madhya Pradesh chalked out scheme for construction of pucca houses for Harijans ;

(b) if so, whether any co-operative society of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been formed for this purpose under the sponsorship of the Central Government ; and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

इण्डियन एयर लाइन्स के प्रशासनिक व्यय को कम करने के उपाय

1974. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयर लाइन्स के संचालन के प्रशासनिक व्यय को कम करने सम्बन्धी उपायों पर विचार किया है; और

(ख) अन्य विकासशील देशों की तुलना में इण्डियन एयर लाइन्स के प्रत्येक विमान पर होने वाला प्रसाशनिक व्यय कम है अथवा अधिक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धवर्ग प्रशासनिक व्यय का निरंतर पुनरीक्षण करते रहते हैं। हाल में ही एक समिति भी नियुक्त की गई है जोकि, अन्य बातों के साथ-साथ एयर लाइन्स के प्रशासनिक ढांचे की जांच करेगी।

(ख) इण्डियन एयर लाइन्स में प्रति उपलब्ध टन किलोमीटर लागत कई विकासशील देशों की एयरलाइनों की तुलना में कम है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कम्पनियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए संसदीय समिति

1975. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कम्पनियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक स्थायी संसदीय समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक नियुक्त की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Payment of Income Tax by Firms and Individuals in Indore District.

1976. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of individuals and companies assessed for payment of income-tax in Indore district of Madhya Pradesh ;

(b) the amount of Income-tax realised during the last three years in Indore district and the arrears of income-tax outstanding upto December, 1970 ;

(c) the number of individuals and companies against whom arrears of Income-tax amounting to more than rupees five thousand are still outstanding ; and

(d) the action taken against them far realising the arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d). The information is not readily available and is being collected. It will be placed on the Table of the House as soon as it is available.

वित्त मंत्रालय में सलाहकार समिति की स्थापना

1977. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्तीय नीतियों के मामले में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय ऋण परिषद के स्थान पर एक सलाहकार समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उस समिति में कौन-कौन सदस्य होंगे और इसके कृत्य क्या होंगे, और

(ग) क्या यह समिति छोटे किसानों, लघु उद्योगों और नए उपक्रमियों जैसे अर्थ-व्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). भूत-पूर्व राष्ट्रीय ऋण परिषद के स्थान पर वैकल्पिक मंच स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

भारतीय मुद्रा का चलन

1978. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारतीय चल मुद्रा में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 21 मई, 1971 की स्थिति के अनुसार जनता में परिचालित भारतीय मुद्रा का कुल मूल्य 4566 करोड़ रुपए था और यह रकम पिछले वर्ष की तुलना में 353 करोड़ रुपए अधिक है।

उत्तर प्रदेश सरकार को बैंकों से सहायता

1979. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को बैंकों से कम सहायता मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को कृषि तथा

लघु उद्योगों के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में कम धनराशि का आंवटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). चूंकि बैंक राज्य सरकारों को सहायता नहीं देते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य का इशारा उन ऋणों से है जो बैंक लघुउद्योगों और कृषि के लिए देते हैं । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में लघु उद्योगों और कृषि के लिए दिए गए ऋणों और जून 1969 तथा दिसम्बर 1970 के अन्तिम शुक्रवार को बकाया रकमों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 390/71**] सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश में सभी क्षेत्रों को दिए गए कुल ऋण जून, 1971 के अन्त में 3599 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर, 1970 के अन्त में 4451 करोड़ रुपये हो गए। लगभग 24 प्रतिशत की इस वृद्धि के मुकाबले, उत्तर प्रदेश में कृषि और लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों की बकाया रकम उक्त अवधि में बढ़कर 104 प्रतिशत से अधिक हो गई जैसी कि संलग्न विवरण में दिखाई गई है । 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले उत्तर प्रदेश में एक विशेष कमी यह थी कि राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की सख्या अपेक्षाकृत थोड़ी थी। उत्तर-प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या जून, 1969 के अन्त में 747 से बढ़कर मार्च 1971 के अन्त में 1071 हो गई तथा 1971 के अन्त तक लगभग 200 और शाखाएं खुल जायेंगी। इससे राज्य में कृषि और लघु उद्योगों को बैंकों से मिलने वाले ऋणों में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

भुवनेश्वर में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता

1980. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में हुई जनगणना के परिणाम-स्वरूप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को सी श्रेणी का नगर घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के समस्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणश) : (क) जी, हां; अनन्तिम आधार पर।

(ख) 'ए', 'बी-1' और 'बी-2' श्रेणी के नगरों में तैनात, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ही नगर प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के अधिकारी हैं । 1961 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण होने के कारण भुवनेश्वर फिलहाल एक अवर्गीकृत नगर है क्योंकि 1961 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 50,000 से कम थी। शहरों और नगरों तथा भुवनेश्वर के अगले वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिए 1971 की जनगणना के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े अभी आने हैं ।

Excavation Work at Raigarh Fort Lake

1981. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Archaeological Survey of India had taken up excavation work of Raigarh Fort lake in May 1971 ;

(b) whether the excavation work has since been completed ; and

(c) the objects found as a result thereof and the historical importance thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Expenditure and Income of Ashoka Hotel, New Delhi

1982. Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the maintenance of Ashoka Hotel, New Delhi, after disbursement of pay and allowances to its officers and staff and on other miscellaneous items during the last two years ; and

(b) the income accrued from the said Hotel during the aforesaid period ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The expenditure incurred by Ashoka Hotel on the pay and allowances of its officers and staff and other miscellaneous items during 1968-69 and 1969-70 is indicated below :—

	1968-69	**1969-70**
	(Rs. in lakhs)	
Pay and allowances	38.46	59.26
Other expenditure	101.16	113.92

The accounts for 1970-71 have not yet been finalised.

(b) The total revenues of the Hotel during 1968-69 and 1969-70 was Rs. 151.20 lakhs and Rs. 180.08 lakhs respectively, resulting in a surplus of Rs. 11.58 lakhs during 1968-69 and Rs. 6.90 lakhs during 1969-70.

कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय एयर टर्मिनल भवन के पर्यटक कक्ष में प्रबन्ध

1983. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के राष्ट्रीय एयर टर्मिनल भवन के पर्यटक कक्ष में विदेशी मुद्रा को

बदलने, भारतीय टिकटों को खरीदने या पत्र डालने की व्यवस्था न होने आदि जैसी सुविधाओं के अभाव में वहां आने जाने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही है ; और

(ख) क्या नागर विमानन और सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा सस्ता कैंटीन खोलने के बारे में बार बार की गई मांग को अधिकारियों द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मुद्रा बदलने तथा डाक की सुविधायें कलकत्ता विमानक्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की निचली मंजिल पर उपलब्ध हैं। ट्राँजिट लौंज में मुद्रा बदलने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के विचाराधीन है । ट्रांजिट लौंज में डाक सुविधाओं के लिए कोई मांग नहीं है ।

(ख) कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कलकत्ता विमानक्षेत्र पर एक विभागीय कैंटीन विद्यमान है । क्योंकि यह देशीय टर्मिनल भवन के निकट स्थित है, अतः नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में एक और कैंटीन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश के कालेजों को खेल के मैदानों और खेल-कूद के सामान के लिए सहायता देना

1984. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध उन कालिजों के नाम क्या हैं जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का खेल के मैदानों का विस्तार करने और खेल का सामान खरीदने के लिए सहायता देने का विचार है ;

(ख) उन कालिजों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसी सहायता मांगी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में आयोग ने क्या नीति अथवा नियम बनाये हैं ; और

(घ) आयोग ने इन कालेजों को सहायता देने के प्रश्न पर क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). विश्वविद्यालयों और कालेजों के हेतु राष्ट्रीय क्रीड़ा संघ कार्यक्रम के एक अंग के रूप में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के विकास के लिए आर्थिक सहायता पर विचार किया जाता है । इस कार्यक्रम के लिए चौथी योजना में 106.50 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है । वित्तीय सहायता का कार्य क्षेत्र नीचे दिया गया है :

सुविधा का क्षेत्र	परियोजना की अधिकतम लागत (लाखों में)	सरकार का हिस्सा
एक विश्वविद्यालय के लिए जिम्नेजियम	2.50	75%
1500 अथवा अधिक छात्रों वाले कालेज के लिए जिम्नेजियम	1.50	75%
छोटे कालेज के लिए जिम्नेजियम	0.75	75%
खेलकूद पवेलियन/ट्रैक	2.50	50%
तैराकी ताल (50 मी० × 21 मी०)	5.00	50%
तैराकी ताल (25 मी० × 12 मी०)	2.50	50%
एक विश्वविद्यालय के लिए खेल का मैदान	0.15	75%
एक कालेज के लिए खेल का मैदान	0.10	75%

2. भौतिक सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता के आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने तथा भारत सरकार की ओर से अनुदानों की संस्वीकृति देने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा गया है। बहुद्देशीय क्रीड़ा क्षेत्रों की स्थापना को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया है। बहुद्देशीय क्रीड़ा क्षेत्रों की विस्तृत रूप रेखा दर्शाने वाली एक पुस्तिका राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान, पटियाला द्वारा संकलित की गई है तथा वह मुद्रण में है। इस प्रकाशन के प्राप्त होते ही, विश्वविद्यालयों और कालेजों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वर्तमान क्रीड़ा क्षेत्रों की मरम्मत एवं नवीकरण अथवा जहाँ क्रीड़ा क्षेत्र तो नहीं है, किन्तु भूमि है, वहाँ बहुद्देशीय क्रीड़ा क्षेत्रों की स्थापना के लिए अपने आवेदन भेजें। यह भी निर्णय किया गया है कि विश्वविद्यालयों में जिम्नेजियम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाए, ऐसे जिम्नेजियमों में बैडमिन्टन, वालीवाल, बास्केटबाल जैसे भीतरी खेलों के स्टेडियम की व्यवस्था शामिल नहीं होगी।

मध्य प्रदेश के जिन कालेजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता माँगी है, उनके नाम अनुबन्ध 1 में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.** 391/71] वित्तीय साधनों की सीमा के अन्तर्गत जहाँ तक संभव होगा, आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता देगा। तदनुसार, कालेजों को सूचित कर दिया गया है।

Grants to Cultural Institutions in Madhya Pradesh

1985. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Culture** be pleased to state :

(a) the names of cultural institutions of Madhya Pradesh who have applied for grants under the programme of giving grants to cultural institutions ; and

(b) the decision taken thereon ?

The Minister of Education and Social Welfare and Minister of Department of Culture (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) In so for as the Schemes dealt with in the Department of Culture are concerned, we have not received any applications for grants from any of the cultural institutions of Madhya Pradesh during the current financial year. Sangeet Natak Akademi have, however, received applications from the following institutions during the current year for financial assistance:

1. Ranga Sri Little Ballet Troupe, Gwalior.
2. Kala Mandir, Gwalior.
3. Bharatiya Sangeet Mahavidyalaya, Gwalior.
4. Shankar Gandharva Mahavidyalaya, Gwalior.
5. Sri Krishna Sangeet Mahavidyalaya, Indore.
6. Lalit Kala Kendra, Gwalior.
7. Adarsh Bharatiya Kala Mandir, Gwalior.
8. Adarsh Kala Niketan, Jabalpur.
9. Artists Combine, Gwalior.

(b) The applications for grants received by Sangeet Natak Akademi will be considered by the Grants Committee and the Executive Board of the Akademi in July, 1971.

Construction of a Bridge on Narmada River in Madhya Pradesh

1986. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the Madhya Pradesh Government regarding the construction of a bridge on Narmada river near Harda/ Handia in Madhya Pradesh;

(b) if so, the main reasons advanced in the representation in favour of construction of the bridge; and

(c) whether Government proposed to make a study in regard to its feasibility ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): (a) No, sir.

(b) and (c). Do not arise.

Construction of Aerodromes Helipads in Madhya Pradesh

1987. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of places in Madhya Pradesh where aerodromes have been constructed for tourists and others ; and

(b) the names of places where aerodromes or helipads for landing of helicopters are proposed to be constructed during the current plan period ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There are in Madhya Pradesh aerodromes at Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Khandwa, Khajuraho, Panna, Raipur and Satna which are controlled by the Civil Aviation Department. In addition, there are 17 aerodromes/airstrips in the State under the control of the State Government or private parties.

(b) there is no proposal to construct any aerodrome or helipad in Madhya Pradesh during the current Plan period.

Construction work of Kalghat Bridge on Narmada River in Madhya Pradesb

1988. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the construction work of Kalghat bridge on Narmada river in Madhya Pradesh is not progressing according to schedule with the result that the cost of construction is constantly increasing;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take to accelerate the pace of construction work of the bridge ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). Construction work of Kalghat bridge over Narmada river in Madhya Pradesh has not yet been started. Tenders for the work have been received and are under consideration. Some investigations regarding sub-surface exploration are also under study. Steps are being taken to expedite investigations and finalise decision on the tenders. The question of increase of cost, therefore, does not arise, at present.

Smuggling of Idols and Paintings from India

1989. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been no decrease in the number of incidents of stealing of idols and paintings of historical importance with a view to smuggle them to foreign countries;

(b) if so, whether Government prop se to take any special steps in this regard;

(c) whether Government propose to enact any legislation to prohibit-individuals to keep idols and paintings of historical importance with them; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in ihe Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The following measures have been taken or are proposed to be taken to prevent thefts from monuments/museums and to prevent illegal export of antiquities :-

1. Loose sculptures in and around centrally protected monuments, which cannot be adequately safeguarded *in situ,* are being collected and stored in sculpture sheds where they could be better looked after.

2. Watch-and-ward staff of centrally protected monuments has been strengthened to the extent possible within the available funds.

3. State Governments have been requested to provide police guards at selected museums and monuments under the Archaeological Survey of India.

4. Watch-and-ward staff of the survey has also been warned to be more vigilant. Cases of thefts are being immediately reported to the police.

5. As soon as cases of thefts are detcted, intimation is also sent to the Expert Advisory Committee and Customs authorities at major ports to watch out for the stolen antiques being smuggled out of the country.

6. In order to have complete documentation of sculptures at Centrally protected monuments, a phased programme is being drawn up by the Survey. Documentation will facilitate the identification of stolen sculptures and will check smuggling of Art Objects. Necessary staff has been sanctioned for this purpose.

7. Government intends to introduce a comprehensive Bill on antiquities, which will replace the existing Antiquities (Export Control) Act, 1947. The proposed Bill has, besides provision to prevent illegal exports of antiquities, provision for the licensing of antiquity dealers and registration of antiquities in possession of individual owners and for more severe punishment for the violation of the law.

8. It is proposed to enter into bilateral agreements with foreign countries to stop flow of antiquities by illegal means.

9. It is proposed to give in-service training to customs staff for identifying antiquities, so that they may be able to detect when being smuggled out of India. Six posts of Deputy Superintending Archaeologists have been sanctioned on the strength of the Archaeological Survey of India for being posted at important Air and Sea ports to help custom authorities in checking smuggling of antiquities to foreign countries.

10. The C. B. I. has commenced the maintenance of the central records of crimes, Criminals and property involved in cases of this category. This work was started w.e. f. January, 1969.

11. The assistance of the Secretary General, ICPO-Interpol, Paris has been sought to compile a list of all foreign dealers and collectors of Art Objects. This list when

completed will be issued to the Customs Authorities so that any packet addressed to these persons and being smuggled out of the country may be checked.

दिल्ली राज्य नारी-निकेतन द्वारा प्राप्त राशि

1990. **श्री अचल सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, दिल्ली द्वारा दिल्ली राज्य नारी निकेतन को कुछ धन राशि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो अनुदान की मंजूरी वाले पत्र की संख्या तथा तिथि क्या है;

(ग) क्या उस राशि का हिसाब किताब सरकार को मिला था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वयस्क स्त्रियों के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के हेतु अपने पत्र संख्या एफ० 4-2 (डी० एल० एच०) 165-सी०सी० दिनांक 5 नवम्बर, 1965 तथा एफ० 3-1/डी० एल० एच०/68 सी० सी०, दिनांक 22 मार्च, 1968 में क्रमशः 1965-67 के लिए 10,425 रुपये का तथा 1268-70 के लिए 8,000 रुपये का अनुदान मंजूर किया था।

(ग) और (घ). इन अनुदानों के लेखे सरकार को नहीं, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भेजे जाते हैं।

Loans advanced by the Industrial Development Bank of India to Industries.

1991. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the industries to which loans have been advanced by the Industrial Development Bank of India during the last three years, the dates on which the loans have been advanced and the amount of loans advanced;

(b) the total amount of loans advanced by the said bank so far and its capacity to advance loans;

(c) whether new entrepreneurs could not take advantage of the facilities provided by the said bank; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) the required information to the extent available is given in the attached Statement. **[Placed in Library See No. LT 392/71]**

(b) Since its inception in July, 1964 to the end of March 31, 1971 the Industrial

Development Bank of India had sanctioned and disbursed loans (including loans for exports) amounting to Rs. 147.80 crores and Rs. 101.40 crores respectively.

Apart from its paid up Capital and Reserves the Industrial Development Bank of India is empowered to raise funds by borrowing from the Central Government and Reserve Bank's National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund, issue of bonds, accepting deposits from the public for periods not less than 12 months and borrowing from foreign financial institutions in foreign currency with prior approval of Government. Thus the resources at the disposal of the Industrial Development Bank of India are adequate to meet the demands made on it.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Disparity in Emoluments of Central Government Employees

1992. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is great disparity in the salaries of Central Government employees;

(b) if so, whether any measures are proposed to be adopted by Government to remove this disparity; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). The salary scales of Central Government employees have been laid down on the basis of the recommendations of the Second Pay Commission with due regard to the duties and responsibilities of the various posts, the recruitment qualifications prescribed, etc. The disparity between the post tax emoluments of employees in the highest grade and the maximum remuneration of the lowest paid staff is also being progressively narrowed down by grant of various allowances and fringe benefits to low paid staff. As a result the disparity ratio in the emoluments between the lowest and the highest (post-tax) has come down from 1:38 in 1947 to about 1:14 at present. The whole question of review of the existing structure of emoluments of Central Government staff is already before the Third Pay Commission and their considered recommendations will have to be awaited by Government.

Grants for Construction of Hostels

1993. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of colleges to which grants have been given by the University Grants Commission for the construction of hostels during 1970-71 as also the amount of grants given to each college;

(b) whether assistance had been sought in the form of grant for the construction of a hostel by Bangad College in Pali City of Rajasthan;

(c) if so, the amount for grants sought for the purpose; and

(d) whether any grant has been sanctioned for the said college so far, and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in Ministry of Education and Social Welfare (Shri D. P. Yadav) : (a) A statement is attached. [**Placed in Library See No. LT 393/71**]

(b) to (d). The U. G. C. has not received any proposal from Bangad College. However, a proposal from Bangur College in Pali City (Rajasthan) for the construction of a hostel at an estimated cost of Rs. 2,55,200 (against which U. G. C. share would be Rs. 1,27,600) has been received. The college has been asked to furnish some additional information.

राजस्थान नहर क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के परिवारों को भूमि का आवंटन

1994. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भूमिहीन परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिवारों की केवल उपेक्षा ही नहीं की जा रही है बल्कि उनका शोषण भी किया जा रहा है ;

(ग) क्या उपर्युक्त भूमि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्धियों, धनवान दुकानदारों तथा अन्य लोगों को ही आवंटित की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) से (घ). जानकारी राजस्थान सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Pay scales of Laboratory Attendants working in the Opium Factory, Ghazipur

1995. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have treated the Laboratory Attendants working in the Opium Factory, Ghazipur as Class III employees;

(b) whether they are not given the same salary and other facilities as are given to other Central Government employees; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) There are two categories of Laboratory Attenders at the Opium Factory, Ghazipur. Matriculate Attenders are treated as Class III and non-Matriculates are treated as Class IV employees.

(b) and (c). Although there are two classes of Laboratory Attenders but their pay scale is the same, *viz.* Rs. 85-2-95-3-110-EB-3-128. They are given the same facilities as are provided to o her Central Government employees of comparable categories.

Appointment of Grade Inspectors in the Central Excise and Customs and Narcotics Departments.

1996. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Second Pay Commission had recommended that the Grade Inspectors in the Central Excise and Customs and Narcotics Dapartments should be appointed through selection;

(b) whether Government had accepted this recommendation; and

(c) if so, the percentage of Grade Inspectors in these Departments ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Second Pay Commission had recommended the creation of posts of Selection Grade Inspec-tors in the Central Excise Department and Selection Grade Preventive Officers (Grade I) in the Customs Department. No such recommendation had bden made in respect of the Narcotics Departics Department.

(b) Yes, the Government had accepted the recommendation.

(c) The percentage of Selection Grade Inspectors and Preventive Officers Grade I in the Central Excise and Customs Departments is 25%.

आय-कर विवरण फार्मों की कमी

1997. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर दिल्ली, पंजाब और चन्डीगढ़ में आय-कर विवरण फार्मों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं । आय-कर आयुक्तों के किसी भी कार्य-क्षेत्र में, जिसमें दिल्ली और पंजाब भी शामिल हैं, आय-कर विवरणी फार्मों की कोई कमी नहीं है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद

1998. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रकाशनों की ओर से सहयोग की कमी के कारण पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रगति बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अधिकारों के लिए बातचीत करने में समय लग जाने के कारण, कुछ चुने गए विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी मूल पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की प्रगति रुक गई है ।

(ख) सम्बन्धित पक्षों के साथ इन मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता

1999. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को लघु उद्योग आरम्भ करने तथा व्यापार करने के लिए अनुदानों और ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में उद्योग-वार, व्यापार-वार और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

केरल में स्टेट बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएँ

2000. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीयकरण से पूर्व स्टेट बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं थीं और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वहां कितनी नई शाखाएं खोलीं;

(ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उक्त शाखाओं ने विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को कितने ऋण दिए और ऋण देने के नियम और शर्तें क्या थीं ; और

(ग) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार केरल में किन-किन स्थानों पर और अधिक शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केरल में जून, 1969 के अन्त में और मार्च, 1971 के अन्त में स्टेट बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या थी नीचे दी गई है :—

बैंक समूह	निम्नलिखित तारीख को कार्यालयों की संख्या		30-6-69 और 31-3-71 के बीच खोले गये नये कार्यालयों की संख्या
	30 6-69	31-3-71	
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया समूह	151	208	57
2. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक	179	265	86
3. अन्य वाणिज्य बैंक	281	345	74
जोड़	601	818	217

(ख) और (ग) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। जहां तक सम्भव होगा इसे एकत्रित किया जाएगा और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

आय-कर विभाग, दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

2001. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर विभाग, दिल्ली में पर्यवेक्षक, हैड क्लर्क, निरीक्षक और उच्च श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के संवर्गों (केडर) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए कुल कितने पद आरक्षित हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार प्रत्येक संवर्ग में कुल कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई और उनमें से प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, प्रत्येक संवर्ग में इन वर्गों के उम्मीदवार न मिलने के कारण कुल कितने पद रिक्त रहे और आगामी वर्ष में पदों के सम्मिलित किए गए;

(घ) उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या उपर्युक्त संवर्ग के कुछ पदों को आरक्षित पदों में से निकाल दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इस प्रकार का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सूचना क्रमशः अनुबंध 1, 2 और 3 में दी गई है [**ग्रंथालय में रखे गए देखिये संख्या एल० टी०** 394 / 71]

(घ) बिना भरे रिक्त पदों को 3 परवर्ती भरती वर्षों में आगे ले जाया जाता है । जी हां, कुछ पदों को आरक्षण बाह्य कर दिया जाता है ।

(ङ) राजस्व अर्जक विभागों में पदों को अनिश्चित अवधियों के लिए खाली रखना कार्य के हित में नहीं होगा ।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा उड़ान प्रशिक्षण फीस में वृद्धि

2002. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली फ्लाइंग क्लब ने उड़ान प्रशिक्षण फीस में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित फीस से क्लब की अर्थ-व्यवस्था पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

(ग) लगभग आधा प्रशिक्षण पूरा कर लेने वाले ऐसे कितने युवकों को फीस की दरों में अचानक वृद्धि किए जाने के कारण अपने अग्रेतर प्रशिक्षण को छोड़ना पड़ा ; और

(घ) क्या प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उपदान प्राप्त उड़ान के लिए प्रति घण्टे की शुल्क दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु वाणिज्यिक विमानचालन लाइसेन्स-धारियों में फैली हुई वर्तमान बेकारी को दृष्टि में रखते हुए, 1 अप्रैल, 1971 से व्यक्तिगत प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपदान प्राप्त उड़ान की सुविधा को निजी विमानचालक के लाइसेन्स स्तर तक अर्थात (60 घण्टों तक) सीमित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) यह निर्णय किया गया कि ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने अपना निजी विमान चालन लाइसेन्स प्राप्त कर लिया था और 31 मार्च, 1970 को 150 घण्टों की उड़ान पूरी कर चुके थे, उन्हें सामान्य शर्तों को पूरा करने की अवस्था में 250 घण्टों की अधिकतम उड़ान के लिए उपदान प्राप्त उड़ान की सुविधा से लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने 31 मार्च, 1971 को अथवा इससे पूर्व अपना निजी विमानचालन लाइसेन्स प्राप्त कर लिया था परन्तु इस तारीख को 150 घण्टे की उड़ान पूरी नहीं की थी, वे आगे की उड़ान 75 रुपये प्रति घण्टे की उपदान रहित शुल्क-दर पर उड़ान कर सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बंगला देश से आए हुए शरणार्थियों में से कुछ शरणार्थियों को अपने राज्यों में रखने से कुछ राज्यों द्वारा इंकार किये जाने का कथित समाचार

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर :) परन्तु मंत्री महोदय कहाँ पर हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और अब आते ही होंगे ? तब तक हम औपचारिक कार्य को ले सकते हैं।

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : ऐसी प्रक्रिया तो पहले कभी नहीं अपनाई गई। हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा में व्यस्त हैं। शायद वहां पर भी यह विषय उठाया गया है। आपको इस प्रकार धैर्य नहीं खोना चाहिए। मंत्री महोदय आ गए हैं । अतः अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं श्रम और पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"बंगला देश से आए हुए शरणार्थियों में से कुछ शरणार्थियों को अपने राज्य में रखने से आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु और कुछ अन्य राज्यों द्वारा कथित इंकार"

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है जो आन्ध्र प्रदेश और तमिल नाडु की सरकारों तथा कुछ अन्य राज्यों द्वारा पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को अपने यहां रखने की कथित अस्वीकृति के बारे में कुछ समाचार पत्रों में छपे हैं। इस सन्दर्भ में यह कहना उपयुक्त होगा कि भारत सरकार का पक्का इरादा है कि पूर्वी बंगाल के इन शरणार्थियों को सीमा के समीप ही रखा जाए ताकि पूर्वी बंगाल में सामान्य स्थिति होते ही वे अपने घरों को लौट सकें। उस समय तक भारत सरकार पूर्वी बंगाल के इन शरणार्थियों को विशुद्धतः मानवता के आधार पर आवश्यक राहत सहायता देती रहेगी।

2. हाल ही में पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के बहुत बड़ी संख्या में आ जाने के कारण पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के सीमावर्ती राज्यों में बड़ी भीड़ हो गई है और सम्बन्धित राज्य सरकारें इस समस्या को हल करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रही है। अतः इन दो राज्यों में शरणार्थियों के दबाव को कम करने के लिए कुछ शरणार्थियों को वहाँ से पश्चिमी बंगाल के भीतरी क्षेत्रों में या अन्य राज्यों के बड़े शिविरों में भेजने का निणर्य किया गया है। इन शिविरों का संचालन तथा प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय किया गया है कि इन शिविरों को केन्द्रीय सरकार की जमीनों पर, जहाँ तक सम्भव होगा बन्द कर दिए गए विमान क्षेत्रों आदि पर स्थापित किया जाएगा। ऐसे शिविरों को बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे निकटवर्ती राज्यों में स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। यदि बचा जा सका तो शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल से आंध्र प्रदेश तथा तमिल नाडु के सुदूर स्थानों पर भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने केन्द्रीय शिविर स्थापित करने के लिए अन्य राज्य सरकारों को नहीं लिखा है। क्योंकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है ये शिविर केन्द्रीय सरकार की जमीनों पर स्थापित किए जा रहे हैं और उनका प्रशासन तथा संचालन भी केन्द्रीय सरकार करेगी। अतः आंध्र प्रदेश तथा तमिल नाडु सरकारों द्वारा शरणार्थियों को लेने की कथित अस्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : यह प्रसन्नता की बात है कि किसी भी राज्य सरकार ने शरणार्थियों

को अपने राज्य में रखने से इंकार नहीं किया है। हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का आधार आन्ध्र प्रदेश तथा तमिल नाडु सरकार के मंत्रियों के समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य थे ।

विवरण में कही गई यह बात परस्पर विरोधी प्रतीत होती है कि सीमावर्ती राज्यों पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में बहुत भीड़ हो जाने के कारण राज्य सरकारों ने इस समस्या को हल करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और इन से राज्यों में शरणार्थियों की संख्या कम करने के लिए कुछ शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल के भीतरी क्षेत्रों में या अन्य राज्यों के बड़े शिविरों में भेजने का निर्णय किया गया है। राज्य के भीतरी भागों में शरणार्थियों के भेजने से उक्त राज्यों पर शरणार्थियों का भार किस प्रकार कम होगा। इस संबंधमें सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाए और या सरकार अपना यह तर्क छोड़े। सरकार यह भी स्पष्ट करे कि अन्य राज्यों में कितने शरणार्थियों को भेजा जायेगा।

दूसरे इन लोगों को किस प्रकार से दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा । समाचार पत्रों के अनुसार इस कार्य के लिए रेलवे की सहायता मांगी गई है और कलकत्ता से प्रतिदिन सात रेल गाड़ियां इस कार्य के लिए चलाई जाएंगी। इन लोगों को यदि विभिन्न शिविरों में ले जाने के लिए यदि केवल रेल व्यवस्था का ही सहारा लिया गया तो यह ढंग पर्याप्त नहीं होगा । अतः परिवहन के अन्य तरीकों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

यह ठीक है कि ये शिविर सीधे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में और केन्द्रीय सरकार की ज़मीन पर होंगे अतः इन के लिए राज्य सरकारों की औपचारिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है । परन्तु फिर भी जब कि राज्य विशेष में इतने व्यक्तियों को रखा जाना है तो उस राज्य विशेष के साथ कुछ परामर्श तो किया ही जाना चाहिए। राज्य सरकारों में उत्पन्न होने वाली शंकाओं का समाधान भी आवश्यक है । प्रत्येक राज्य यह चाहेगा कि उस राज्य में भेजे जाने वाले शरणार्थी हैजा आदि जैसी महामारी से मुक्त हों और इस संबंध में उन्होंने टीके आदि लगवा रखे हों।

इन लोगों को जिन शिविरों में भेजा जाए वहां के लिए राहत सामग्री के पर्याप्त प्रबन्ध होने चाहियें। दम दम हवाई अड्डे पर बहुत सा सामान जमा पड़ा है। इस बारे में आश्वासन दिए जाने के उपरान्त भी सामान को वहां से त्वारित रूप से हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रतीत होती है। अतः राहत सामग्री के संबंध में राज्य सरकारों की शंका स्वाभाविक ही है।

ऐसी भी खबरें हैं कि शरणार्थी अन्य राज्यों में जाना नहीं चाहते। कुछ लोग उन्हें बंगाल से दूर न जाने के संबंध में बहका भी रहे हैं । यदि यह सब ठीक है तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? मेरा सुझाव है कि शरणार्थियों को समझाने हेतु पूर्वी बंगाल से आए अवामी लीग के नेताओं आदि का सहयोग प्राप्त किया जाए।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जहां तक सीमावर्ती राज्यों में भीड़ की बात है स्थिति इस प्रकार है कि जनसंख्या का दबाव दूरस्थ क्षेत्रों की अपेक्षा सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक है। इस कारण हमने उन्हें

अन्य स्थानों को भेजने का निर्णय किया है।

पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और अन्य पड़ौसी राज्यों में हमारा 50 बड़े-बड़े केन्द्रीय शिविर स्थापित करने का विचार है और इन शिविरों में 25 लाख व्यक्ति भेजे जायेंगे। शरणार्थियों को अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए रेल गाड़ियों के उपयोग के साथ-साथ अमरीका, रूस, आस्ट्रेलिया व इंगलैंड द्वारा भेजे गए बड़े-बड़े परिवहन जहाजों का भी उपयोग किया जाएगा।

हमने इस बात के लिए पूर्ण सावधानी बरती है कि हैजा अथवा अन्य बीमारी वाले शरणार्थियों को अन्य स्थानों पर न भेजा जाए। डाक्टरों को दिखा कर ही शरणार्थियों का स्थानान्तरण किया जाता है जिससे कि यह रोग अधिक न फैलें। जहां तक दम दम हवाई अड्डे से राहत सामग्री के न हटाने की बात है इस समय वहां पर कोई सामग्री नहीं है। शरणार्थी, विशेषतः एक स्थान से आए हुए, आपस में मिल कर रहना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है अतः हमने यह निश्चय किया है कि जहां तक संभव हो एक स्थान से आए हुए शरणार्थियों को इकट्ठे दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा और जहां यह सम्भव नहीं होगा वहां डराने धमकाने के स्थान पर उन्हें समझाया जाएगा।

श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा (लुधियाना) बंगला देश से आए शरणार्थियों की देखरेख हम इस विचार के साथ कर रहे हैं कि पूर्वी बंगाल में स्थिति सामान्य होते ही वे अपने घरों को लौट सकें। परन्तु पाकिस्तान के राष्ट्रपति के वक्तव्य से इस स्थिति को धक्का लगता है। उनके वक्तव्य से स्पष्ट है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बंगला देश के इन शरणार्थियों को भारतीय निराश्रित समझते हैं और निकट भविष्य में पाकिस्तान इन लोगों को वापस उस देश जाने से रोकेगा। क्या इस स्थिति को देखते हुए हम पाकिस्तान द्वारा इन लोगों के वापस लेने के बारे में कोई तिथि निश्चित करेंगे जिसमें असफलता की स्थिति में हम अपनी आर्थिक एवं राजनैतिक सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमारा विचार है कि छह महीने के भीतर स्थिति सामान्य हो जाएगी और यह अभागे लोग वापस चले जायेंगे।

श्री समर गुह : सामान्य स्थिति से क्या तात्पर्य है···?

अध्यक्ष महोदय : इस अन्तर्बाधा को कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लिखा जाएगा।

श्री समर गुह : * * *

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इस बात से हमे कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तान क्या कहता है। हमारी प्रधानमंत्री ने इस सदन में स्पष्ट कहा है कि यह पाकिस्तान का ही आंतरिक मामला नह भारत का भी आंतरिक मामला है। अतः भारत सरकार कोई भी कार्यवाही करने के लिए स्वतत्रीं है। हम अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बना रहे हैं। माननीय सदस्य को कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

* * * कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित नही किया गया।

Shri R. V. Bade (Khargone) : This is a national problem. All the States should be persuaded to accept the refugees. Government intends to settle 15,000 refugees in Mana Camp in Madhya Pradesh. In addition to tibetan refugees and Burma Repatriates about 65,000 former refugees from East Bengal are already there. Madhya Pradesh Government has stated that there is no more space available in that Camp. What is the reaction of Central Government to this ?

Government should consider settling these refugees in Morena area of Chambal Valley and refugees should be settled in Jammu and Kashmir. There was a Press Report that a 12-hour strike was observed in shillong against the influx of refugees in Meghalaya.

Mr. Speaker : This is not relevant to the subject matter of Calling Attention Notice. This is not good.

Shri R. V. Bade : There was a Press Report that Government would not entertain any responsibility in regard to these refugees who refuse to go out of West Bengal, and those who are staying with their relations. What is the policy of the Government in this regard ?

Shri Bal Govind Verma : Settlement of old refugees in Mana Camp is a different matter and it is not related to new refugees. Government intends to settle 1.50 lakh refugees in Mana Camp and all the expenses for setting up a Camp there would be borne by the Central Government. We do not want to take refugees to far off places like Jammu and Kashmir.

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय का विश्वास है कि वह लोग वापस जायेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यदि सरकार बंगला देश के संबंध में अपनी नीति बदले तो . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Bal Govind Verma : It is not the intention of the Government to take refugees to far off places. We would therefore keep them in neighbouring States. We have also seen Press Reports about Coercive measures, but we have not taken any decision in that regard.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : The problem of refugees is a life and death problem to this country. Economy of the country is going to be shattered, But the Minister as well as our Government appears to be confused to this regard. May I know whether some National Policy is being formulated for their settlement ? The problem of refugees has a direct bearing on our defence and economic policies.

Shri Bal Govind Verma : It is not understood why the question of settling the refugees is being raised. We are merely giving them shelter for the time being and as soon as the situation improves, they would be sent back.

श्री ज्योतिर्मय बसु : संसद सदस्य तथा भूतपूर्व ब्रिटिश मंत्री, श्री जॉन स्टोनहाउस ने पाकिस्तानी सैनिक नेताओं द्वारा बंगला देश में किए गए अत्याचारों पर विचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्याय आयोग की स्थापना का सुझाव दिया है । राज्य में पाकिस्तान की हरकतें इस

सीमा तक पहुंच गई हैं कि अब केवल यह बात उस देश का आंतरिक मामला ही नहीं रह गया। यह सारे विश्व समुदाय का मामला है। इस सम्बन्ध में विश्व जनमत जागृत किया जाए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मैसूर विधान-मंडल (सदस्यों के वेतन) (संशोधन) नियम, 1971

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर विधान-मंडल वेतन अधिनियम, 1956 की धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, मैसूर विधान-मंडल (सदस्यों के वेतन) (संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो मैसूर के राजपत्र, दिनांक 7 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 117 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 379/71]

विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता के न्यासियों की कार्यसमिति का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके लेखा परीक्षित लेखे

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के न्यासियों की कार्यकारिणी समिति के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 380/71]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, लवण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 612 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 381/70]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 771 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 382/71]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 772, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 773, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3831/71]**

कम्पनी कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 686 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो, भारत के राजपत्र, दिनांक 4 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 384/71]**

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 14 जून, 1971 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :—

(1) बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली नियुक्ति और कार्यवाही का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971

(आगे विचार तथा पास करना)

(2) स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1971

(विचार तथा पास करना)

(3) वर्ष 1971-72 के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) संसद अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1971

(विचार तथा पास करना)

(5) आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प पर चर्चा ।

(6) आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना विधेयक, 1971

(विचार तथा पास करना)

(7) पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनरधिनियमन) दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प पर चर्चा ।

(8) 13 मई, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में जारी किए उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प पर चर्चा ।

(9) मैसूर राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में

(विचार तथा पास करना)

(10) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 1970

(विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने को राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति के लिए प्रस्ताव)

श्री समर गुह : उठे***

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके पत्र पर विचार कर लिया है। मैं उसे मंत्री महोदय को भेज दूंगा । उस पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री समर गुह : मैं आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं।...

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगी ।

श्री समर गुह***

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें । आप हमेशा खड़े होकर कार्यवाही में बाधा डालते हैं । इस समय हम कार्यवाही मंत्रणा । समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं और श्री खाडिल कर के विदेश जाने, श्री मुजीबुर्रहमान आदि बातों का इससे कोई सम्बंध नही है ।

*** **श्री समर गुह** : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की गयी ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : लोक पाल तथा लोकायुक्त विधेयक पिछली लोकसभा द्वारा पारित रूप में राज्य सभा को भेजा गया था परन्तु मध्यावधि चुनावों के कारण वह विधेयक समाप्त हो गया। यही स्थिति जांच संशोधन आयोग विधेयक की भी थी। इन विधेयकों को कब पुनः पुर.-स्थापित किया जाएगा ?

श्री राजबहादुर इस प्रकार के सभी विधेयकों के पुर: स्थापन के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

अनुदानों की मांगें (मणिपुर) 1971-72
DEMANDS FOR GRANTS (MANIPUR) 1971-72

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अच्छी सड़कों का अभाव मनीपुर के लोगों की एक अन्य समस्या है। मनीपुर पहुंचने के लिए या तो बरास्ता कलकत्ता गाड़ी से जाया जा सकता है और या हवाई जहाज के द्वारा। गाड़ी नागालैंड होकर जाती है अतः उस रास्ते से जाने में लोगों के लूटे जाने और मारे जाने की संभावना रहती है। हवाई यात्रा के लिए किराया बहुत अधिक है। कलकत्ता से इम्फाल तक का हवाई जहाज का किराया घटाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कई बार अनुरोध किया गया है। अतः जब तक संचार व्यवस्था में सुधार नहीं होता और सड़कों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हवाई किराया घटाया जाना चाहिए। इस बारे में लगभग दो वर्ष पूर्व भी सदन में आश्वासन दिया गया था। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मनीपुर बहुत ही सामरिक महत्व का क्षेत्र है। अतः सुरक्षा उद्देश्यों से भी सड़कों की वहां बहुत आवश्यकता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा कुछ सड़कें बनाई जा रही हैं परन्तु वे केवल सेना के उपयोग के लिए हैं। कलकत्ता से मनीपुर तक एक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण होना चाहिए। जिससे कि चीन अथवा पाकिस्तान व किसी अन्य सीमावर्ती देश द्वारा आक्रमण की स्थिति में यह भाग बाकी के देश से कट न जायें।

मनीपुर का हस्तशिल्प कौशल विश्व प्रसिद्ध है। घरेलू उद्योग के रूप में वहां रजाईयां बनती हैं जो बहुत ही सुन्दर हैं। इस प्रकार की वस्तुएं दिल्ली तक में उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को इस ओर यथोचित ध्यान देना चाहिए और वहां के घरेलू उद्योगों को निर्यात उद्देश्यों से विकसित करना चाहिए।

उस क्षेत्र में स्कूल, कालेज तथा प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह राज्य केन्द्र पर निर्भर न रहे। परन्तु यह तभी संभव हो सकता है यदि वहां चुनाव करवा कर लोकतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना हो और उस राज्य को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। यदि उस क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो वहां के लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे अतः सरकार स्थिति की गम्भीरता पहचाने और ऐसी स्थिति को आने से रोके।

Shri G P. Yadav (Katihar) : Manipur area abounds in natural resources and moreover being a border area it is of strategic importance. But in spite of this this area has remained neglected.

Nagaland whose population is half than that of Manipur and Tripura has been given a status of full Statehood. Therefore the denial of same right to the people of Manipur a tantamount to injustice to them. The Government should therefore concede the demand of the people of the area and accord Statehood to Manipur and Tripura. Resentment among the people on this account explains why the people are falling a prey to successionist tendencies.

अध्यक्ष महोदय : आप भोजन-काल के उपरान्त अपना भाषण जारी रख सकते हैं। भोजन काल के पश्चात् सभा 2 बजे फिर समवेत होगी।

इसके पश्चात् लोक सभा दोपहर के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई

The Lok Sabha adjourned for lunch till fourteen of the Clock

भोजन काल के उपरान्त लोक सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minntes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri G. P. Yadav : There are about 1802 villages in Manipur and out of these about 1000 villages lack in means of communication. There are periods in a year when this part remains cut off from the rest of the country. The economic condition of the people of the area is not good, because proper development of the area did not take place during the last 23 years. All this is creating discontent among the people and has led to a reparatist movement. Christian Missionaries are taking full advantage of this situation and encouraging the separatist movement. Nagaland trouble is due to the encouragement given by Christian Missionaries to separatist Movement in that area. A similar trouble is being incited in Manipur and Tripura also. Government should rise to the occassion and fulfil its promises. Government should also appoint a commission to suggest the ways for proper development of agriculture, industry, education and means of communication in all the mountaneous regions including Manipur and Tripura.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : हाल के मध्यावधि चुनावों में हमारे दल को देश में अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ और यह पहला अवसर है कि हमारे दल ने मनीपुर से लोक सभा के दो स्थान जीते हैं। इसका कारण है लोगों में हमारे दल के प्रति विश्वास। इस कारण हमारा कर्तव्य है कि लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए हमने देश में औद्योगिक विकास संबंधी प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने आदि के संबंध में जो आश्वासन दिये उनके लिए कार्यकरें।

मनीपुर को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की व्यापक मांग को देखते हुए सरकार ने चौथी लोक सभा के भंग किये जाने के पूर्व इस संबंध में आश्वासन दिया था परन्तु उसको अभी कार्यान्वित नहीं किया गया। सरकार इस की ओर ध्यान दे। मनीपुर की राजनैतिक स्थिति का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले काफी समय से वहां पर लोकप्रिय शासन न होकर राष्ट्रपति शासन लागू है। अतः शीघ्रातिशीघ्र मनीपुर-त्रिपुरा को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये जिससे कि वहां पर लोकप्रिय सरकार बन सके। यदि इस मांग को स्वीकार करने में और अधिक देरी की गई तो इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। यह बात वास्तविकता है न कि कोरी चेतावनी मात्र।

मनीपुर दिल्ली से बहुत दूर है अतः यहां के लोग वहां की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझते। यहां पर सामान्यतया कहा जाता है कि मनीपुर चीन के साथ लगने वाला प्रदेश है। परन्तु वास्तविकता यह है कि मनीपुर की सीमा तीन ओर से बर्मा देश के साथ लगती है। अतः वहां की समस्याओं को समझने का कोई प्रयास नहीं किया जाता।

मनीपुर में उद्योगों की स्थापना की बहुत संभावनाएं हैं। कागज, माचिस तथा सीमेंट उद्योग के लिए वहां कच्चा माल बहुतायत में मिलता है। इसके बावजूद भी उस क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु दुख की बात यह है कि मनीपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, नेफा और मेघालय आदि के संबंध में सरकारके निर्णय केवल जनसंख्या को आधार बना कर लिये जाते हैं जबकि उनका आधार उस क्षेत्र के संसाधन आदि भी होने चाहिएं।

हमारे देश में कुछ लोगों के मन में देश के छोटे-छोटे एककों के प्रति उपनिवेश की भावना पनप रही है जोकि बहुत ही अनुचित है। हम अपने दिलों को टटोलें और देश के छोटे-छोटे एककों के प्रति अपने भावों को गलत रास्ते पर न चलने दें, जिससे कि पाकिस्तान व बंगला देश जैसी स्थिति अपने देश में भी पैदा न हो।

काफी समय से मनीपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की मांग उठाई जा रही है। यह बात कुछ लोगों को बड़ी विचित्र लगती है। परन्तु हमें इस बात को ध्यान में लेना है कि मनीपुर की अपनी ही संस्कृति है जोकि प्राचीन और समृद्ध है। अक्टूबर 1949 में देश में इस भाग के विलय से पूर्व मनीपुरी भाषा वहां सरकारी कार्यालयों और कचहरी में प्रयुक्त होती थी, अतः इस मांग में कोई अनौचित्य नहीं है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मनीपुर की समस्याओं को मैं भलीभांति समझता हूं। मनीपुर क्षेत्र के संसद् सदस्यों ने उस क्षेत्र की वास्तविक कठिनाइयों को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है, मुख्य प्रश्न यह रखा गया है कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसाकि सभा को पता है प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि त्रिपुरा और मेघालय के साथ साथ मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को भी सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मंत्रिमंडल की उप-समिति इस मामले पर विचार करती रही है और अब समस्या

मनीपुर, मेघालय और त्रिपुरा के समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकीकृत संवैधानिक व्यवस्था के पता लगाने की है। इस संबंध में अब संवैधानिक प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। अत: मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी विधेयक सभा में शीघ्र ही पुर:स्थापित किया जाएगा।

मनीपुर राज्य-क्षेत्र का विकास अधिक तेज गति से होना चाहिए। इस संबंध में अधिक परिव्यय की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। प्रत्येक योजना में धन की अधिक व्यवस्था की जा रही है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि बंगला देश में हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप वहां की स्थिति विस्फोटक है। तीसरी योजना के परिव्यय में 12.88 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी, जो गत योजनाओं से काफी अधिक थी और अब चौथी योजना में 30.25 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

यह कहा गया है कि पुलिस पर अधिक और शिक्षा, समाज सेवा और विकास पर कम राशि खर्च की गई है। इस आलोचना को तथ्यों के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। मनीपुर सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के नाते उस क्षेत्र में पुलिस पर अधिक व्यय होना स्वाभाविक है। फिर भी वर्ष 1971-72 में शिक्षा पर 4.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि पुलिस पर केवल 3.37 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि विकास के लिए अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। मनीपुर की जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षा के संबंध में मनीपुर विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई है और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, डा० नागचौधरी के नेतृत्व में एक दल उस क्षेत्र में जा रहा है और हम उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में 1970-71 में 34 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि 1971-72 में इस राशि को बढ़ा कर 49 लाख रुपये कर दिया गया है। मनीपुर में 13 अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 38 प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र और 63 औषधालय हैं और वर्तमान अस्पतालों में 200 अधिक शय्याओं की व्यवस्था करने का विचार है।

मनीपुर में औद्योगिक विकास और सामरिक कारणों तथा मनीपुर जैसे क्षेत्र में जनता के लिए न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिवहन और संचार सुविधाओं की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए 10.88 करोड़ रुपये और सड़क परिवहन के लिए 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। आसाम से इम्फाल तक 224 किलोमीटर लम्बी सड़क पहले ही निर्माणाधीन है और इससे मनीपुर की संचार सुविधाओं की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। बिजली के संबंध में अधिष्ठापित क्षमता को दुगना कर दिया गया है और लोकटक में एक पन बिजली परियोजना पर इस वर्ष 2.85 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक सीमेंट कारखाना लगाने के संबंध में सर्वेक्षण किया जा रहा है और मनीपुर सरकार ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम भारतीय

सीमेंट निगम को सौंपा है। आशा है कि यह प्रतिवेदन चालू वर्ष में तैयार हो जाएगा। मनीपुर में कागज़ बनाने के लिए एक मिल की स्थापना करने के बारे में भी परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। मनीपुर प्रशासन ने भारतीय खाद्य निगम से मनीपुर में मक्का वसूल करने का अनुरोध किया है जिससे काश्तकारों को अपने उत्पाद का पर्याप्त मूल्य मिल सके।

बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए लगभग 46 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आई० एफ० सी, आई० डी० बी० आई० जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मनीपुर के समस्त क्षेत्र के लिए रियायती दर पर धन की व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ ही इम्फाल की नगर सीमाओं के बाहर स्थापित होने वाले नये उद्योगों को सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। हाल ही में आई० डी० बी० आई० द्वारा प्रायोजित एक दल ने मनीपुर में उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया था। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत मनीपुर की जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut Motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following demands in respect of Union Territory of Manipur were put and adopted

रुपये

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	भू राजस्व		14,19,000
2	राज्य उत्पादन शुल्क	...	1,73,000
3	मोटर गाड़ियों पर कर	...	76,000
4	बिक्री कर	...	71,000
5	अन्य कर और शुल्क	...	2,000
6	स्टाम्प	...	17,000

		रुपये
मांग संख्या	शीर्षक	राशि
7	रजिस्ट्रेशन ...	57,000
8	संसद राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	7,64,000
9	सामान्य प्रशासन	64,64,000
10	न्याय प्रशासन ...	3,16,000
11	जेलें	3,71,000
12	पुलिस	2,24,41,000
13	नागरिक पूर्ति	1,65,000
14	शिक्षा ...	3,08,32,000
15	चिकित्सा	55,14,000
16	लोक स्वास्थ्य	33,09,000
17	कृषि और मीन क्षेत्र ...	29,65,000
18	पशु पालन ...	16,55,000
19	सहकारिता	8,06,000
20	उद्योग ...	16,93,000
21	सामुदायिक विकास	17,64,000
22	श्रम	3,09,000
23	अंक संकलन	4,41,000
24	सिंचाई ...	5,67,000
25	बिजली ...	50,37,000
26	लोक निर्माण कार्य (मूल निर्माण कार्य और मरम्मत)	62,61,000
27	लोक निर्माण कार्य (प्रतिष्ठान)	1,12,79,000
28	सड़क परिवहन ...	43,62,000
29	दुर्भिक्ष ...	33,000

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
30	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ		8,45,000
31	लेखन सामग्री और मुद्रण		5,11,000
32	वन		11,86,000
33	विविध		39,22,000
34	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	8,33,000
35	छोटे सिंचाई कार्यों पर पूंजी परिव्यय		5,07,000
36	बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	...	13,33,000
37	बिजली पर पूंजी परिव्यय	...	71,15,000
38	सड़कों पर पूंजी परिव्यय		1,36,67,000
39	इमारतों पर पूँजी परिव्यय	...	52,37,000
40	सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय		8,00,000
41	राज्य व्यापार पर पूँजी परिव्यय		58,04,000
42	उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	...	6,67,000
43	सहकारिता पर पूँजी परिव्यय	...	1,37,000
44	ऋण और अग्रिम		30,24,000

मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971—पुरःस्थापित तथा पारित

MANIPUR APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1971—INTRODUCED AND PASSED

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971–72 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971–72 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971–72 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशिओं के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971–72 की सेवाओं के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2–3, अनुसूची, खण्ड, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2-3, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2-3, the Schedule, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय. प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

बंगाल वित्त (विक्रय कर) (दिल्ली नियुक्ति तथा कार्यवाही विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971

BENGAL FINANCE (SALES TAX) (DELHI VALIDATION OF APPOINTMENTS AND PROCEEDINGS)

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 के अधीन कुछ अधिकारियों की नियुक्ति को विधिमान्य बनाने के लिए तथा ऐसे अधिकारियों द्वारा उस अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन की गई कार्यवाहियों को विधिमान्य बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941, जो दिल्ली संघ राज्य पर लागू है, की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उप-राज्यपाल एक विक्रय कर आयुक्त तथा उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी जैसाकि वह उचित समझे नियुक्त कर सकता है, फिर भी विक्रय कर आयुक्त की सहायता के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति धारा 3 के अन्तर्गत नहीं की जाती बल्कि सेवा नियमों के अन्तर्गत की जाती है। यद्यपि बाद में धारा 3 के अन्तर्गत उप-राज्यपाल इन अधिकारियों की नियुक्ति भूतलक्षी-प्रभाव से करता है फिर भी इनकी नियुक्तियां इस धारा के अनुसार नहीं होती क्योंकि यह धारा किसी भी नियुक्ति को भूतलक्षी प्रभाव की अनुमति नहीं देती, अत: स्पष्ट ही इन नियुक्तियों की मान्यता में संदेह है। दिल्ली वूलन मिल्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लेख याचिका दायर की है जिसमें एक सहायक विक्रयकर अधिकारी की नियुक्ति, जो 15-2-1965 से भूतलक्षी प्रभाव से की गई थी, पर आपत्ति उठाई गई है।

दिल्ली प्रशासन ने इस स्थिति की समीक्षा की थी और उन्हें पता चला कि लगभग ऐसी 374 नियुक्तियों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था। यह भी पता चला था कि लगभग 5.55 लाख मामलों में इन्हीं अधिकारियों द्वारा निर्धारण किया गया था और उन्होंने (स्थानीय विक्रय कर अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत) 15'5 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसी प्रकार नियुक्त किए गए सहायक विक्रय कर आयुक्तों ने अपने अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1 नवम्बर, 1951 से इस अधिनियम के अन्तर्गत कर अदायगी की 32000 अपीलों को निपटाया था। विधि के अनुसार ऐसे व्यापारी विपरीत न्यायिक निर्णयों की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आपत्ति उठा सकते है कि निर्धारण करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति मान्य नहीं है। वसूली की कार्यवाही के दौरान भी व्यापारी लोग इस प्रकार के निर्धारण पर आपत्ति उठा सकते हैं। यदि उन मामलों में जिनमें कर की राशि पहले वसूल की जा चुकी है परन्तु निर्णय उसकी वसूली के विरुद्ध हुआ है और यदि वह राशि वापिस करनी पड़ती है तो इससे न केवल सरकार के संसाधनों की स्थिति में कठिनाई पैदा होगी बल्कि इसके परिणामस्वरूप केवल व्यापारियों को लाभ होगा, खरीदारों को नहीं। इस लिए प्रभावित अधिकारियों की नियुक्तियों को तथा उनके किए गए निर्णयों को वैध बनाने के लिए बंगाल अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत 18 मई 1970 को अध्यादेश जारी किया गया था। प्रस्तुत विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा। अत मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधान कार्य

PRIVATE MEMBERS LEGISTATIVE BUSINESS

विधेयक पुरःस्थापित

Bills introduced

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक 1971 (धारा 3 का संशोधन)

PARLIAMENT (PREVENION OF DISQUALIFICATION)AMENDMENT BILL, 1971 (AMENDMENT OF SECTION 3)

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद (निरर्हता निवारण अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971

CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 1971

(अनुच्छेद 74 का संशोधन)

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

डा० कर्णी सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

आयु विषयक छूट (सेवाएं) विधेयक, 1971

AGE RELAXATION (SERVICES) BILL, 1971

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय परिस्थितियों में लोक सेवाओं में प्रवेश करने के लिए आयु विषयक छूट की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय परिस्थितियों में लोक सेवाओं में प्रवेश करने के लिये आयु विषयक छूटकी व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान संशोधन विधेयक, 1971

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,1971

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्यामनन्दन मिश्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक-वापिस लिया गया

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—WITHDRAWN

(अनुच्छेद 81, 82 का संशोधन और नये अनुच्छेद 281-क का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मुरासोली मारन द्वारा 28 मई, 1971 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया जायेगा :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस प्रस्ताव पर अब एक घण्टा और 24 मिनट तक और चर्चा की जायेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : संविधान में प्रस्तावित संशोधन इस धारणा को लेकर चलता है कि अनुच्छेद 81 के अनुसार इस सभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए 1951 में विद्यमान जनसंख्या को आधार माना जाना चाहिए परन्तु अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि इस सभा में प्रतिनिधित्व राज्यवार न होकर समग्र देश समूचे राष्ट्र का है। परन्तु श्री मारन चाहते हैं कि वर्ष 1971 में वर्ष 1951 की जनसंख्या को ही सही माना जाना चाहिए और इसी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार नियोजन कार्य क्रम 1951 में ही आरम्भ किया गया है और अन्य राज्यों की तुलना में उन्होंने अपने राज्य में अधिक कारगर ढंग से इसे आरम्भ किया है और इसीलिए उन्हें इसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु उनका यह तर्क निराधार और सारहीन है क्योंकि यह कार्य 1951 से अन्य राज्यों में भी बहुत कारगर ढंग से किया गया है और क्योंकि मद्रास ने अन्य राज्यों को पीछे कर दिया है इसलिए इसे 1951 में किए गए कार्य के लिए 1971 में इनाम दिया जाए। यह तर्क युक्तिसंगत नहीं है और संविधान में इस प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं है।

बड़े दुख की बात है कि द्रमुक ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है और यह दल केवल तमिलनाडु के हितों को ही क्यों देखता है ? इस देश में अन्य राज्य भी है। उनके हितों को भी दृष्टि में रखना चाहिए। तमिलनाडु से ही 4 अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व क्यों हो ? अतः मेरे विचार से इस समस्त समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि सम्पूर्ण देश की जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिए। इस सदन में बैठकर हमें किसी राज्य विशेष को ध्यान में नहीं रखना चाहिए; अपितु हमें सर्वप्रथम यह मानना होगा कि हम सबसे पहले सब भारतीय हैं और हमें सम्पूर्ण भारत के हितों को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। हमें इस बात को आधार नहीं मानना चाहिए कि 1951 में जनसंख्या कितनी थी, यह अधिक थी अथवा कम थी। हमें आज वर्तमान भारत की समस्याओं पर विचार करना है नाकि विगत काल के भारत की समस्याओं पर। अतः वर्ष 1951 की जनसंख्या को आधार मानना कोई युक्तिसंगत बात नहीं है।

यदि तमिलनाडु का संसद में अधिक प्रतिनिधित्व हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें इस समस्या पर सारे भारत को देखकर विचार करना चाहिए।

निधियों के आवंटन के सम्बन्ध में, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 281 का संशोधन करने के लिए जनसंख्या के तत्व को प्रस्तुत किया गया है। इस बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि क्षेत्रीय विषमता को हम दूर करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या के तत्वों पर निर्भर नहीं करना होगा। क्षेत्रीय विषमताओं और जनसंख्या की आपस में कोई संगति नहीं है। क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने के लिए हमें किन्हीं अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होगा। केन्द्र ने जो निधियां नियत की हैं उनका क्या महत्व है ? केन्द्र द्वारा निधियों का नियतन औचित्य के आधार पर किया जाना चाहिए और यह कार्य करते समय समस्त देश को ध्यान में रखना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस राज्य में कितनी विषमताएं हैं।

अतः मेरे विचार से प्रस्तुत विधेयक को वापस ले लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

Shri Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Sir, with this proposed amendment in the constitution there will be bad and unpleasant feelings amongst the people of one State towards other States in the country. Keeping this aspect in view this amendment should be opposed. This can not be taken into consideration.

It is an admitted fact that the people of Tamil nadu are no doubt intelligent people and that is why they have started family planing drive in their state earlier in comparison to other states of the country as a result of which the population of other states increasd and these states could not make desired progress which remained backward. But we should not be unjust to these backward states. There is a need for encouraging these states to develop. More funds should be allocated for these backward poverty affected areas. We should not forget this fact that if the people of these backward and poor areas are not developed and brought at par with those of developed states they can become rebels and can stand in revolt against us.

I want my Hon. friend of D. M. K. to withdraw his resolution. If this Bill is passed in this House, there will be unwanted atmosphere in the country and the nation as a whole shall have to face adverse circumstances resulting thereby great loss to the country. My Hon. friend and other members of his party should consider this problem in a broader sense. It should be taken into consideration that proper and due attention is given to every area of the country for its development and progress. He should not press for his Bill, rather he should withdraw this Bill.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् (मदुरै) : मेरे अनेक साथियों ने अनुरोध किया है कि इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। परन्तु मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक यथार्थ उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य संकीर्ण नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि 1952 में परिवार नियोजन का कार्य जब भारत सरकार ने आरम्भ किया था तो अनेक राज्यों ने इस कार्य में रुचि ली और कुछ राज्यों ने बाद में इस कार्य में अपनी रुचि कम कर दी। इन राज्यों ने परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। केवल कुछ ही राज्यों ने इस कार्य को इस तत्परता से निभाया जैसेकि यह उनका अपना ही कार्य है। जहां तक तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिण राज्यों का सम्बन्ध है उन्होंने द्रमुक सरकार के अन्तर्गत ही नहीं अपितु कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही इस कार्य को आरम्भ किया है और ये कार्य को तभी से करते आए हैं। उन्होंने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से इस कार्य को किया है।

यहां तक कि तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के परिवार नियोजन मंत्री तो विवाहों में परिवार नियोजन शिक्षा सम्बन्धी भाषण भी देते हैं, जो वहां की प्रथा के विरुद्ध है।

इस विधेयक में केवल तमिलनाडु की ही वकालत नहीं की गई है अपितु आंध्रप्रदेश सहित समस्त दक्षिण भारत के राज्यों की वकालत की गई है। वास्तव में इस विधेयक में उन सभी राज्यों,

जिनकी जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के कारण कम हो गई हैं, के पक्ष में कहा गया है।

जनसंख्या में वृद्धि होने की समस्या केवल हमारे देश की ही समस्या नहीं है। यह तो विश्व-व्यापी समस्या है। हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। परन्तु जिन राज्यों ने परिवार नियोजन के कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ अपनाया है उनको इसकी सजा क्यों मिले।

श्री साल्वे ने कहा है कि यह सब लोगों के लिए 'एक समान अवसर' के सिद्धान्त के विरुद्ध है। परन्तु इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि 1951 की जनसंख्या के आधार पर कम से कम स्थान निर्धारित कर दिए जाएं। जिन राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए उनके स्थानों में भी वृद्धि कर दी जाए तो हमें इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु जिन राज्यों की जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के कारण कम हो गई है उन्हें इसका कुछ मुआवजा अथवा रियायतें अवश्य दी जानी चाहिए और इस विषय पर विचार करने का हमारे लिए यही उपयुक्त समय है।

इस विधेयक के पास होने से केवल तमिलनाडु को ही लाभ नहीं होने का अपितु अन्य राज्यों को भी इसका लाभ होगा। इस विधेयक के प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की संकीर्ण भावना नहीं आई है। अपितु यह तो साधारण और वैध मांग है। हम दूसरों का हक मारकर अपने स्थान बढ़ाना नहीं चाहते। हम केवल यही चाहते हैं कि हमारे स्थानों में कमी नहीं की जाये। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सेरियान (कुम्बकोणम्) : श्री मारन द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक के विरुद्ध अनेक तर्क दिए गए हैं। जिनमें सबसे प्रभावपूर्ण तर्क श्री साल्वे का है। श्री साल्वे ने आंकड़ों को गलत बताया है। एक और तर्क दिया गया है कि मौलिक सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए जनता की समानता को स्वीकार करना चाहिए।

परन्तु मेरे विचार में संघीय ढांचे में केवल जनता की समानता को ही नहीं गिना जाना चाहिए बल्कि राज्यों की समानता को भी गिनना चाहिए। अतः संघीय ढांचे में आधारभूत सिद्धान्त यह है कि किसी भी बड़े अथवा छोटे, घनी जनसंख्या अथवा कम जनसंख्या वाले राज्य को यह अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि उसके साथ भेदभाव बरता जाता है। जब वे सदन में मिलें तो सब में समानता की भावना हो। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में भी इस समानता पर बल दिया गया है। इस तथ्य को विश्व के अन्य संविधानों में मान्यता दी गई है। परन्तु भारत में स्थिति बिल्कुल उलटी है। मेरे माननीय मित्र के इस विधेयक में एक दोष है उन्होंने इसे अत्यन्त छोटे रूप में रखा है। इस विधेयक में यह प्रावधान होना चाहिए था कि सब राज्यों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

यह प्रश्न किया गया है कि 1951 को आधार क्यों माना जाए। भोपाल में हुए

अखिल भारतीय परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य सम्मेलन द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार यदि 1951 या 1968 को आधार वर्ष माना जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु जब एक बार यह आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है कि जो राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाएं तो उसे हतोत्साह नहीं किया जाए । इसके लिए कोई भी वर्ष आधार के रूप में माना जा सकता है । आधारभूत सिद्धान्त तो यह है कि केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की संख्या निर्धारित नहीं की जानी चाहिए; और यदि एक बार भी ऐसा किया गया तो परिवार नियोजन कार्यक्रम ढीले पड़ जायेंगे और जो राज्य परिश्रम से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं उनके उत्साह भी ढीले पड़ जायेंगे। इसी मुख्य बात को मेरे मित्र श्री मारन ने लिया है ।

आधारभूत सिद्धान्त यह नहीं है कि मद्रास को एक और स्थान मिलेगा अथवा अन्य किसी राज्य को दो स्थानों की हानि होगी अपितु आधारभूत सिद्धान्त तो यह है कि क्या तुम जनसंख्या के आधार पर संघीय ढांचे में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त करने जा रहे हो जिसका अभिप्राय है कि इस संस्था में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । संघीय ढांचे में काम करने का यह अच्छा आधार नहीं है ।

1957 में यह संविधान लागू हुआ था और तब से आज तक बीस बार इसमें संशोधन किए गए हैं। यदि यह संविधान भी स्वीकार कर लिया जाए तो कोई हानि नहीं होने वाली अपितु इससे संघीय ढांचे के कार्य को और सुचारु रूप से चलाने की दिशा में कुछ लाभ ही होगा । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इस विधेयक के सिद्धान्त के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है परन्तु मैं इस विधेयक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं । इस सिद्धान्त के दो मत नहीं हैं कि संघीय राज्य पद्धति में प्रत्येक राज्य में समानता होनी चाहिए ।यदि इस सिद्धान्त पर आधारित इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, यद्यपि यह विवाद का विषय है कि इन परिस्थितियों में क्या भारत में ये मान्य हैं ।

मेरे माननीय मित्र ने अमरीका और भारत को एक स्तर लाने का प्रयास किया है । परन्तु दोनों देशों में बहुत अन्तर है । जहां अमरीका में विभिन्न राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है और वे संघ के रूप में मिल जाते हैं परन्तु यहां भारत में पहले संघ का अस्तित्व है और फिर प्रशासन के उद्देश्य से हमने देश को विभिन्न राज्यों के रूप में विभाजित किया गया है और उन राज्यों को कुछ अधिकार दिए गये हैं। अन्य अधिकार संघ अथवा केन्द्र को होते हैं ।

यहां पर आधारभूत तत्व 'व्यक्तित्व' है। परन्तु जब हम प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून बनाते हैं तो हमें उन लाखों व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर यहां भेजा है । इस स्थिति में हम राज्य को अचल एकक के रूप में नहीं मान सकते ।

इस विधेयक में एक दोष है कि मेरे माननीय मित्र यहां इस धारणा को लेकर चले हैं कि जो राज्य 1951 में थे वे तो पूर्ण रूप से धर्म-परायण राज्य हैं और जो राज्य बाद में बने हैं वे केवल हेर-फेर करके बनाये गये हैं। यह सारा दृष्टिकोण ही भ्रान्तिपूर्ण है। हमारे संविधान में राज्यों में केवल हेर-फेर ही नहीं हुई है अपितु नये राज्य भी बनाए गये हैं। ये प्रावधान हमारे संविधान में ही हैं। अतः मूलभूत स्थिति तो केवल व्यक्ति ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पंचायत और राज्य में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इसके साथ ही उसे संसद में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए संस्था के आकार के अनुसार, प्रतिनिधि को चुनने वाले व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। यदि भारत को समग्र रूप में देखा जाए तो किसी राज्य से कम या अधिक प्रतिनिधि आते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है।

कुछ राज्यों में यह भावना पाई जाती है कि उनके साथ समानता नहीं बरती जाती है अथवा उनकी उपेक्षा की जाती है। उदाहरणार्थ मैं केरल से आया हूं और मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरे राज्य को उचित अधिकार नहीं मिल रहा है, जो तमिलनाडु ले रहा है। (व्यवधान) इसका केवल एक ही समाधान है और वह है वृत्ति अथवा भावना में परिवर्तन करना जो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह एक दूसरे से इस प्रकार व्यवहार करे जिससे मनोवैज्ञानिक भावना का संचार हो कि हम सब एक ही राष्ट्र के अंग हैं।

निधियों के नियतन के बारे में 1951 को जो आधार बनाने का प्रस्ताव किया गया है, वह अमान्य है क्योंकि धन का नियतन उस विशेष वर्ष में विद्यमान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसका आधार ही गलत है। दूसरे, यह कि उस गलत बात को सुधारने का प्रयास किया गया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तीसरे, यह कि इस विधेयक का जो मसौदा तैयार किया गया है वह इस तरह तैयार किया गया है कि यदि इसको स्वीकार किया जाए तो हम बहुत गम्भीर कठिनाई में पड़ जायेंगे। संविधान के इस अंग का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। देश के बड़े क्षेत्रों में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी जिनको हल करना बहुत कठिन हो जायेगा। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : यह विधेयक मुख्यतः इस उद्देश्य से लाया गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों से हुए जन संख्या ह्रास के कारण राज्यों को दण्ड न दिया जाए। आंकड़े देखने से स्पष्ट हो जाता है कि तमिलनाडु की जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण कम नहीं हुई है। तमिलनाडु में जनसंख्या 1971 की जनगणना में 22.01 प्रतिशत बढ़ी है। आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि 20 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में 19.73 प्रतिशत रही।

वास्तव में तमिलनाडु की जन संख्या में कमी के कुछ अन्य ही कारण हैं। जैसे : 1095,398 व्यक्तियों के वहां से बाहर के राज्यों में बस जाना तथा राज्य के कुछ क्षेत्रों का आंध्र में मिला दिया जाना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय उन राज्यों को महत्व दे रहा है जो परिवार नियोजन कार्यक्रमों को भली प्रकार कार्यान्वित करते हैं। यह मामला राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष लाया गया है जिसमें कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सम्मिलित हैं।

दूसरे यह शिकायत की गई है कि जनसंख्या घट जाने के कारण तमिलनाडु को आवंटित राशियां कम कर दी गई हैं, यह तथ्यों से विपरीत है। दूसरी योजना अवधि में व्यय की राष्ट्रीय औसत 51 थी जबकि तमिलनाडु की 57 प्रतिशत थी। चौथी योजना में राष्ट्रीय व्यय की औसत 119 रु० है जबकि तमिलनाडु की 129 रु०। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों प्रति व्यक्ति योजना अधीन व्यय तमिलनाडु से कम है। अत: विधेयक का आधार ही दोषपूर्ण है।

अत: मैं माननीय सदस्य को विधेयक को वापस लेने का परामर्श देता हूं।

श्री मुरासोली मारन : कई राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम काफी रुचि से चलाये गए हैं और उन राज्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप वहां की जनसंख्या में कमी भी आई है। ऐसी कमी तमिलनाडु या अन्य किसी भी राज्य में हो सकती है। उस कमी के अनुसार उन राज्यों का लोक सभा में प्रतिनिधित्व तथा केन्द्रीय करों में उनका भाग घट गया है। दूसरी ओर जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं किया, उन्हें पूरे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इन बातों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि सबके साथ समानता बरती जा रही है।

अनुच्छेद 80(2) में राज्य सभा के गठन का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतक सीमा निश्चित की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य सभा में उत्तर प्रदेश के 34 प्रतिनिधि है जबकि आसाम जैसे के केवल 7 ही प्रतिनिधि हैं। किन्तु संविधान निर्माताओं ने 1951 की जन संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के 344 और हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रतिनिधि रखा है। इस सभा के लिए उसका अनुकरण करने में क्या बुराई है।

श्री सालवे ने कहा है कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व 30 होता है अथवा 31 से 35 कुछ भी होता है जनता पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनके दल पर इसका प्रभाव न पड़ता हो हमारे दल पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। आने वाले वर्षों में हमारा परिवार नियोजन का निश्चित कार्यक्रम है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय ने कहा है कि केरल और महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम अधिक प्रभावी रूप से चलाया गया है।

श्री मुरासोली मारन : लक्ष्यों और कारणों के विवरण में मैंने तमिलनाडु का नाम इसलिए लिया है क्योंकि मैं तमिलनाडु से सुपरिचित हूं तथा तमिलनाडु नाम तो मैंने एक उदाहरण के रूप में

लिया है। मैंने महाराष्ट्र तथा अन्य सभी राज्यों के लिए कहा है जो परिवार नियोजन के पक्ष में है।

मैं समझता हूं कि भविष्य में जन्म दर स्थिर की जा सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता हमें कोई विधि अपनानी पड़ सकती है।

पहली योजना में हमें 10.8 प्रतिशत सहायता मिली, दूसरी में 9 प्रतिशत, तीसरी में 7.4 प्रतिशत जबकि चौथी योजना में 5.7 प्रतिशत ही रह गई है। परिवार नियोजन इसका एक कारण है।

राष्ट्रीयता में हम किसी भी राज्य से पीछे नहीं हैं। हम अपने को केवल भारतीय समझते ही नहीं अपितु भारतीय जैसा व्यवहार भी करते हैं।

श्री के० के० शाह ने, जब वह केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री थे, अक्तूबर, 1970 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वर्ष 1966 की जन संख्या को राज्यों के लिए धन के नियतन का आधार माना जाना चाहिए तथा इसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों को हिसाब में नहीं लेना चाहिए। केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने नवम्बर, 1969 में भोपाल में हुई अपनी बैठक में जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी कि आगामी 15 वर्षों के लिए राज्यों को संसद् में स्थानों के आवंटन तथा धन के नियतन हेतु वर्ष 1968 की अनुमानित जनसंख्या को आधार माना जाना चाहिए। अतः कम से कम कुछ वर्षों तक, जब तक हम परिवार नियोजन के बारे में समान लक्ष्य निर्धारित नहीं करते जब तक हमें इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हम परिवार नियोजन कार्यक्रम बंद कर देंगे।

इस विधेयक द्वारा सभा का तथा सरकार का ध्यान परिवार नियोजन की ओर आकृष्ट किया गया है ताकि सरकार इस बारे में विचार करने के पश्चात् आपेक्षित विधेयक लाये। मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा विधेयक के वापस लेने की अनुमति देती है।

माननीय सदस्य : जी, हां।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Bill was by leave withdrawn

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1971

(नये अनुच्छेद 23 क और 23 ख का अन्त:स्थापन)

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार करेगी अथवा ऐसा ही स्वयं एक विधेयक लायेगी जिसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा वृद्धों के लिए बीमे की व्यवस्था की जा सकेगी ।

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए
Dr. Saradish Roy in the Chair]

इस विधेयक पर प्रस्तावित 10 करोड़ रुपए का व्यय इसकी उपयोगिता को देखते हुए अधिक नहीं है । इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 41 तथा 45 में उल्लिखित बातों को कानूनी रूप देना है । 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का कार्य महत्वपूर्ण है । इसके लिए संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों की क्रियान्वति आवश्यक है ।

अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तरह हमारे देश में भी 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को सामाजिक संरक्षण देना राज्य का कर्तव्य है ।

आज भी गांवों में हम बच्चों को अशिक्षित पाते हैं । मेरे राज्य राजस्थान में बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं और वहां पर अकाल की स्थिति बनी रहती है । क्या सरकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के पश्चात् भी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा देने में समर्थ नहीं है । ऐसा होते हुए यह दावा कैसे किया जा सकता है कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है ।

यदि सरकार इस विधेयक को स्वीकार नहीं करती है तो उसे 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने तथा वयो वृद्धों के लिए बीमा संबंधी व्यवस्था करने के लिए विधेयक, संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने हेतु स्वयं सभा में पेश करना चाहिए ।

दुर्भाग्यवश निदेशक सिद्धान्तों के विषय में देश में यह धारणा बन गई है कि इनको संविधान के भाग 4 में दिए गए अनुच्छेद 37 के अधीन न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता । ऐसा समझा जाता है कि निदेशक सिद्धान्त केवल महत्वाकांक्षाएं ही है और इनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु तथ्य यह है कि संविधान का कोई भी अन्य भाग इतना महत्वपूर्ण

नहीं है जितना निदेशक सिद्धान्तों वाला भाग 4 है। यह भाग भाग 3 के साथ मिल कर हमारे संविधान को मूर्त रूप प्रदान करता है। इन निदेशक सिद्धान्तों की उपेक्षा करना राष्ट्र को दिए गए आश्वासनों और आशाओं एवं उन आदर्शों की उपेक्षा करना है जिनके आधार पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ है।

आयरलैंड, डेनमार्क, लक्समबर्ग, नीदरलैंड और कोलम्बिया जैसे कुछ देशों में राज्य द्वारा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आयरलैंड जैसे देश में सरकार गरीबों, वृद्धों और विधवाओं का ध्यान रखती है।

मैं भारत को उन्नत देशों में गौरव पूर्ण स्थान पर देखना चाहता हूं और यह शिक्षा द्वारा ही संभव है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1933-34 के इलाहाबाद अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा कर्तव्यों के संबंध में अपने घोषणापत्र में यह उपबन्ध सम्मिलित किया, "सरकार औद्योगिक श्रमिकों के हितों का संरक्षण करेगी और वे उन्हें वृद्धावस्था बीमारी और बेरोजगारी के आर्थिक परिणामों से बचायेगी।" अतः मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल इस दिशा में वचन बद्ध है और उसको मेरे इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को आठ सदस्यों की प्रवर समिति को इस अनुदेश से सौंपा जाये कि वे इस पर अगले सत्र के प्रथम दिवस तक रिपोर्ट दें।"

सभापति महोदय : मूल प्रस्ताव तथा संशोधित प्रस्ताव सभा के समक्ष है।

Shri M. C. Daga : When Rajasthan was under princely rule 1½ crores of rupees were being spent on education whereas 40 crores rupees are being spent on education today.

It is wrong to say that nothing has been done in spreading primary education in the country. All the states have tried to open more and more primary schools in rual areas. Various acts have been enacted for the poorer section of our society which include Employees State Insurance Act, Mica Mines Labour Welfare Fund Act, Coal Mines Welfare Fund Act, and Employees Provident Fund Act. Any old man of 60 in Rajasthan without any means of livelihood now gets Rs- 30/- per month. Every state is spending a good deal of amount on education.

All States are aware about the spreading of education. The arrangements for the education of children upto 14 years of age have been made everywhere. All the Panchayat areas have been provided with primary schools. A primary school is running within an area of five miles. He says that legal shape should be given to Article 41 and 45 of the Constitution. It is said that the education may be made compulsory. You will provide

compulsory education to the boys of poor people who earn their livelihood. What will be the fate of these poor people if their boys ignore the work for education ?

What was the condition of education during the princely regime ? The education was co fined to the surroundings of their capital only. They never cared about the villages contrary to this, all the villages are provided with the schools these days. He has tried to bring up revo'utionary law which, in fact, is not his intention. He has raised baseless allegations by saying that people are compulsorily required to pay 50 percent of the expenditure. Rajasthan Government is liberally spending on education. An amount of Rs. 1½ crore used to be spent on education in our area during the princely regime which has now gone up to Rs. 40 crores.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था के प्रश्न पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चर्चा 50 वर्ष पूर्व की घटनाओं पर है अथवा आज के युग पर। माननीय सदस्य को कहना चाहिये कि वे अनिवार्य शिक्षा से सहमत हैं अथवा नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कुछ बातें कही हैं।

डा० कर्णी सिंह : आप उनका खंडन कर सकते हैं।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri M. C. Daga : I simply replied to his allegations. I also want that Directive Principles should be followed by all the states for which you have sought constitutional amendment. So many laws have been framed for the betterment of working class and old age people. Every body above sixty years of age who can not earn is being paid.

Dr. Karni Singh : Do you appose legislation for old age pensions ?

Shri M. C. Daga : It is not necessory to do so by depending on article 41 and 45. The states should do it as far as their financial position allows.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Should it be done or not ?

Shri M. C. Daga : I think it should not be compulsory and mendatory.

Shri N. K. Sinha (Muzaffarpur) : I am gratefull to the hon. Member for drawing the attention of the house towards Directive Principles of state, which is no doubt, an important issue. Illiteracy of majority population is not a matter of pride to any country. We have always been trying to follow the directive principles of state. We not only want to open the schools but also create environment in which every family is in a position to send the children to school because villagers are facing some practical difficulties in sending their children to schools. It is easy to say that children should be sent to school but the villagers have their economic and social problems.

Money is required for education and old age pension. It is easy to say that this or that country provide old age pension or have made that much of provision for education, while saying so we have to keep our economic condition in view. Dr. Karni Singhji says that education should form a part of central subject. It will be wrong to think that no work is transacted in the states who are not having central subject.

Dr. Karni Singh : I have not said it.

Shri N. K. Sinha : On the Basis of impressions gathered by me on my visit to some foreign countries I can say that our economic condition do not allow us to think of introducing old age pensions. The hon. Member has proposed an amount of Rs. 10 crores for old age pension and compulsory education throughout the country but think nothing less than Rs. 200 crores will be sufficient to introduce these schemes. There are practical difficulties in introducing these schemes because of our increasing and unavoidable necessaties in the matter of irrigation, electricity, housing, employment, roads and also Bangla Desh problem. I oppose this bill.

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मेरे विचार में यह सरकार राज्य के निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में बुरी तरह से असफल रही है। जहां तक राज्य के इस निदेशक सिद्धांतों का सम्बन्ध है, मैं डा० कर्णी सिंहजी से पूरी तरह से सहमत हूं।

पंडित नेहरू के शब्दों में शिक्षा पर लगाये जाने वाला धन असली व्यय है। प्रश्न है कि इस सरकार ने क्या अपना धन ठीक प्रकार से व्यय किया है ? संविधान के रचयिताओं के अनुसार यह सिद्धांत दस वर्षों में पूरा किया जाना था लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुछ राज्यों को संभवतया निदेशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए कम से कम 30 अथवा 35 वर्ष लगेंगे। इन सिद्धांतों को कार्यान्वित न करने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है। क्या इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि यह सरकार तथा यह दल इन सिद्धांतों को कार्यान्वित कर सकती है ? चांद पर चलने के सपने लेने का क्या लाभ है यदि हम जमीन पर ही अच्छी तरह से नहीं चल सकते हैं।

डा० कर्णी सिंह : आप इस बात को ईमानदारी से नहीं सोचते कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हम प्रदान कर सकते हैं।

श्री आर० डी० भंडारे : मैं विभिन्न राज्यों की स्थिति जानता हूं।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : गुजरात में शिक्षा अनिवार्य है।

श्री आर० डी० भंडारे : निदेशक सिद्धांतों के मामले में सब राज्यों को एक पैमाने से नहीं मापा जा सकता।

योजना आयोग ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं उन माननीय सदस्यों से

सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि शिक्षा को केन्द्रीय विषय न बनाया जाए। इसे संगामी विषय बनाया जाना चाहिए। इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार शिक्षा के मामले में अधिक महत्वपूर्ण योग दे सकेगी।

आज़ादी के बाद तीन पंच-वर्षीय योजनाएं कार्यान्वित करने के बावजूद भी देश में निरक्षरता बढ़ रही है। मैं योजना आयोग तथा सरकार से आग्रह करूंगा कि शिक्षा और विशेषकर प्राईमरी शिक्षा के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करे।

ग़रीब लोगों के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, इस बात से कौन इन्कार करेगा। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि इस नीति को कार्यान्वित किया जाये। इन सिद्धांतों को न्यायी बनाने से वास्तविक स्थिति में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा० कर्णी सिंहजी से अपना विधेयक वापस लेने का आग्रह करूंगा। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि शिक्षा विशेषकर प्राईमरी शिक्षा के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करे क्योंकि शिक्षा हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है।

अतः इन शब्दों के साथ मैं अपने निवेदन को पुनः दोहराता हूं। यद्यपि डा० कर्णी सिंह ने इस सभा, सरकार और देश के लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर काफी आकृष्ट किया है अतः मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं अब उन्हें यह विधेयक पास करने के लिए अधिक दबाव नहीं डालना चाहिये।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : इस विधेयक पर भाषण देते समय जो विचार व्यक्त किये गये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। यदि शिक्षा का प्रसार नहीं होता, यदि अधिकांश लोग अनपढ़ रहें तो हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। अतः यह कहना ठीक ही है कि शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।

हमारे देश की अधिकांश जनता ग़रीब है। वे लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय को सहन करने में असमर्थ हैं। अतः समूचे देश के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार का कर्तव्य है और उसे इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। यदि निःशुल्क शिक्षा देने में हमारा वर्तमान सविधान बाधक बनता है तो सरकार की उस कठिनाई को दूर करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक पेश करना चाहिए। एक तर्क यह भी दिया गया है कि यदि संविधान में परिवर्तन करने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उससे हमारे राज्यों का संघीय ढांचा ही समाप्त हो जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे संघीय ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, अपितु इसके अन्तर्गत तो हमें राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करनी पड़ेगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सम्पूर्ण बोझ राज्य उठाने में असमर्थ हैं। अत केन्द्र को राज्यों की इस कार्य में सहायता करनी होगी और इस योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व

केन्द्र का ही होगा। रूस, चीन तथा कुछ अन्य साम्यवादी देशों में शिक्षा बिलकुल निःशुल्क है और मां बाप को बच्चों की शिक्षा का कुछ भी बोझ नहीं उठाना पड़ता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : केवल वहां लोगों को आज़ादी नहीं है।

श्री दशरथ देव : आज़ादी तो सभी को है, परन्तु हां पूंजीपति वहां अपनी मनमानी नहीं कर सकते। पूंजीपतियों पर यदि अंकुश न रखा जाये तो फिर भला यह समाजवाद काहे का। जन-साधारण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए पूंजीपतियों पर कुछ अंकुश रखना अनिवार्य ही है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मेरी तो यह मान्यता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। साधारण आदमी तो 100 साल बाद भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पायेगा और जब तक समूचे देश में भारी संख्या में अशिक्षित लोग रहेंगे, तब तक हमारा लोकतन्त्र केवल एक ढोंग बना रहेगा। तब तक देश की समृद्धि की कल्पना करना भी बेकार होगा। अतः सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा का विस्तार किया जाये ताकि देश में शिक्षित लोगों की संख्या अधिक हो सके।

वृद्धावस्था पेंशन का जो प्रस्ताव किया गया है वह भी अपने आप में एक अच्छा प्रस्ताव है और वर्तमान स्थिति में हमारा देश इस व्यय को पूरी तरह सहन करने में भी समर्थ है। अगर अधिक नहीं तो सरकार को कम से उन व्यक्तियों को तो पेन्शन देनी ही चाहिए जिनका कि बुढ़ापे में अन्य कोई सहारा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पेश करने के लिए मैं डा० कर्णी सिंह का धन्यवाद करता हूं। परन्तु कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जो इस विधेयक का विरोध किया है उससे निश्चय ही मुझे आश्चर्य हुआ है। संविधान सभा में स्वयं कांग्रेस दल ने ही तो यह स्वीकार किया था कि 10 वर्षों के अन्दर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। किन्तु आज संविधान को लागू किए हुए 20 वर्ष हो गए है परन्तु अभी तक हमारे 30 प्रतिशत बच्चे भी शिक्षित नहीं हो पाए हैं। अत: ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के विधेयक की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

सामने बैठे मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि ऐसा करना कुछ अव्यावहारिक-सा है और इस प्रकार के निर्देश सिद्धांतों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु इन मित्रों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन सिद्धांतों को व्यावहारिक किस प्रकार बनाया जा सकता है। हमारे यहां लोगों की आर्थिक अवस्था इतनी शोचनीय है कि जब तक इस कार्य में अनिवार्यता का अंश नहीं जोड़ा जाता तब तक वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे।

कुछ सदस्यों का कहना है कि इस कार्य को करने में 50 या 100 वर्ष का समय लगेगा। परन्तु

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि चीन जैसा बड़ा देश इस कार्य को केवल 4 वर्षों में ही करने में सफल हो गया है ।

भला यह कैसे सम्भव हो सका है ? इसका कारण यही है कि वहां की सरकार यह कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प थी । उसने शिक्षा के महत्व को समझा और इस अपनी योजना-पद्धति में उचित स्थान दिया । परन्तु यह खेद की बात है कि हमारे योजना आयोग ने शिक्षा के महत्व को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी है । अब जबकि डा० कर्णी सिंह ने अपने विधेयक द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, तो हमें आशा है कि सरकार इस विधेयक की भावना का स्वागत करेगी ।

हम सदा समाजवाद का नारा लगाते रहे हैं । मैंने लगभग सभी समाजवादी देशों की यात्रा भी की है । समाजवादी देशों में बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिस प्रकार उनका रख-रखाव किया जाता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । चीन एक निर्धन देश है और उसकी जन-संख्या भी अधिकतम है, परन्तु वह कुछ ही वर्षों में समस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सफल हुआ है । अतः हमें भी दृढ़ संकल्प होकर कठिनाईयों का सामना कर इस दिशा में सफलता प्राप्त करनी चाहिए ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Chairman, Sir, I thank Dr. Karni Singh for bringing forward this Bill. But at the same time I would like to ask the hon. Members, why taxes are opposed by them. If the Government is to provide free education to children, if the Government is to implement public welfare schemes, how it can be done without finances ? Can we raise the finances without taxes ? If not, why each and every tax proposal is opposed by hon. Members ? If they really stand for the cause of free education, they should donate all their princely properties to the Government so that the same could be utilized for this great cause. But is Dr. Karni Singh prepared to do so ? Are other Maharajas prepared for this sacrifice ? Though I support the spirit of the Bill, but at the same time I wish that taxes should not be opposed. That is all I wanted to add.

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : सभापति महोदय शिक्षा के विषय पर कुछ बोलना निश्चय ही खुशी की बात होती है और ऐसे अवसर पर जब कि विधेयक की भावना का सदन के दोनों ओर से स्वागत किया जा रहा है, यह खुशी और भी बढ़ जाती है ।

अब तक इस विषय पर सदन में जो चर्चा की गई है उसमें एक त्रुटि रही है । यहां निर्देशन को ही शिक्षा की संज्ञा दी गई है । शिक्षा का अर्थ है, किसी के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम गुणों को उभारना । आज हमारे देश में समस्या यह नहीं है कि शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाये, बल्कि समस्या यह है कि शिक्षा अपनी परिभाषा के अनुरूप हो । शिक्षा इस प्रकार की हो जोकि बच्चों के विकास के लिए सर्वोत्तम सिद्ध हो सके, इसका विकास यथा सम्भव सर्वोत्तम स्तर पर किया जा सके । शिक्षा को जीवन के अनुरूप बनाने के लिए, उसका एक विशेष दृष्टिकोण होना चाहिये । इसके साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल न डालकर हमें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिये ।

परन्तु हमारे स्कूलों की स्थिति बिलकुल विपरीत है। वहां 100 विद्यार्थियों की कक्षा के लिए एक अध्यापक होता है। इतनी बड़ी संख्या वाली कक्षा के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान देना तो एक ओर रहा, वह बेचारा तो सभी विद्यार्थियों के नाम भी याद नहीं रख सकता। इससे पूर्व का मेरा चुनाव क्षेत्र पंजाब में था। सरदार प्रताप सिंह कैरों के नेतृत्व में, पंजाब सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने यह आदेश दे दिया कि यदि स्कूलों में एक-एक अध्यापक ही क्यों न हो, स्कूल अवश्य होना चाहिए। जब स्कूलों की दशा यह हो कि वहां एक ही अध्यापक को पांच-पांच कक्षाओं को पढ़ाना पड़े, तो क्या आप इसे शिक्षा कहेंगे या शिक्षा के नाम पर दिया जाने वाला धोखा? आज हमारे मां-बाप भी बच्चों को इसलिए स्कूल भेज देते हैं कि चलो बच्चा कुछ समय तो काट आयेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा का लाभ क्या है? ऐसी शिक्षा से क्या होने वाला है। अतः मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की वास्तविक समस्या यह नहीं है कि शिक्षा अनिवार्य हो, अपितु वास्तविक समस्या यह है कि शिक्षा अपने गुणों के अनुरूप हो, और शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आ रही है, उसे रोका जा सके।

इस विधेयक के पीछे जो भावनाएं निहित हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु जब तक शिक्षा मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम माध्यम नहीं बनती, तब तक इसे अनिवार्य बनाने के लिए हमारे दिमाग में जो उद्देश्य है वह भी पूरे नहीं होंगे। अतः हमें वास्तविक शिक्षा को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उत्तम शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उसका व्यक्तित्व अच्छा बन सके और जिस राष्ट्र के हम सब अंग हैं, वह उस राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति बन सकें।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the bill. The bill has been introduced by Dr. Karni Singh although the ideology of my party is altogether different from Dr. Karni Singh's party, yet I support this bill because this is the first step towards bringing about socialism.

What we propose to do now in accordance with article 45 ought to have been done by this Parliament 11 years ago.

Corruption will automatically be eradicated if provision is made for free education and old age pension. If effective steps are not taken towards this end your actions will belie your precepts.

As far the funds are concerned they are bound to come when the privy purses are abolished. With these words, I support the bill and hope that Government will accept it.

---

*पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विद्युतीकरण की धीमी प्रगति

SLOW PROGRESS OF ELECTRIFICATION IN WEST BENGAL, BIHAR ANDORISSA,

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : यह एक, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सदन में कई

*आधे घंटे की चर्चा

Half an Hour discussion.

बार विद्युतीकरण की धीमी प्रगति के बारे में चर्चा हुई है। गत 25 मई को एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत के तीन राज्यों बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विद्युतीकरण की धीमी प्रगति के कारण क्या हैं। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि इन राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए अधिक ध्यान नहीं दिया है।

इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 1968-69 में, पश्चिम बंगाल में 260 ग्रामों तथा 2 शहरों का विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 1969-70 में 186 ग्रामों तथा 1970-71 में 345 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। बिहार के सम्बन्ध में वर्ष 1968-69 में 661 ग्रामों का, वर्ष 1969-70 में 797 ग्रामों का तथा 1970-71 में 742 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया और उड़ीसा में वर्ष 1968-69 के दौरान 62 ग्रामों में, 1969-70 में 129 ग्रामों में तथा 1970-71 में 311 ग्रामों में बिजली प्रदान की गई।

इन दिनों में भी, जब कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अब तक काफी धन खर्च कर चुके हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में हैं तब भी कुछ नगरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया। गांवों की तो बात ही और है। उड़ीसा में गत तीन वर्षों से किसी भी नगर का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी गत पांच वर्षों में केवल 2 ही नगरों का विद्युतीकरण हुआ। आज भी उन नगरों या क्षेत्रों का विद्युतीकरण नहीं किया गया जिनकी जनसंख्या 10,000 या उससे भी अधिक है।

यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें न केवल नगरों अपितु ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए भी हर सम्भव उपाय कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में 38,444 गांव हैं और इनमें से अभी तक 2,600 से कम गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। प्रतिशतता के आधार पर यह 6 प्रतिशत से जरा ऊपर है जबकि केरल और कुछ अन्य राज्यों में यह लगभग 45 प्रतिशत है। समूचे भारत के आँकड़ों की औसत यह है कि भारत में 19 प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है।

केन्द्र सरकार इस बात पर अत्यधिक बल दे रही हैं कि कुछ राज्य सरकारें इस दिशा में सही रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो राज्य सरकारें गाँवों के विद्युतीकरण में सही रूप से कार्य नहीं कर रही हैं, उन्हें यह कहा जाए कि कम से कम वे कृषि क्षेत्र में पम्पों को बिजली देने के कार्य में वृद्धि करें। उन्हें प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी मंत्री महोदय की होनी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाए।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना के अन्तर्गत पाँच बृहद योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए केन्द्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जिन राज्यों में यह योजनायें लागू की जाएंगी उनके नाम हैं--गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश। इन्हीं राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामों का विद्युतीकरण भी किया गया है।

प्रथम तीन योजनाओं के दौरान पश्चिम बंगाल में 437 पम्पों का विद्युतीकरण किया गया।

उड़ीसा के सम्बन्ध में कोई आँकड़े नहीं दिए गए। बिहार में 10,660 पम्पों, महाराष्ट्र में 44,978 पम्पों, तमिलनाडु में 2,56,594 पम्पों, मैसूर में 42,371 पम्पों तथा गुजरात में 17,155 पम्पों का तीन योजनाओं के दौरान विद्युतीकरण हुआ और साथ ही इन राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अतिरिक्त धन भी दिया गया जबकि पश्चिम बंगाल को, जिसमें केवल 437 पम्पों का ही विद्युतीकरण हुआ, कुछ भीअतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई। मैं उन राज्यों के कार्य की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने विद्युतीकरण के सम्बन्ध में काफी प्रगति की है किन्तु केन्द्र द्वारा उन राज्यों को इस कार्य हेतु दिए जाने वाले अतिरिक्त धन के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों का क्या होगा जो इस दिशा में काफी पिछड़े हुए हैं क्योंकि इन राज्यों में अधिक बिजली उत्पादन हेतु किसी विशेष योजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए केवल 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। तमिलनाडु के लिए 41 करोड़, उत्तर प्रदेश के लिए 61 करोड़ रुपये, मैसूर के लिए 15 करोड़ तथा महाराष्ट्र के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई हैं और जबकि उड़ीसा के लिए 7 करोड़ रुपये से भी कम की राशि निर्धारित की गई है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह पिछड़े क्षेत्रों का स्तर उन्नत क्षेत्रों के बराबर लाए। खाद्यान्न के आयात पर खर्च होने वाले धन को घटाए तथा बिजली रहित क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

विद्युतीकरण के सम्बन्ध में केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं पिछड़ा हुआ है। अपितु देश के कई अन्य क्षेत्र भी बहुत पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों से अन्धकार को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य सरकारों को केन्द्र से विशेष धन की स्वीकृति मिल जाती है। फिर भी वह धन व्यय नहीं किया जाता।

यह सर्वविदित है कि उत्तर बंगाल अपने राज्य में सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इसके साथ-साथ उत्तर बिहार भी पिछड़ा हुआ है और वहां पर कोई भी योजना न तो बिहार सरकार द्वारा आरम्भ की गई है और न ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को विद्युतीकरण की तीन योजनाओं हेतु 300 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है और ये योजनाएं पश्चिम बंगाल के पांच ज़िलों—हुगली, मिदनापुर, 24 परगना, वीरभूम तथा बांकुरा में लागू की जाएंगी। इस सम्बन्ध में उत्तर बंगाल के पांचों जिलों की न्यायोचित मांग की पूर्णतया उपेक्षा की गई है जबकि ये जिले उस क्षेत्र की सम्पूर्ण कृषि आय में 1/3 भाग का योगदान देते हैं। अतः यदि उत्तर बंगाल के ग्रामों में बिजली देने की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए तथा वहां सब पम्पों के लिए बिजली प्रदान की जाए तो केवल उत्तर बंगाल के 5 ज़िले समस्त पश्चिम बंगाल के लिए पर्याप्त खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं।

बिजली विकास के लिए आवश्यक बुनियादी आधारभूत तत्त्व है और जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता तब तक पूंजी लगाने से लाभ नहीं होगा। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग

100 करोड़ रुपये की पूंजी लगाना ही पर्याप्त नहीं है इसके लिए पहले बुनियादी ढांचा, जिसमें बिजली भी शामिल है, तैयार करना होगा ।

मंत्री महोदय ने यहाँ अनेक बार कहा है कि उत्तर बंगाल में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में दिए गए आश्वासनों को पूरा करेंगे ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण समाप्त करें । वह पहले ही नियत समय से अधिक ले चुके हैं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्थिति पर विचार किया है···

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ बोलेंगे वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : ***

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : देशवासियों द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रो की मात्रा तथा विद्युत उत्पादन की दर किसी भी देश के विकास की द्योतक होती हैं । बिजली धन उत्पादन का मुख्य स्रोत है । देश में पिछले 23 वर्षों से बिजली की स्थिति अत्यंत शोचनीय है । यह अत्यंत दुख की बात है कि केन्द्र सरकार इसको बहुत कम महत्व दे रही है । इस वर्ष के बजट में बिजली तथा सिंचाई कार्यों हेतु केवल 10 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है ।

पश्चिम बंगाल के 7.7 प्रतिशत ग्रामों में बिजली है जबकि आसाम तथा उड़ीसा के केवल 2.5 प्रतिशत गांवों में ही बिजली की व्यवस्था है। इन पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक बिजली प्रदान की जानी चाहिए। क्या उन्नत तथा पिछड़े क्षेत्रों को समान स्तर पर लाना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है ।

चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। विद्युतीकरण द्वारा रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं । ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड ने $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है । मैं डा० राव से अनुरोध करूंगा कि वह किसी न किसी उपाय से इस परियोजना हेतु धन जुटाएं । अब तो बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है ।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

ऋण प्राप्त करने में भी अधिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कृपया मंत्री महोदय बताएं कि वह उड़ीसा, बिहार और बंगाल के पिछड़े क्षत्रों के विद्युतीकरण हेतु क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाने के लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

भारत के ग्रामों में बिजली लगाने का काम राष्ट्रीय नीति के रूप में 1961 में आरम्भ किया गया था। उस समय हमारे पास 2 लाख पम्पिंग सेट थे और 25,000 से कम ग्रामों में बिजली लगी हुई थी। गत 10 वर्षों में हमने इस सम्बन्ध में बहुत उन्नति की है। लगभग 16 लाख कुओं और 1,05,000 ग्रामों में बिजली लगाई जा चुकी है। हम $3\frac{1}{2}$ लाख प्रतिवर्ष की दर से पम्पिंग सेट लगा रहे हैं। इसमें वे गाँव भी शामिल किए गए हैं जिनमें 17,000 प्रतिवर्ष की दर से कार्य हुआ है।

केवल खेदजनक बात यह है कि इस सम्बन्ध में कुछ असंतुलित विकास हुआ है। लगभग 9 राज्यों को 18.8 प्रतिशत, जोकि देश में बिजली लगाए जाने की औसत है, से कम बिजली मिली है। ऐसे भी 9 राज्य हैं जहाँ बिजली लगाने की दर औसत से कम है। यह खेद की बात है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जहाँ कि जल के साथ-साथ अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं, इस सम्बन्ध में पिछड़ रह गए। उड़ीसा में केवल 2.7 प्रतिशत ग्रामों में बिजली लगाई गई है। तमिलनाडु में प्रति 30 एकड़ भूमि में एक पम्पिंग सेट लगा हुआ है। जबकि उड़ीसा में प्रति 30,000 एकड़ भूमि में एक पम्पिंग सेट है ;

कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि इन 9 राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तीन राज्यों में, जहां बिजली लगाने के जल संसाधन काफी अधिक उपलब्ध हैं, इस प्रयास को काफी आगे बढ़ाया जाए।

धनाभाव ही मुख्य कारण है। श्री चौधरी का यह कहना ठीक नहीं है कि हमने योजना में तमिलनाडु के लिए बहुत अधिक धन दिया है, परन्तु पश्चिम बंगाल के लिए नहीं दिया। धन केन्द्र द्वारा आवंटित नहीं किया जाता। राज्यों को खण्डवार अनुदान और खण्डवार ऋण किसी नियम के आधार पर ही दिए जाते हैं और उसमें से राज्य धन का आवंटन करता है। पश्चिम बंगाल विद्युतीकरण के कार्य को बहुत कम महत्व देता रहा है। उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। यही कारण है कि केन्द्र ने धन नहीं दिया। तमिलनाडु ने बहुत ही व्यापक रूप से बिजली लगाने का कार्य किया है। इसने इस काम को अधिक महत्व दिया है और इसके लिये काफी अधिक धन का आवंटन किया है। भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की है और हम यथासंभव सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।

उड़ीसा के घाटासिला जिले में पहले बिजली नहीं थी। पिछले अक्तूबर में वहां एक बैठक हुई जिसमें कुछ संसद सदस्यों तथा कुछ विधान परिषद के सदस्यों ने भाग लिया और उस बैठक के दौरान

चला कि उड़ीसा यह काम ठीक से नहीं कर रहा है। वहां संचारण लाइनें नहीं हैं। हमने उसमें यह भी निर्णय किया कि हम संचारण लाइनों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से धन देंगे, यद्यपि सामान्य रूप से ऐसा किया नहीं जाता है। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का सम्बन्ध है, हम उसका इन तीनों राज्यों के लिए अतिरिक्त धन नियत करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग करेंगे और यथासंभव उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। यदि राज्य योजनाएं बनाएं तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमें आशा है कि आगामी तीन वर्षों में हम ग्रामीण वित्त निगम से 20 करोड़ रुपये में से काफी मात्रा में उन्हें देने में समर्थ होंगे।

जहाँ तक सहकारी समितियों की स्थापना का प्रश्न है कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया है कि सहकारी ग्रामीण विद्युतीकरण समितियों की स्थापना की जाए। हमारे निमंत्रण पर अमरीकी ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति वाले लोग यहां आए और उन्होंने कहा कि वह धन के साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे किन्तु मध्यप्रदेश को छोड़कर कोई भी राज्य इसके लिए तैयार नहीं हुआ। शायद उन्हें यह कार्य अनावश्यक प्रतीत हुआ और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। हमें इस समस्या को सामूहिक रूप से हल करने का प्रयास करना चाहिए।

पम्पिंग सेट केवल उन्हीं स्थानों पर लगाये जा सकते हैं यदि वहां पर कुएं बने हुए हों और वहां कुछ कृषि भी की जा रही हो। मैं इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय को भी लिखूंगा। लेकिन सम्बन्धित राज्यों के संसद सदस्य को भी चाहिए कि वह राज्य अधिकारियों से बातचीत करते रहें तथा उनके ध्यान में इस बात को लाएं कि अभी कितने और कुओं का विद्युतीकरण करना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सम्बन्ध में मदद करूं तो राज्य सरकारों से कहिए कि वे योजनाएं प्रस्तुत करें। कृषि मंत्रालय से ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रार्थना की जाएगी जहां, यदि हम बिजली दें तो, कुएं खोदे जा सकें।

इन तीनों राज्यों का ध्यान रखने के लिए और ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को तेज करने के लिए हम एक पृथक् कक्ष की स्थापना करने जा रहे हैं।

उत्तरी बिहार और उत्तरी बंगाल के सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि वहां बिजली का उत्पादन बहुत कम है। उड़ीसा में भी संचारण लाइनें नहीं हैं। उत्तरी बिहार में 18 मैगावाट बिजली का उत्पादन होता है जबकि आवश्यकता इससे दुगुनी मात्रा की है। इसको पूरा करने के लिए हम कुछ अल्पकालीन उपाय कर रहे हैं। हम दूसरे क्षेत्रों से $1\frac{1}{2}$ मैगावाट के चार एककों की स्थापना कर रहे हैं तथा बरौनी को दलकोला से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लाइन लगभग तैयार है। हम अन्य क्षेत्रों से संचारण लाइनें तथा बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तर बिहार में एक अच्छे बिजली घर की आवश्यकता है इसके लिये हम इंजीनियरों को गत दो वर्षों से कुछ परियोजनाओं और प्रस्तावों का सुझाव देने के लिये कह रहे थे। केवल तीन दिन पहले ही हमें कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। एक उत्तर बिहार से प्राप्त हुआ है और एक उत्तर बंगाल से। मैं इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने का प्रयत्न कर रहा हूं, इनके पूरा होने के पश्चात ही हम वहां कुछ

उड़ीसा बिजली दे सकते हैं। अन्यथा उन क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण का अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता।

उत्तर बिहार में हम एक तापीय बिजली घर खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। समस्या यह है कि इसे कहां बनाया जाए—मुजफ्फरपुर में अथवा समस्तीपुर में ? मेरे विचार में मुजफ्फरपुर अधिक उपयुक्त रहेगा क्योंकि इसकी दूरी बरौनी से उतनी है जितनी होनी चाहिए किन्तु दुर्भाग्यवश वहां कोई चौड़ी लाईन नहीं है। चौड़ी लाईन समस्तीपुर आकर खत्म हो जाती है। मैं रेलवे वालों के उत्तर का इन्तजार कर रहा हूं कि वह इस लाईन को बढ़ा सकते हैं या नहीं। अन्यथा कोयले की परिवहन लागत बहुत पड़ जाएगी। यह तापीय बिजली घर समस्तीपुर में बनाया जाए या कहीं और। इस सम्बन्ध में मैं जल्दी निर्णय करूंगा क्योंकि अधिकारियों की राय का मैंने एक साल तक इन्तजार कर लिया है। जैसाकि मैंने पहले कहा, कटिहार अथवा पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा के निकट एक दो परियोजनाएं बनाई जाएंगी। जब तक बिजली उत्पादन नहीं होता, ग्रामीण विद्युतीकरण भी संभव नहीं। मुझे आशा है कि हम जल्दी संचारण लाइनें बना लेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 14 जून 1971/24 ज्येष्ठ, 1893 (शक) ग्यारह बजे म. पू. तक के लि स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, June 14, 1971/Jyaistha 24, 1893(Saka).